लोक सभा

वाद विवाद

बुधवार,
१५ सितम्बर, १९५४

(भाग १—प्रश्नोतर)

खंड ४, १९५४

(२३ अगस्त से २४ सितम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On 11.11.83
Parliament Library

सप्तम सत्र, १९५४

(खंड ४, में अंक १ से अंक २५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

• विषय-सूची

(खंड ४—अंक १ से २५—२३ अगस्त से २४ सितम्बर, १९५४)

अंक १—सोमवार, २३ अगस्त, १९५४ ... स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७, १०, २४, ३१, ९, १२ से १७, १९, २१ से २३, २५ से २७, २९, ३२, ३३, ३५ . . १—४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६, ८, ११, १८, २०, २८, ३०, ३४ ४०–४५

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७ से १७ . . . ४५–५६

अंक २—मंगलवार, २४ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६ से ३९, ४१ से ४३, ४५ से ५४, ५६ से ६०, ६२, ६३, ६५ से ७६, ७८ से ८१ और ८३ . . ५७–१०७

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १ से ३ . . . . . १०७–११५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४०, ४४, ५५, ६१, ६४, ७७, ८२ और ८४ ११५–११९

अतारांकित प्रश्न संख्या १८ से ३८, ४० से ४३ . . ११९–१३८

अंक ३—बुधवार, २५ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५ से ९०, १२७, ९१ से ९३, ९५ से १०३, १०५ से ११२, १२४, ११३ और ११४ १३९–१८२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ १८३–१८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४, ११५ से १२३, १२५, १२६, १२८ से १४० १८५-१९९

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४ से ४८, ५० से ५९, ६१ और ६२ १९९-२१०

अंक ४— बृहस्पतिवार, २६ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४१ से १४५, १४७ से १६१, १६३, १६५ से १७८ २११-२५६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ २५६-२५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६, १६२, १६४, १७९ से १८५ २५९-२६६

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३ से ७४ २६६-२७४

अंक ५— शुक्रवार, २७ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १८६, २२७, १८७ से २०१, २०३, २०५, २१७, २०६, २०७, २०९ से २१६, २१८, २१९ . . . . २७५–३२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०२, २०४, २२०, २२१ से २२६, २२८ से २३० . . . . . ३२१–३२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७५ से १०५ . . . . . ३२८–३५०

अंक ६— सोमवार, ३० अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या २३१ से २३४, २३६, २३८ से २४८, २५० से २५२, २५५ से २५७, २५९, २६०, २६२ से २६५ . . ३५१–३९५

	स्तम्भ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या २३५, २४९, २५४, २५८, २६१, २६६ से २७१, २७३, २७४, २७६, २७७ से २७९ . . .	३९५–४०६
अतारांकित प्रश्न संख्या १०६ से ११७, ११९ से १२८ . . .	४०६–४२४

अंक ७-- मंगलवार, ३१ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या २८० से २८७, २८९ से ३०१, ३०५, ३०६, ३०८ से ३११, ३१३, ३१४, ३१६, ३१८ से ३२० . .	४२५–४७२
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या २८८, ३०२, ३०५, ३०७, ३१५, ३१७, ३२१ से ३३२	४७३–४८४
अतारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १५१ . .	४८४–४९८

अंक ८-- बुधवार, १ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३३३, ३३५, ३३६, ३३८ से ३४३, ३४५, ३४७, ३४८, ३५८, ३४९, ३५०, ३५२, ३५३, ३५५, ३५६, ३५९, ३६०, ३६३ से ३६६, ३६९ से ३७२, ३७४, ३७६ से ३७८ . .	४९९–५४५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६	५४५–५४८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३३४, ३३७, ३४४, ३४६, ३५१, ३५४, ३५७, ३६१, ३६२, ३६७, ३६८, ३७३, ३७५, ३७९ से ३९५ . . .	५४८–५६४
अतारांकित प्रश्न संख्या १५२ से १५६, १५९ से २०० . .	५६५–५९८

अंक ९—बृहस्पतिवार, २ सितम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९६, ३९८ से ४०१, ४०३ से ४०७, ४०९, ४१०, ४१३ से ४१५, ४१८ से ४२०, ४२४, ४३८, ४२५ से ४२७, ४२९ से ४३२, ४३४, ४३५, ४३७, ५९९—६४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९७, ४०३, ४०८, ४११, ४१२, ४१६, ४१७, ४२१, से ४२३, ४२८, ४३३, ४३६, ४३९ से ४४१. . ६४३—६५१

अतारांकित प्रश्न संख्या २०१ से २१९. . . . ६५१—६६२

अंक १०—शुक्रवार, ३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४४२, ४४५ से ४५६, ४५८, ४६० से ४६६, ४६८, ४७०, ४७१, ४७३, ४७५, ४७७ से ४८२ . . ६६३—७०७

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर—

अल्पसूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . . ७०७—७११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न–संख्या ४४३, ४४४, ४५७, ४५९, ४६७, ४६९, ४७२, ४७४, ४७६, ४८३ से ५०४ . . . . ७११—७३०

अतारांकित प्रश्न संख्या २२० से २३३, २३४ से २४१ . . ७३०—७४४

अंक ११—सोमवार, ७ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०६, ५०७, ५०९ से ५१६, ५१९, से ५२१, ५२६, ५२८, ५२९, ५३३, ५३५, ५३९, ५४१, ५४७, ५४९, ५५०, ५५२ से ५५५, ५६१, ५६४, ५६५ ७४५-७९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ५०५, ५०८, ५१७, ५१८, ५२२ से ५२५, ५२७, ५३० से ५३२, ५३४, ५३६ से ५३८, ५४०, ५४२ से ५४६, ५४८, ५५१, ५५६ से ५६०, ५६२, ५६३, ५६६ से ५७५ . . . . ७९०-८१४

अतारांकित प्रश्न संख्या २४२ से २७४ . . . . ८१४-८३२

———

अंक १२—बृहस्पतिवार, ७ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५७७, ५७९, ५८१ से ५८४, ५८६, ५८७, ५८९, ५९१ से ५९४, ६०२, ६०८, ६०६, ६०७, ६०९, ६१२, ६३४, ६३५, ६१३ से ६१५, ६२० से ६२६, ६२८, ६२९, ६३३ . . . . ८३३-८७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५७६, ५७८, ५८०, ५८५, ५८८, ५९०, ५९५ से ६०१, ६०३, ६०४, ६१०, ६१६ से ६१९, ६२४, ६२५, ६२७, ६३० से ६३२ . . ८७३-८८७

अतारांकित प्रश्न संख्या २७५ से २८२, २८४ से २९१, २९३ से २९५ . . . . . ८८८-८९८

———

अंक १३— बुधवार ८ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३६, ६३८ से ६४०, ६४२ से ६४७, ६५०, ६५१, ६५५ से ६५७, ६६१ से ६६४, ६६७, ६६८, ६७० से ६७५, ६७७, ६७८, ६८१ से ६८४ . . ८९९—९४३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ . . . . . ९४४—९४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३७, ६४१, ६४८, ६४९, ६५३, ६५४, ६५८ से ६६०, ६६५, ६६६, ६६९, ६७६, ८७९, ६८०, ६८५ से ६९७ . . . . . ९४६—९६१

अतारांकित प्रश्न संख्या २९६ से ३२६ . . . ९६२—९८४

अंक १४—शुक्रवार १० सितम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९८, ७०० से ७०३, ७०५ से ७१६, ७२०, ७१७, ७२२, ७२४, ७२५, ७२७, ७३० से ७३३, ७३८, ७४०, ७४१, ७४४, ७६२, ७४५, ७४६ . . . ९८५—१०३२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . . . . १०३२—१०३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९९, ७०४, ७१८, ७१९, ७२१, ७२३, ७२६, ७२८, ७२९, ७३४ से ७३७, ७३९, ७४२, ७४३, ७४७, से ७६१, ७६३ से ७७१ . . . . १०३५—१०६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२७ से ३७९ . . . १०६२—१०९२

अंक १५—शनिवार, ११ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७२ से ७७५, ७७६ से ७८२, ७८५, ८०९, ७८८, ७८९, ७९१, ७९३, ७९५ से ७९७, ७९९ से ८०५, ८०७, ८११ से ८१३, ८१६ से ८१८ . . १०९३—११४०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० . . . . ११४०—११४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७५, ७८४, ७८६, ७८७, ७९२, ७९४ ७९८, ८०६, ८०८, ८१० . . . . . ११४३—११४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८० से ३९८, ४०१ से ४०३ . ११४९—११६६

अंक १६—सोमवार, १३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८१९, ८२१ से ८३१, ८३३ से ८३५, ८३७, ८३९, ८४२ से ८४४, ८४७ से ८५६, ८५८, ८६० से ८६२ ११६७—१२०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२०, ८३२, ८३६, ८३८, ८४०, ८४१, ८४५, ८४६, ८५७, ८६३ से ८७५ . . . १२१०—१२२३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०४ से ४२९ . . . . १२२४—१२४२

अंक १७—मंगलवार, १४ सितम्बर, १९५४

	स्तम्भ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८७८ से ८८०, ८८३ से ८९०, ८९२, ८९३, ८९६, ९०१ से ९०७, ९१०, ९११, ९११क, ९१२ से ९१५, ९१७, ९१९, ९२०, ९२३, ९२४, ९२६, ८७७	१२४३—१२८६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८७९, ८८१, ८८२, ८९१, ८९४, ८९५, ८९७ से ९००, ९०८, ९०९, ९१८, ९२१, ९२२, ९२५ .	१२८६—१२९४
अतारांकित प्रश्न संख्या ४३० से ४[illegible]	१२९४—१३१४

अंक १८—बुधवार, १५ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९२८, ९३०, ९३२ से ९४०, ९४४, ९४८ से ९५९, ९६१, ९६२, ९६४ और ९६५ . . .	१३१५—१३५९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९२७, ९२९, ९३२, ९४१ से ९४३, ९४६, ९४७, ९६३, ९६६ से ९७९, ९८१ से ९८६, ७८३, ७९०, ८१४ और ८१५	१३५९—१३७६
अतारांकित प्रश्न संख्या ४६३ से ४८५, ४८७ और ४८८ .	१३७६—१३९२

अंक १९—बृहस्पतिवार, १६ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८७, ९९० से ९९६, ९९८, ९९९, १००२ से १००४, १०३६, १००५ से १००८, १०१०, १०१३, १०१६ से १०२५, १०२७ से १०२९	१३९३—१४४२
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ११	१४४२—१४४६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८८, ९८९, ९९७, १०००, १००९, १०११, १०१२, १०१४, १०१५, १०२६, १०३० से १०३५, १०३७ से १०४३ . .	१४४६—१४६२
अतारांकित प्रश्न संख्या ४८९ से ५११	१४६२—१४७८

अंक २०—शुक्रवार, १७ सितम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४८, १०४९ से १०५५, १०५७ से १०६०, १०६२ से १०६४, १०६७, १०६८, १०७२ से १०७८, १०८० से १०८५ . . . . . १५७९—१५२४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . . . १५२४—१५२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४५, १०५६, १०६३, १०६५, १०६६, १०७०, १०७६, १०८६ से ११०५ . . . . १५२७—१५४२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१२ से ५४६ . . १५४२—१५६६

अंक २१—सोमवार, २० सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११०६ से १११०, १११२, १११४, ११२२, ११२४ से ११२६, ११२९, ११३१, ११३४, ११३६, ११३९ से ११४३, ११४५ से ११४७, ११४९, ११५०, ११३७, ११२७, ११३५, ११२१, ११२०, ११३८, ११२८ १५६७—१६१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११३, १११५ से १११७, १११९, ११२३, ११३०, ११४४, ११४८ ... ... १६१४—१६१८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५४७ से ५६७ ... १६१९—१६३४

अंक २२—मंगलवार, २१ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११५१ से ११५३, ११५५, ११५७, ११५८, ११६०, ११६१, ११६३, ११६७ से ११७०, ११७३, ११७४, ११७६, ११७७, ११७९ से ११८७, ११८९ से ११९१, ११९४, ११९५, ११९८, ११९९, १२०१, १२०३ तथा ११५४ . . . १६३५—१६८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ . . . . १६८४—१६८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ११५६, ११५९, ११६२, ११६४, ११६५, ११६६, ११७१, ११७२, ११७५, ११७८, ११८८, ११९२, ११९३, ११९६, ११९७, १२००, १२०२ तथा १२०४ . . . १६८७–१६९६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६८ से ५९३ . १६९७–१७१४

अंक २३—बुधवार, २२ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२०६, १२०९, १२१०, १२१५, १२१७, १२१९, १२२०, १२२३ से १२२६, १२२८ से १२३०, १२३१ से १२३९, १२४१ से १२४५, १२४७ से १२४९, १२५१ से १२५३, १२५५ १२५७, १२५९ . . . . . १७१५—१७६१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ . . . १७६१--१७६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०५, १२०७, १२०८, १२११, १२१३ से १२१४, १२१६, १२१८, १२२१, १२२२, १२२७, १२३१, १२४०, १२४६, १२५०, १२५४, १२५६, १२५८, १२६० . . १७६४—१७७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५९४ से ६४८ . . . . १७७६—१८०८

अंक २४—बृहस्पतिवार, २३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२६१, १२६३ से १२७०, १२७२, १२७६, १२७७, १२७९, १२८०, १२८४, १२८६, १२८८, १२८९, १२९१ से १३००, १२७५, १२७४ और १११८ . . . . . १८०९—१८५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२६३, १२७३, १२७८, १२८२ से १२८३, १२९० . . . . . १८५५—१८६१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६४९ से ६७९ . . . . १८६१—१८८४

अंक २५—शुक्रवार, २४ सितम्बर, १९५४

	स्तम्भ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३०१, १३०३, १३०५ से १३१०, १३१२ से १३१४, १३१६, १३१८, १३२०, १३२१, १३२३, १३२४, १३२६, १३२८, १३३०, १३३१, १३३३ से १३३६, १३३८ से १३४१, १३४३, १३४४	१८८५—१९३३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३०२, १३०४, १३११, १३१५, १३१७, १३१९ १३२२, १३२९, १३३२, १३३७, १३४२	१९३३—१९३९
अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७०६ ७०८ से ७१४	१९३९—१९६०

लोक-सभा

बुधवार, १५ सितम्बर, १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

आयुध स्थापनायें

*९२८. **श्री वी० पी० नायर**: क्या रक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे:

(क) कि रक्षा-बल की आयुध स्थापनाओं में असैनिक कर्मचारियों की सेवा की सुस्थिरता के संबंध में केन्द्रीय वेतन आयोग के दृष्टिकोण के अनुसार सरकार ने क्या कार्यवाही की है:

(ख) क्या यह सच है कि दीर्घ विच्छेद रहित सेवा युक्त अस्थायी स्थापना (असैनिक) की ज्येष्ठता का निश्चय करने के लिये केवल १ अगस्त, १९४९ से ही सेवा मानी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो इस विशिष्ट तिथि को ही अर्हता प्रारंम्भ होने की तिथि निश्चित करने के क्या कारण हैं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) अतिरिक्त अस्थायी स्थापना समाप्त

कर दी गई और उस संवर्ग के कर्मचारियों को नियमित संवर्ग में भेज दिया गया । प्रत्येक स्थापना की स्थायी अपेक्षा के अनुसार अस्थायी गैर-औद्योगिक कर्मचारी वर्ग के कुछ प्रतिशत की पुष्टि कर दी गई है जिस से उन की सेवायें सुस्थिर हो गई हैं । शीघ्र ही औद्योगिक कर्मचारी वर्ग के एक स्थायी संवर्ग की रचना करने का विचार किया गया है जिस में ४० प्रतिशत से अधिक व्यक्तिओं के पुष्टिकरण की आशा है ।

(ख) अस्थायी स्थापना में ज्येष्ठता की गणना उसी दिन से होती है, जिस दिन एक कर्मचारी की उस संवर्ग में नियुक्ति होती है । जो व्यक्ति पहले अतिरिक्त अस्थायी स्थापना में काम करते थे और १ अगस्त, १९४९ से नियमित संवर्ग में आ गये उन की ज्येष्ठता उसी दिन से मानी जायेगी ।

(ग) अतिरिक्त अस्थायी स्थापना के कर्मचारी वर्ग की सेवा की शर्तें नियमित कर्मचारियों की शर्तों से बहुत भिन्न थीं उन की भर्ती स्थानीय रूप से प्रति दिन के वेतन के आधार पर की जाती थी । अतः उन की ज्येष्ठता की गणना उसी दिन से की जाती है जिस दिन उन का नियमित स्थापना में पदार्पण हुआ ।

श्री वी० पी० नायर: क्या यह तथ्य नहीं है कि १-८-१९४९ की तिथि निश्चित कर के ५ साल से लेकर १० वर्ष तक की सेवा

वाले १५ हजार से भी अधिक कर्मचारियों को पुष्टि होने के बाद अपनी ज्येष्ठता का कोई लाभ उठाने को नहीं मिलेगा ?

श्री सतीश चन्द्र : यह कहना सही नहीं है कि उन को कोई लाभ नहीं होगा। अतिरिक्त अस्थायी स्थापना संवर्ग के सब व्यक्तियों को उस समय के लिये, जितने कि उन्होंने १-८-१९४९ से पूर्व सेवा की है, उपदान दिया जायेगा किन्तु साथ ही उन की सेवा अविच्छेद रूप से न्यूनतम पांच वर्ष की अवश्य होनी चाहिये ।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सच है कि एतदर्थ आधार पर उस तिथि के निश्चय कर लेने के परिणामस्वरूप कर्मचारियों में पर्याप्त असंतोष है और क्या सरकार को किसी स्थापना संघटन से ऐसा कानूनी नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है जिस में सरकार को यह सूचना दी गई है कि अपनी कठिनाइयों के प्रतिकार के लिये वे न्यायालयों की शरण लेने वाले हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : मुझे व्यक्तिगत रूप से किसी कानूनी नोटिस के प्राप्त होने का ज्ञान नहीं । भूतपूर्व अतिरिक्त अस्थायी स्थापना संवर्ग में कुछ असंतोष है परन्तु शायद माननीय सदस्य को ज्ञात है कि यह कर्मचारी रक्षा-स्थापना में प्रति दिन के वेतन के आधार पर काम कर रहे थे और उन की सेवा के कायम रहने की कोई प्रत्याभूति नहीं थी । जिस दिन से वे नियमित अस्थायी संवर्ग में लाये गये और नियमित सेवा में लगा दिये गये, वे उन सब लाभों के अधिकारी हो गये जो कि नियमित सेवा के कर्मचारियों को मिलते हैं ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि १ अगस्त, १९४९ की तिथि के निश्चित करने के मुख्य कारण क्या हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : इस का कारण यह है कि इस तिथि को ही वे कर्मचारी जिन को दैनिक मजूरी की पद्धति के अनुसार 'काम नहीं-दाम नहीं' के आधार पर वेतन मिला करता था, नियमित संवर्ग में लाये गये ।

अध्यक्ष महोदय : उन के कहने का आशय यह है कि किसी और तिथि के अलावा १ अगस्त, १९४९, की ही तिथि क्यों निश्चित की गई ।

श्री सतीश चन्द्र : उस तिथि के आस पास ही निर्णय किया गया था अतः १-८-१९४९ की तिथि ही निश्चत की गई ।

आयुध कारखानों की पुनर्गठन समिति

*९३०. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या रक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि अभी तक आयुध कारखानों की पुनर्गठन समिति के द्वारा कितने आयुध तथा अन्य कारखानों का निरीक्षण कर लिया गया है ;

(ख) कितने गवाहों से पूछताछ की गई; और

(ग) समिति के अपने प्रतिवेदन के प्रस्तुत करने तथा उस के सभा पटल पर रखे जाने की कब तक संभावना है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) आयुध कारखानों की पुनर्गठन समिति ने सब आयुध-कारखानों को देख लिया है और साथ ही गैर सरकारी क्षेत्र में कुछ अलोह कारखानों को भी देखा है ।

(ख) आयुध कारखानों के संबंध में जानकारी रखने वाले ५५ गवाहों से समिति ने भेंट की है । इस के अतिरिक्त वित्त, वाणिज्य तथा उद्योग, रक्षा तथा त्रिसेवाओं के मंत्रालयों के २० उच्च पदाधिकारियों से पूछताछ की गई है । भारत की यांत्रिक संथा; भारतीय वाणिज्य मंडल; पश्चिमी

भारतीय धातु रोलर सन्था तथा भारतीय अलोह धातु सन्था के प्रतिनिधियों की भी बातें सुनी गई हैं। ईशापुर तथा कोसीपुर के कारखानों के श्रम संघों के प्रतिनिधियों की बातें भी समिति द्वारा सुनी गई हैं।

(ग) अक्तूबर १९५४ तक समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने की संभावना है। यह प्रतिवेदन, जिस में आयुध कारखानों के उत्पादन का कुछ विस्तृत वर्णन होगा, प्रत्यक्षतः गुप्त रखा जायेगा।

श्री वी० पी० नायर: क्या यह सच है कि आयुध स्थापना के एक उच्च पदाधिकारी ने आयुध स्थापना की बेकार पड़ी हुई क्षमता के उपयोग के बारे में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और क्या परिस्थितियों ने उस कर्मचारी को त्याग पत्र देने के लिये बाध्य कर दिया है ?

श्री सतीश चन्द्र: संभवतः माननीय सदस्य का तात्पर्य आयुध स्थापना के एक उच्च अधीक्षक के पद त्याग से है; परन्तु मैं यह स्वीकार नहीं करता कि उन के पद-त्याग का ऐसा कोई कारण था।

श्री जोकीम आल्वा: क्या आयुध कारखानों में ब्रिटिश पदाधिकारियों की सेवा की शर्तों की जांच की गई है। विशेषतः उन पदाधिकारियों को ध्यान में रखते हुये जो यहां सेवा करने के बाद अपनी सेवा की समाप्ति पर पाकिस्तान चले जाते हैं और वहां आयुध कारखानों में काम करने लगते हैं ?

श्री सतीश चन्द्र: इस में से यह प्रश्न मुश्किल से ही पैदा होता है, परन्तु हमारे कारखानों में विदेशी पदाधिकारियों को तभी रखा जाता है जब कि बहुत बड़ी आवश्यकता आ जाती है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न का आशय यह है कि क्या यह भी सम्भव है कि हमारे अधिकारी पाकिस्तान में जा कर सेवायुक्त हों।

श्री सतीश चन्द्र: ऐसा कोई पदाधिकारी हमारे आयुध कारखानों में नहीं आया है जो पहले पाकिस्तान के लिये अपनी इच्छा प्रकट कर चुका हो। (**अन्तर्बाधा**).

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति। वे यहां अनुभव प्राप्त करते हैं; भारत के आयुध कारखानों के बारे में सब जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और उस के पश्चात् पाकिस्तान में जा काम करते हैं।

श्री सतीश चन्द्र: मुझे इस प्रकार की किसी घटना का ज्ञान नहीं।

श्री हेडा: बात यह है कि आप उस को रोक सकते हैं अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति। अगला प्रश्न।

आई० ए० एस० के परिवीक्षाधीन कर्मचारी

*९३२. **श्री एस० एन० दास**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या सरकार ने भारतीय प्रशासन सेवा के परिवीक्षाधीन कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये सामाजिक कल्याण के विषयों के किसी पाठ्यक्रम का निर्णय अथवा पुरःस्थापन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण अंग क्या हैं ?

गृह कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) १० मार्च, १९५३ को इसी विषय पर एक पूर्व प्रश्न के उत्तर में मैं ने बतलाया था कि सामाजिक कल्याण मंत्रणा बोर्ड के द्वारा प्रस्तुत किया गया पाठ्यक्रम बहुत लम्बा और विस्तृत है और सरकार बोर्ड के परामर्श से एक संशोधित तथा कम विस्तृत पाठ्यक्रम का पुरःस्थापन करना चाहती

है । इस संबंध में मंत्रणा बोर्ड की अग्रेतर सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री एस० एन० दास : क्या बोर्ड के द्वारा बतलाये गये विषय केवल सैद्धान्तिक ही थे अथवा उन का कुछ व्यवहारिक पहलू भी था ?

श्री दातार : मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, सामाजिक निदान-शास्त्र इत्यादि अनेक विषय थे और यह प्रस्थापना लगभग दो साल के लिये बढ़ा दी गई । वर्तमान समय में यह पाठ्यक्रम केवल १० महीने अथवा १ साल के लिये है अतः विस्तृत पाठ्यक्रम निर्धारित करना बहुत कठिन है । अब यह विचार है कि पुरःस्थापित होने वाले अनेक विषयों का वर्णन संक्षिप्त रूप में किया जाये ।

श्री एस० एन० दास : इस तथ्य के दृष्टिकोण से कि बोर्ड ने कुछ सुझाव उपस्थित किया है, क्या गृह मंत्री सम्पूर्ण विषयों का स्वयं अध्ययन करेगा ?

श्री दातार : इस का निर्णय सामाजिक कल्याण बोर्ड के विशेषज्ञ पर छोड़ दिया गया है और हम सामाजिक कल्याण बोर्ड की प्रधान अध्यापिका, कुमारी बरवेरिया, जो यहां उपस्थित नहीं हैं, के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं । उन्होंने विशेष रूप से इस विषय का प्रतिपादन किया है और हम उन के भारत में आने तथा इस संबंध में उन के सुझावों की प्रतीक्षा कर रहे हैं

श्री अच्युतन : क्या इन विषयों में वे विशिष्ट विषय सम्मिलित हैं जो कि इस देश में श्रम के महत्त्व का प्रतिपादन करते हैं ?

श्री दातार : अन्य विषयों के साथ साथ स्वभावतः ही उन के द्वारा श्रम के महत्त्व का प्रतिपादन होता है ।

उस्मानिया विश्वविद्यालय में हिन्दी माध्यम

*९३३. **श्री गिडवानी** : क्या राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या हैदराबाद राज्य सरकार ने उस्मानिया विश्वविद्यालय में हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाने के बारे में अपने विचार भारत सरकार को भेज दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गिडवानी : क्या उस्मानिया विश्वविद्यालय द्वारा इस मामले के बारे में कोई चर्चा अथवा निर्णय नहीं किया गया है ?

डा० काटजू : वस्तुतः मुझे मालूम नहीं है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या कन्नड़, तेलगू, तथा मराठी जैसी प्रादेशिक भाषाओं के पुरःस्थापन का सवाल हैदराबाद राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

डा० काटजू : वस्तुतः मुझे मालूम नहीं; मुझे इस प्रश्न के संबंध में सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री हेडा : क्या यह सच नहीं है कि वर्तमान समय में हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी और अंग्रजी दोनों ही उस्मानिया विश्वविद्यालय में शिक्षा के माध्यम हैं ?

डा० काटजू : श्रीमान्, मैं इस से अवगत नहीं ।

अस्थायी नियुक्तियां

*९३४. **श्री डाभी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी पदों पर अस्थायी नियुक्तियों की निर्धारित प्रक्रिया यही

कि जब बिना संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के की गई किसी अस्थायी नियुक्ति को एक वर्ष से अधिक समय तक चलने की सम्भावना हो उस का निर्देश आयोग को तत्काल कर दिया जाये ;

(ख) यदि ऐसा है तो क्या यह सच है कि सरकार अनेक मामलों में इस प्रक्रिया का पालन नहीं करती है ; और

(ग) यदि उपर्यक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो इस के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) जी हां ।.

(ख) तथा (ग). ऐसे मामले भूल से या भविष्य की आवश्यकता अथवा विकास के संबंध में भली प्रकार अनुमान लगाने को कठिनाई के कारण यदा-कदा हो सकते हैं किन्तु इस को रोकने के लिये संशोधित परामर्श विनियमों में उचित व्यवस्था की जा रही है ।

श्री डाभी: पिछले तीन वर्षों में सरकार ने कितने मामलों में इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया है ?

श्री दातार: मेरे पास आंकड़े नहीं हैं किन्तु ऐसे मामलों की संख्या अधिक नहीं है ।

श्री भागवत झा आजाद: जब इस नियम का उल्लंघन कर अनियमित प्रकार से कुछ व्यक्तिओं को नियुक्त किया जाता है तो क्या सरकार कोई विज्ञप्ति जारी करती है कि जब वे पद स्थायी बनाये जायेंगे तो यह नियुक्तियां अनर्ह कर दी जायेंगी ?

श्री दातार: मैं "अनुचित प्रकार" नामक शब्दों का व्यवहार किया जाना अच्छा नहीं समझता हूं, किन्तु मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहूंगा कि साधारणतः वर्त्तमान नियमों के अन्तर्गत, अस्थायी नियुक्तियां यू० पी० एस० सी० को निर्देश किये बिना कर ली जाती हैं और इस के लिये केवल एक अपवाद यह रखा गया है कि जब अस्थायी नियुक्ति के एक वर्ष से अधिक चलने की सम्भावना हो, तो यू० पी० एस० सी० की अनुमति अथवा राय ली जानी चाहिये । कभी कभी ऐसा होता है कि अस्थायी नियुक्ति करते समय इस बात का अनुमान लगाना सम्भव नहीं होता कि यह पद एक वर्ष से अधिक काल तक चलेगा और इसी कारण कभी कभी ऐसी नियुक्तियां की जाती हैं जो एक वर्ष से अधिक समय तक चलती हैं ।

श्री टी० एन० सिंह: क्या यह सच है कि ग्यारह मास तथा बीस या पच्चीस दिनों के लिये एक से अधिक नियुक्तियां की गई हैं ? क्या सरकार को ऐसे मामलों की जानकारी है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): सैकड़ों में से मैं एक नियुक्ति के विषय में कैसे स्मरण रख सकता हूं ?

श्री टी० एन० सिंह: यह संख्या एक से अधिक है ।

डा० काटजू: अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता ?

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य का कथन यह है कि एक वर्ष से अधिक समय के लिये नियुक्ति करने पर सरकार को यू० पी० एस० सी० से परामर्श लेना पड़ता है, इस कारण वे ग्यारह मास तथा पच्चीस दिनों के लिये नियुक्ति कर लेते हैं ।

डा० काटजू: मुझे इस बात का पता नहीं कि किसी भी मामले में ऐसा किया गया हो, किन्तु यदि किया भी गया है तो अपवाद-स्वरूप कारणोंवश ही किया गया होगा । मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस मामले में सहिष्णुतापूर्ण दृष्टिकोण रखें ।

सहायक वायुसेना

*९३५. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या सरकार भारत में एक सहायक वायु सेना की स्थापना करने की कोई योजना तैयार करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि ऐसा है, तो सरकार इस योजना को कब तक लागू करने की आशा करती है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) १९५५ में प्रथम सहायक-वायु सेना स्क्वाड्रन को आरम्भ करने की आशा की जाती है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या इस सेना में केवल अवकाश प्राप्त वायुयान चालक तथा उडड्यन प्रशिक्षक ही लिये जायेंगे अथवा वे युवक भी लिये जायेंगे जिन को उड्डयन का कुछ ज्ञान प्राप्त है ?

सरदार मजीठिया : स्पष्टत: जिस को उड्डयन का कुछ ज्ञान है उस के लिये जाने की अधिक सम्भावना है ।

श्री जी० एस० सिंह : जैसा कि मूल अधिनियम में दिया हुआ है क्या सरकार ने योग्यता प्राप्त कुछ व्यक्तियों के पंजीयन की मांग की है ?

सरदार मजीठिया : वह केवल वायु रक्षा रिज़र्व में लागू होता है इस में नहीं ।

अल्प बचत योजनायें

*९३६. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि अल्प बचत योजना के अन्तर्गत बिहार में १९५३-५४ में एकत्रित की गई योग राशि क्या है ;

(ख) वहां के लिये कितनी वार्षिक राशि निश्चित की गई है ; और

(ग) वहां एकत्रित हुई अतिरिक्त राशि के विषय में क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) लगभग २९३ लाख रुपया ।

(ख) २,२५ लाख रुपया ।

(ग) निश्चित राशि के अतिरिक्त जितनी राशि एकत्रित होगी वह केन्द्र से अतिरिक्त ऋण के रूप में चालू वर्ष में राज्य सरकार को दे दी जायगी ।

श्री झूलन सिन्हा : क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार को यह सूचित किया था कि चन्दे के अतिरिक्त राशि को विकास कार्यों के लिये और विशेषकर गंडक घाटी सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं के लिये पृथकरक्षित कर दिया जायेगा ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं नहीं समझता कि इस प्रकार का कोई पृथकरक्षण किया गया है । यह राशि स्वभावत: योजना के विकास कार्यों के लिये दे दी जायेगी ।

श्रीमती सुषमा सेन : क्या अल्प बचत योजना के अन्तर्गत चन्दा जमा करने का कार्य कुछ एक महिला संगठनों को भी सौंपा गया है; और यदि ऐसा है तो वे संगठन कौन-कौन से हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : महिला बचत आन्दोलन के लिये एक केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड है और मैं समझता हूं कि बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिये इस बोर्ड में उन की एक समस्या है । जहां तक मुझे स्मरण है, उन का नाम मीरा दत्त गुप्ता है जो इन तीनों राज्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं ।

जनसंख्या के आंकडे

*९३७. **श्री कृष्णाचार्य जोसी**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने जन्म और मृत्यु के उन आंकड़ों की जांच की है जो ऐसे आंकड़े के एककीकरण में उन्नत उपायों की नई प्रणालियों के द्वारा एकत्रित किये गये हैं ;

(ख) क्या नई प्रणाली स्वीकार कर ली गई है; और

(ग) यदि ऐसा है तो क्या सरकार अन्य राज्य सरकारों से इसी प्रकार के आंकड़े मांगेगी ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) तथा (ख). जन्म और मृत्यु के आंकड़ों के एककीकरण में सुधार करने के लिये कोई भी नई प्रणाली अभी जारी नहीं की गई है। १९५२ में भारत के महा पंजीयक तथा जनगणना आयुक्त ने जनसंख्या के आंकड़ों में सुधार के लिये एक योजना प्रस्तुत की थी। इस योजना के आवश्यक अंगों की जांच १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में कुछ राज्यों में भी की गई थी। परिणामों की परीक्षा तथा अध्ययन किया जा रहा है और उन्हें शीघ्र ही प्रकाशित किया जायेगा।

(ग) सरकार ने पहले ही यह निश्चय किया है कि गृह मंत्रालय अब जनसंख्या के आंकड़े एकत्रित करने के तरीकों में उन्नति करने के लिये, जिस में जन्म तथा मृत्यु दोनों के आंकड़े सम्मिलित होंगे, योजना लागू करेगी और बहुत शीघ्र ही ठोस कार्यवाही की जायगी।

श्री कृष्णाचार्य जोशी: पुराने तरीके की खराबियां क्या हैं ?

श्री दातार: पुराने तरीके में सब से प्रमुख खराबी छट जाने की है। अधिकतर रजिस्टर नवीनतम नहीं थे और जन्म अथवा मृत्यु की कुछ संख्यायें उन में बिल्कुल दर्ज ही नहीं की गई थीं।

श्री कृष्णाचार्य जोशी: क्या सभी राज्य जन्म और मृत्युओ का लेखा रखते हैं ?

श्री दातार: मुझे विश्वास है कि अधिकतर राज्य अवश्य ही रखते हैं किन्तु ये ठीक प्रकार से नहीं रखे गये हैं।

राष्ट्रीय छात्र सेना

*९३८. **सरदार हुक्म सिंह**। क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि राष्ट्रीय छात्र सेना की कुल संख्या की इस समय कितनी प्रतिशत छात्रायें हैं, और

(ख) क्या बालिकायें राष्ट्रीय छात्र सेना के सभी विभागों के लिये योग्य समझी जाती हैं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) १·१५ प्रतिशत, किन्तु चालू वर्ष में यह संख्या लगभग ५ प्रतिशत तक होने वाली है।

(ख) नहीं, श्रीमान्, राष्ट्रीय छात्र सेना अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत बालिकायें एन० सी० सी० की केवल बालिका शाखा में ही भर्ती हो सकती हैं।

सरदार हुक्म सिंह : क्या बालिका शाखा कुछ कनिष्ठ तथा कुछ वरिष्ठ अंशों मे मिल कर बना है अथवा उन की भर्ती केवल कनिष्ठ शाखा के लिये ही की जाती है ?

श्री सतीश चन्द्र: बालिका विभाग की यूनिटें अब तक केवल विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में ही खोली गई थीं, किन्तु इस वर्ष से इन को स्कूलों में भी खोला जा रहा है।

सरदार हुक्म सिंह: क्या जहां तक अधिकृत संख्या में भर्ती का सम्बन्ध है बालिकाओं के लिये कोई अनुपात निश्चित है ?

श्री सतीश चन्द्र: एन० सी० सी० के लिये कोई अधिकृत संख्या नाम की चीज नहीं है, किन्तु मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष छात्र सैनिकों की संख्या केवल ६०० थी, जो अब बढ़कर लगभग ८७० हो गई है । चालू वर्ष के अन्त तक छात्र यूनिटों की संख्या को ५,००० छात्र सैनिक कर देने का विचार किया जता है ।

सरदार हुक्म सिंह: क्या प्रति वर्ष संख्या निश्चित की जाती है अथवा कोई संख्या अधिकतम निर्धारित कर ली गई है ?

श्री सतीश चन्द्र : इस वर्ष की निर्धारित संख्या ५,००० है । निर्धारित संख्या में प्रति-वर्ष नियमित रूप से वृद्धि नहीं होती है । यह संख्या उपलब्ध विधि के अनुसार तदर्थ आधार पर निश्चित की जाती है ।

श्रीमती इला पालचौधरी : क्या एन० सी० सी० में कोई उपचारिका विभाग भी है ?

श्री सतीश चन्द्र: बालिका शाखा के लिये निर्धारित पाठ्यक्रम में प्राथमिक चिकित्सा, सफाई तथा स्वास्थ्य रक्षा आदि में प्रतिक्षण भी सम्मिलित हैं ।

शिलिपक सहयोग समझोता

*९३९. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाडक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अमेरिका और भारत की सरकारों के बीच शिलिपक सहयोग के सामान्य समझौते के अनुच्छेद ६ के अनुसरण में, १९५० के बाद कार्यों की कोई वार्षिक रिपोर्ट तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रत्येक रिपोर्ट की एक एक प्रतिलिपि पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) क्या ये रिपोटें अमेरिकन सरकार को भेजी गई हैं ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) तथा (ख). यह वार्षिक रिपोर्ट १९५० के सामान्य समझौते के अनुसरण में नहीं बल्कि १९५२ के भारत अमेरिका टेकनिकल सहयोग समझौते के अनुसरण में है । १९५२ को रिपोर्ट तैयार की जा रही है और इस के तैयार हो जाने पर इस की प्रतियां पटल पर रख दी जायेंगी ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाडक : क्या १९५३-५४ में अमेरिका की ओर से कोई टेकनिकल विशेषज्ञ भारत में काम कर रहे हैं और यदि हां, तो कितने ?

श्री बी० आर० भगत : काम तो कर रहे हैं किन्तु इनकी संख्या बताने के लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाडक : क्या इस समझौते के अधीन, भारत को कोई मशीनरी भी दी गई थी ?

श्री बी० आर० भगत : प्रश्न रिपोर्टों के बारे में है । यदि माननीय सदस्य एक पृथक प्रश्न पूछें तो मैं यह जानकारी देने के लिए तैयार हूं कि अमुक वर्ष में क्या मशीनरी दी गई है ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या सोवियत रूस ने भारत में फौलाद संयन्त्र लगाने के लिए जो प्रस्ताव किया है वह इस समझौते के अन्तर्गत आता है ? यदि हां, तो स्थिति क्या है । ?

श्री बी० आर० भगत : यह इस के बाहर है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या इस समझौते के अधीन अमेरिकन सरकार के

प्रतिनिधि भी काम की प्रगति के बारे में रिपोर्ट देते हैं और क्या उन्हें देने से पहले ये भारत सरकार को उपलब्ध कराई जाती हैं ?

श्री बी० आर० भगत : टी० सी० एम० का संचालक अपनी सरकार को रिपोर्ट देता है किन्तु प्रत्येक परियोजना में उत्पन्न होने वाले मामलों में उस के साथ नियमित रूप में परामर्श होता है।

छावनियों में अनुसूचित जातियों की नियुक्ति

***९४०. चौधरी रघुवीर सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस निर्णय के अनुसरण में कि छावनी बार्डों में अनसूचित जातियों के लिए स्थान सुरक्षित रखे जायेंगे अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : अम्बाला छावनी को छोड़ कर पहली और दूसरी श्रेणी की उन छावनियों के (अर्थात् उन छावनियों के जिन की असैनिक जन-संख्या २५०० से अधिक है) छावनी बार्डों में, जिन्हें बोर्ड के लिए एक से अधिक सदस्य चुनना पड़ता है, अनसूचित जातियों/आदिम जातियों के लिए स्थान सुरक्षित रखे गए हैं।

अम्बाला छावनी में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी क्योंकि छावनी से कुछ क्षेत्रों को निकाल देने के प्रश्न का निर्णय होने तक चुनाव विलम्बित कर दिये गये थे। अगले चुनाव के समय इस छावनी में भी आवश्यक स्थान सुरक्षित रखे जायेंगे। उन छावनियों की एक सूची जिन में अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के लिए स्थान सुरक्षित रखे गये हैं, पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १६]**

श्री नानादास : इन स्थानों को सुरक्षित रखने के लिए किस सिद्धांत का पालन किया गया है ?

सरदार मजीठिया :

७	सदस्य	चुनने	वाली	छावनियों के मामले में	१४ प्रतिशत
६	,,	,,	,,	,,	१६ ,,
५	,,	,,	,,	,,	२० ,,
४	,,	,,	,,	,,	२५ ,,
३	,,	,,	,,	,,	३३ १/३,,
२	,,	,,	,,	,,	५० ,,

श्री नानादास : सरकार के लिए जनसंख्या के आधार पर स्थान सुरक्षित करना क्यों सम्भव नहीं है ?

सरदार मजीठिया : यही तो मैं ने कहा है। यदि आप हिसाब लगायें, तो देखेंगे कि जहां उन की जनसंख्या १४ प्रतिशत है और सात सदस्य चुने जाने हैं, हम ने १४ प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे हैं।

समाज कल्याण मन्त्रणादाता बोर्ड

***९४४. श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के तत्वावधान में राज्यों में स्थापित समाज कल्याण मंत्रणादाता बोर्डों का संगठन किस भांति किया गया है ; और

(ख) केन्द्रीय बोर्ड तथा राज्य बोर्डों द्वारा विभिन्न समाज कल्याण संगठनों को कितनी राशी सहाय अनुदान के रूप में प्रदान की गई है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) राज्यों में स्थापित समाज कल्याण मंत्रणादाता बोर्ड केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के मंत्रणादाता विभाग हैं। राज्यों के बोर्डों में कल्याण संस्थाओं के प्रतिनिधि होते हैं, जो कि सम्बन्धित

राज्य सरकारों और केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा मनोनीत होते हैं ।

(ख) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने अब तक ८७८ संस्थाओं को २६,८२,८०० पये के अनुदान दिये हैं ।

राज्य मंत्रणादाता बोर्डों द्वारा कोई प्रत्यक्ष अनुदान नहीं दिया जाता ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : इन बोर्डों के कृत्य क्या हैं ?

डा० एम० एम० दास : राज्यों में स्वेच्छा से कार्य करने वाली संस्थाओं की आवश्यकताओं और कठिनाइयों की जांच करना और इन राज्यों में कल्याण विस्तार परियोजनाओं को क्रियान्वित कराना ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या यह बोर्ड सब राज्यों में स्थापित किए गए हैं और चुनाव किस तरह किया जाता है ?

डा० एम० एम० दास : यह सब राज्यों में तो नहीं, अधिकतर राज्यों में स्थापित किये जा चुके हैं । इस समय मेरे पास उन राज्यों के नाम नहीं हैं, जिन में ये स्थापित हो चुके हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : स्थापना व्यय क्या है ?

डा० एम० एम० दास : राज्य बोर्डों का कुल वार्षिक आय-व्ययक ३०,००० प्रति वर्ष से अधिक नहीं होता ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मंत्रणा-दाता बोर्ड का एक कृत्य यह है कि उपलब्ध सुविधाओं या सहायता के बारे में बड़े पैमाने पर प्रचार किया जाये और विभिन्न स्वेछा से कार्य करने वाली संस्थाओं से यह कहा जाये कि वे अपनी आवश्यकताओं के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें ?

डा० एम० एम० दास बोर्ड का एक कृत्य इस बात की व्यवस्था करना है कि कल्याण परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाये और अन्य कल्याण परियोजनाए बोर्ड के अधीन लाई जायें ।

दिल्ली राज्य को ऋण तथा अनुदान

*९४५. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली राज्य की पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किन कार्यों के निमित ऋण तथा अनुदान दिये गये हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : अब तक कोई ऋण नहीं दिये गये किन्तु अधिक अन्न उगाओ योजनाओं और सामुदायिक परियोजनाओं सम्बन्धी विभिन्न प्रयोजनों के लिए नविकास अनुदान दिये गये हैं ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि ग्रो मोर फूड स्कीम के अन्तर्गत कितनी रकम दी गई है ?

श्री एम० सी० शाह : मेरे पास ये आंकड़े नहीं हैं; मैं माननीय सदस्य को अभी बतला दूंगा ।

श्री नवल प्रभाकर : कितनी रकम दी गई ?

अध्यक्ष महोदय : उन के पास आंकड़े नहीं हैं ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या दिल्ली राज्य ने किसी ऋण के लिए प्रार्थना की थी ?

श्री एम० सी० शाह : कोई ऋण नहीं दिये गये क्योंकि भाग 'ग' राज्य अधि-नियम के अन्तर्गत, उनकी संवित विधियों में, राजस्व और अनुदान होते हैं । जब तक अधिनियम में संशोधन न किया जाये ऋण लेने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जो रकम निश्चित की गई थी उस

में से अब तक कितनी दी गई और क्या उस में से कोई रकम लैप्स हो गई है ?

श्री एम० सी० शाह : जैसा कि मैं ने कहा है, दिल्ली राज्य को कुछ विकास अनुदान दिये जाते हैं । जहां तक शिक्षा, चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य के व्यय का सम्बन्ध है यह आय-व्ययक में दिखाया जाता है । यदि घाटा हो, तो इसे केन्द्र द्वारा दिये गये अनुदानों से पूरा किया जाता है । इन अनुदानों की राशियां यह थीं :

१९५२-५३	५·२५ लाख रु०
१९५३-५४	१४·१८ ,,
१९५४-५५	१२·१९ ,,

आय-व्ययक प्राक्कलनों के अनुसार व्ययगत होने का प्रश्न नहीं उठता ।

औद्योगिक विनियोग निगम

*९४८. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **वित्त** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को प्रस्थापित औद्योगिक विनियोग निगम के संविधान का प्रारूप मिल चुका है ;

(ख) क्या सरकार ने उस पर विचार किया है ; और

(ग) क्या सरकार को उस बातचीत के बारे में कोई सूचना प्राप्त है जो इस सम्बन्ध में विश्व बैंक के साथ हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) तथा (ख). हां, श्रीमान् ।

(ग) उक्त निगम के विनियोग कर्त्ताओं की वाशिंगटन में अगले महीने विश्व बैंक के साथ बातचीत होने की आशा है । यह बातचीत उक्त निगम के सभी पहलुओं के बारे में होगी ।

भारत सरकार का एक प्रतिनिधि भी इस बातचीत से सम्बद्ध रहेगा ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या प्रस्थापित औद्योगिक विनियोग निगम के संविधान के प्रारूप से उस की प्राक्कलित पूंजी का कुछ अनुमान मिलता है ? उस के श्रोत क्या होंगे ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह सूचना पिछले प्रश्नों में दी जा चुकी है जिन का उत्तर दिया गया है । हम ने बताया है कि कुल पूंजी ३५ करोड़ रुपये के लगभग होने की आशा है—७$\frac{1}{2}$ करोड़ रुपया भारत सरकार को दिए गए इस्पात के बदले में मिलने वाली विधि से, ५ करोड़ रुपया भारतीय उद्योगपतियों से, १$\frac{1}{2}$ करोड़ रुपया संयुक्त राज तन्त्र के विकास निगम से, लगभग आधा करोड़ संयुक्त राज्य (अमेरीका) से और शेष विश्व बैंक से प्रत्याशित ऋणों द्वारा ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या, इस देश के योजनाबद्ध औद्योगिक विकास के हेतु, सरकार का इस निगम पर कोई नियंत्रण होगा और वह उन्हें किन्हीं उद्योगों से रुपया हटा कर किन्हीं अन्य उद्योगों में लगाने के लिए कह सकेंगे, अथवा उन्हें इस बात की स्वतन्त्रता होगी कि इसे चाहे जिस उद्योग में लगावें ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह एक निजी निगम होगा किन्तु उस में सरकार का एक निदेशक होगा, अतः इस प्रकार सरकार इस निगम के निर्णयों के समय अपना मत प्रकट कर सका करेगा ।

श्री भागवत झा आजाद : चूंकि यह एक निजी औद्योगिक विनियोग निगम है क्या इसे विदेशी पूंजी को अपने साथ सम्मिलित करने की स्वतन्त्रता होगी ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं ने अभी विदेशी पूंजी के सम्मिलिकरण की बात कही है ।

श्री मेघनाद साहा : क्या इस औद्योगिक विनियोग निगम के संविधान पर संसद् में चर्चा होगी ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह एक निजी निगम है, किन्तु, उपयुक्त समय पर, हम इस के पार्षद् सीमा नियम तथा अर्न्तनियमों के बारे में सूचना और विशेष कर भारत सरकार का करार--अर्थात् भारत सरकार यानी भारत के राष्ट्रपति और उक्त निगम के बीच के करार सभा पटल पर रख सकेंगे ।

आर्थिक गतिविधियों का प्रशासन

*९४९. **श्री बी० के० दास** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना में दिए गए सुझाव के अनुसार सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है जिस के अनुसार ऐसे प्राधिकारियों को जो आर्थिक गतिविधियों से सम्बद्ध हैं सुस्थापित व्यापार संगठनों में प्रशिक्षण दिया जा सके ;

(ख) यदि नहीं तो किन कारणों से; और

(ग) क्या सरकार के पास इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये कोई वैकल्पिक व्यवस्था है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). इस विषय की अभी तक योजना आयोग के परामर्श से जांच की जा रही है । इस का गहरा सम्बन्ध योजना आयोग की अन्य सिपारिशों से है, विशेष कर उन से जो आर्थिक प्रसाशन के हेतु जन शक्ति की व्यवस्था के बारे में हैं और जो पंचवर्षीय योजना के अध्याय ६ की कंडिका १६ में दी हुई हैं ।

श्री बी० के० दास : क्या कोई पूरे समय काम करने वाला प्रशिक्षण निदेशक नियुक्त किया गया है ?

श्री दातार : सरकार ने इस नियुक्ति के बारे में निश्चय तो कर लिया है किन्तु अभी तक वास्तविक नियुक्ति नहीं की गई है ।

श्री बी० के० दास : क्या इस विषय में केन्द्रीय सरकार और राज्यों के बीच कोई समन्वय है ?

श्री दातार : पूर्ण विचार के बाद समन्वय स्थापित किया जा रहा है ।

श्री बी० के० दास : क्या हम इस विषय में शिल्पिक सहयोग योजना से कोई सहायता प्राप्त कर रहे हैं ?

श्री दातार : प्रश्न का यह पहलू भी विचाराधीन है ।

पाकिस्तान से अवैध प्रवेश

*९५०. **श्री राधा रमण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि भारत-पाकिस्तान सीमाओं पर बिना वैध पत्रों के यात्रा करने वाले अनेक व्यक्ति भारत में प्रवेश करते हुए पकड़े गये हैं ;

(ख) पिछले छः महीनों में इस प्रकार पकड़े गये व्यक्तियों में कितने मामलों की रिपोर्ट मिली है; और

(ग) ऐसे लोगों के अवैध प्रवेश को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). मांगी गई सूचना पिछले छः महीने से प्राप्त नहीं है । । जनवरी से अप्रैल, १९५४ तक भारत में अवैध प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या ४१४९ थी । अवैध प्रवेश को रोकने के लिये विभिन्न अवरोध-स्थानों पर गश्त लगाने वाली टुकड़ियों के कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी गई है ।

श्री राधा रमण : मैं जानना चाहता हूं कि इन पकड़े गए लोगों में से कितनों के विरुद्ध अदालती कार्यवाही की गई, और दण्ड दिया गया ?

श्री दातार : मेरे पास यहां आंकड़े नहीं हैं ।

श्री राधा रमण : क्या आप ऐसे व्यक्तियों के पिछले वर्ष के आंकड़े बता सकते हैं ?

श्री दातार : मेरे पास वे आंकड़े बिल्कुल नहीं । मेरे पास प्रस्तुत प्रश्न सम्बन्धी आंकड़े हैं ।

श्री राधा रमण : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन में पाकिस्तान के अतिरिक्त अन्य किसी देश के राष्ट्रजन भी थे ?

श्री दातार : इस प्रश्न का सम्बन्ध केवल पाकिस्तान से है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या ऐसे व्यक्ति भी थे जिन्हें बिना आज्ञापत्र यात्रा करने पर भी भारत में स्थाई निवास की अनुमति दी गई ?

श्री दातार : अवैध प्रवेश के पश्चात् एक प्रक्रिया होती है । उन्हें अदालत में ले जाया जाता है और दण्ड दिया जाता है । उस के बाद वह मामला पाकिस्तान के साथ तय किया जाता है और उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाता है । भारत-पाकिस्तान समझौते के अनुसार उन्हें बलात् नहीं भेजा जा सकता ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं उन की संख्या जानना चाहता हूं ?

श्री राधा रमण : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन में कोई गुप्तचर भी पाये गए या उन के पास कोई अपराध जनक सामान भी था ?

श्री दातार : मैं यहां उस का कोई ब्यौरा नहीं दे सकाता ।

लोहारू रियास्त का खजाना

*९५१. **डा० सत्यवादी** : क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब राज्य की रियासत लोहारु के विलयन के समय साढ़े चार लाख रुपया रियासत के खजाने से लिया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह भी निश्चय हुआ था कि यह धन इसी रियासत के विकास पर व्यय किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने अपने निश्चय को कार्यान्वित किया है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) पंजाब में विलयन के समय, पंजाब-सरकार ने भूतपूर्व लोहारु राज्य के ४,३०,९६१।।≡)।। रुपये अपने अधिकार में किये ।

(ख) और (ग). ऐसे किसी निर्णय का भारत सरकार को पता नहीं है ।

डा० सत्यवादी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस रुपये के मुताल्लिक कोई मुआहदा हुआ था ? यदि हां, तो उस में क्या क्या शरायत थीं ?

डा० काटजू : मैंने अभी अर्ज किया कि जहां तक हम को मालूम हुआ है, कोई मुआहदा नहीं हुआ था ।

ग्रामीण शिक्षा

*९५२. **श्री जांगड़े** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उच्च ग्रामीण शिक्षा के लिये विशेषज्ञ समिति नियुक्ति की गई है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के क्या नाम हैं; और

(ग) समित के निर्देश-पद क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां ।

(ख) १. डा० के० एल० श्रीमाली, शिक्षा मंत्री के सभा सचिव ।

२. श्री जे० सी० माथुर, आई० सी० एस०, शिक्षा सचिव, बिहार ।

३. श्री आर० के० पाटिल, भूतपूर्व विकास मंत्री, मध्य-प्रदेश ।

४. श्री एल० के० एल्महर्स्ट, डार्टिंगटन हाल, ब्रिटेन ।

५. डा० एल० एच० फोस्टर सभापति तुस्केजी इंस्टीटयूट संयुक्त राज्य अमेरीका ।

(ग) यह दल, ग्रामीण उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान पूर्वक अध्ययन करेगा तथा उन्नत विचारों संस्थाओं और प्रयोगों पर विचार करेगा जिस से उच्च शिक्षा के ऐसे नमूने की सिफारिश की जा सके जो ग्रामीण क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके ।

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि देहाती क्षेत्रों की शिक्षा प्रणाली के लिये जो समिति बनाई गई है उस समिति के अनुसार जो शिक्षा प्रणाली देहातों में है वह शहरों की प्रणाली से किस प्रकार भिन्नता रक्खेगी ?

डा० एम० एम० दास : ग्रामीण क्षेत्रों की उच्च शिक्षा का नमूना अभी नहीं बनाया गया है ।

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि देहाती क्षेत्रों की उच्च शिक्षा के लिये जिस तरह समिति बनाई गई है उसी तरह से हाई स्कूल की शिक्षा के लिये भी कोई समिति बनाई गई है या इस के ऊपर कभी विचार किया गया है ?

डा० एम० एम० दास : जहां तक माध्यमिक शिक्षा का प्रश्न है, वह सारे देश में एक-सी है । उस की बहु-प्रयोजनार्थ स्कूल-योजना सरकार के पास विचाराधीन है ।

श्री मेघनाद साहा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रीलय को विश्वविद्यालय-आयोग द्वारा सन् १९४९ में बनाई गई ग्रामीण विश्वविद्यालयों की योजना का पता नहीं है ?

डा० एम० एम० दास : इस प्रश्न का सम्बन्ध उच्च ग्रामीण शिक्षा-समिति से है । यह समिति सूचना एकत्र करने के लिये बनाई गई है ताकि ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित हो सकें ।

श्री जांगड़े : अभी माननीय संसद्-सचिव ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा, देहातों और शहरों में करीब करीब एक-सी है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि देहाती क्षेत्रों की उच्च शिक्षा के लिये क्यों अलग कमेटी बनाई गई है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) यह स्कूलों .....

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं ...

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । माननीय मंत्री की बात सुनिए ।

मौलाना आजाद : यह कमेटी स्कूलों के लिये है, यूनिवर्सिटी के लिये नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लेंगे ।

भारत-जर्मनी औद्योगिक सहकारिता योजना

*९५३. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५४-५५ में भारत-जर्मनी औद्योगिक सहकारिता योजना के अन्तर्गत जर्मनी में प्रशिक्षा पाने वाले शिल्पियों तथा छात्रों की संख्या कितनी है ;

(ख) योजना में अध्ययन के मुख्य विषय क्या हैं ; और

(ग) प्रशिक्षार्थियों के संवरण के लिये क्या विधि अपनाई गई है ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास): (क) ८० ।

(ख) इलैक्ट्रिकल, मेकनीकल और केमिकल इंजीनियरिंग, कोल-माईनिंग, मेटालर्जी, लोहा और इस्पात, कुम्भकारी, औषधि-निर्माण ।

(ग) माननीय मंत्री द्वारा संवरण समिति नियुक्त की गई है ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी: मैं जानना चाहता हूं कि इस योजना के अन्तर्गत, प्रतिशिक्षार्थी केवल राज्य के औद्योगिक उपक्रमों से ही लिये जायेंगे या गैर सरकारी उपक्रमों से भी ?

डा० एम० एम० दास : केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, प्राविधिक संस्थाओं तथा गैर-सरकारी उद्योगों इन नाम निर्देशितों के नाम भेजे हैं ।

सरदार ए० एस० सहगल : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन ९० शिल्पियों को व्यावहारिक प्रशिक्षा के लिये छात्रवृत्तियां दी गई हैं या स्नातकोत्तर प्रशिक्षा के लिये ?

डा० एम० एम० दास : ये ९० शिल्पी तथा इंजीनियर व्यावहारिक प्रशिक्षा प्राप्त करेंगे । स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये १५ छात्रवृत्तियां अध्यापकों तथा गवेषणा कर्त्ताओं को भी दी गई हैं ।

श्री भागवत झा आजाद: मैं जानना चाहता हूं कि जो प्रशिक्षार्थी उच्च शिक्षा के लिये भेजे गए हैं क्या उन्हें इस बात की प्रत्याभूति दी गई है कि लौटने पर उन्हें उसी विषय में अथवा भिन्न भिन्न विषयों में सेवा नियोजित कर लिया जायेगा ?

डा० एम० एम० दास : यह आवश्यक बना दिया गया था कि आवेदन-पत्र के साथ यह प्रमाण-पत्र होगा कि भेजने वाले, वे चाहे केन्द्रीय सरकार हो, या राज्य सरकारें अथवा गैर सरकारी उद्योग हों, उन्हें प्रशिक्षा से लौटने पर नियुक्त करेंगे ।

बोर्रा की गुफाओं में चूने के पत्थर की खानें

*९५४. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में बोर्रा की गुफाओं के पास चूने के पत्थर की खानों की आरम्भिक खोज की गई ;

(ख) क्या यह खोज पूरी हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख). हां श्रीमान्, सन् १९५२-५३ में ।

(ग) खोज करने से पता चला कि बोर्रा के समीप, ५०० फीट चौड़ी चूने के पत्थर की लम्बी परत केल्कनीस सहित पाई गई है । यह लम्बी परत बोर्रा गुफा से दक्षिण में जेरी-गुडा तक पाई जा सकती है । इस चूने में मैगनेशिया की मात्रा अधिक है किन्तु कुछ भाग उस से मुक्त भी पाए गए हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं यह जानना चाहता हूं, कि क्या इस खदान के उपयोग के लिये सरकार द्वारा कोई निर्णय किया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय: हम कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं । यह राज्य सरकार का काम है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच इस विषय पर कोई मंत्रणा की गई है ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे मालूम हुआ है कि आंध्र की एक सोडा ऐश फैक्टरी में इस चूने को काम में लेने के लिये प्रस्ताव है । इस प्रश्न का उत्तर देना वाणिज्य मंत्री का काम है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या आंध्र सरकार ने केन्द्र से टेकनीकल अथवा अन्य किसी प्रकार की सहायता की मांग की है ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे यह मालूम नहीं है ।

बिस्पत

*९५५. **श्री बर्मन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्त्तमान उत्पाद शुल्क शुरु होने के पूर्व बंगाल में उत्पादित 'बिस्पत' (समय से पहले ही पौधों से तोड़ लिये जाने वाली तम्बाकू की पत्तियां ताकि शेष पत्तियां पूर्णरूप से विकसित हो सकें) की क्या मात्रा है ;

(ख) पिछले वर्ष कितनी मात्रा उत्पादित की गई;

(ग) क्या यह सच है कि 'बिस्पत' पर लगाये गये भारी शुल्क के परिणामस्वरूप उत्पादनकर्त्ताओं ने उसे इकट्ठा करना और उसे भांडारों में रखना छोड़ दिया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या विषय का हल ढुंढ़ने की दृष्टि से सरकार उस की जांच करने का विचार रखती है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) और (ख). 'बिस्पत' तम्बाकू के सम्बन्ध में अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि यदि फसल के उगने और पूर्ण रूप से उसका उपचार करने के पहले ही उत्पादन कर्त्ता-उपचारक बेकार पंत्तियों का संग्रह कर उसे नष्ट कर दें तो इन का हिसाब नहीं रखा जाता है; और यदि उन का उपचार कर उन्हें विपणन-केन्द्र में भेज दिया जाये तो तम्बाकू की अन्य किस्मों के साथ उन का भी हिसाब रखा जायेगा ।

(ग) और (घ). सरकार के पास इस आशय की कोई जानकारी नहीं है कि क्या उत्पादन कर्त्ताओं द्वारा 'बिस्पत' इकट्ठा करने के काम को तिलांजली दे दी गई है । फिर भी, जैसा कि सभा को मालूम है, निम्न श्रेणी के तबाम्कू की समस्या, चाहे वह बिस्पत के सम्बन्ध में हो अथवा किसी अन्य प्रकार के तम्बाकू के सम्बन्ध में हो,—अखिल भारत की समस्या है । अस्थायी उपाय के रूप में सरकार ने १९५२-५३ और उस के पूर्व की तबाम्कू की फसलों पर उत्पाद-शुल्क में २५ प्रतिशत की छूट दे दी है ।

श्री बर्मन : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि मैंने स्पष्ट रूप से यह कह दिया है कि 'बिस्पत' और पका तम्बाकू यह दो प्रकार का तम्बाकू होता है, क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि शुल्क की ऊंची दर के कारण ही कृषकों द्वारा बिस्पत की पैदावार, समाप्त कर दी गई है ?

श्री ए० सी० गुहा : हमारी जानकारी के अनुसार 'बिस्पत' को तम्बाकू की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है । पश्चिमी बंगाल में दो प्रकार का तम्बाकू पैदा होता है—'जाठी' और 'मोतीहारी'; और 'बिस्पत' केवल अविकसित पत्तियां ही हैं जिन का कभी संग्रह किया जाता है और कभी नहीं ।

मेरा विश्वास है कि मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हो सकता हूं कि उन्हें

इन पत्तियों से जो कीमत मिलती है वह आर्थिक कदापि नहीं है। हमने यथासंभव पूरी जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया है और विशेष रूप से बाढ़ की वर्त्तमान ऋतु में कूच-बिहार के असिस्टेंट कलेक्टर ने हमारे पास तार द्वारा संवाद भेजा है कि उक्त क्षेत्र में जानकारी एकत्र करना सम्भव नहीं है। लेकिन कलकत्ता में केन्द्रीय उत्पाद के कलेक्टर के पास जो भी जानकारी उपलब्ध हुई है उस से पता चलता है कि १९५१-५२ के पूरे वर्ष में केवल ६,००० पौंड का ही संग्रह किया जा सकता था और दूसरे वर्षों के सम्बन्ध में हमारे पास जानकारी नहीं। फिर भी हम गणना करें तो ६,००० पौंड की यह मात्रा बहुत अधिक नहीं है; क्योंकि १९५०-५१ में १ करोड़ ८० लाख पौंड उत्पादन की तुलना में यह नगण्य है।

श्री बर्मन: कलेक्टर ने कुछ भी आंकड़े मुहैया किए हों, किन्तु सरकार यह स्वीकार करती है कि 'बिस्पत' का मूल्य आर्थिक यानी मितव्ययी नहीं, और इस सचाई को देखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस प्रकार के तम्बाकू पर कम दरों से शुल्क लगाने के सम्बन्ध में विचार करेगी ?

श्री ए० सी० गुहा: दूसरे प्रकार का तम्बाकू की कैसी भी किस्म क्यों न हो, हमारे पास केवल निम्न श्रेणी और उच्च श्रेणी का ही तम्बाकू हो सकता है, और विशेष रूप से निम्न श्रेणी का तम्बाकू बीड़ी बनाने में प्रयुक्त किया जाता है अथवा नहीं, केवल यही वर्गीकरण है जिस के अनुसार उत्पाद शुल्क में परिवर्त्तन किया जायेगा। अतः मैं नहीं समझता कि इस विषय में विशेष रूप से जांच करने का कोई अभिप्राय है। लेकिन बाढ़ समाप्त हो जाने पर मैं यह सुझाव रख सकता हूं कि हम कूच-बिहार के केन्द्रीय उत्पाद विभाग से आगे और जांच करा सकते हैं जिस के अधीन यह प्रदेश आता है।

श्री एन० बी० चौधरी: जैसा विकास हुआ है, उसे देखते हुए और इस वर्ष के पर्यवेक्षण की कठिनाइयों के विषय में इन क्षेत्रों के पदाधिकारियों से सरकार द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन पर भी ध्यान देते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस प्रकार के तम्बाकू अर्थात् बिस्पत को केवल इस वर्ष के लिये शुल्क से मुक्त करने का विचार रखती है ?

श्री ए० सी० गुहा: मेरा विचार है कि प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदय: हां, जो उत्तर पहले दिया गया है उसे देखते हुए ऐसा ही है।

असिस्टेंटों की भरती

*९५६. **श्री रिशांग किशिंग**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सच है कि सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और दूसरे पिछड़े वर्ग की जातियों से सम्बंधित लगभग एक सौ व्यक्तियों को केन्द्रीय सचिवालय में असिस्टेंटों के स्थान पर भरती करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो अपवर्णित तीनों जातियों में असिस्टेंट्स के एक सौ स्थानों के वितरण की क्या पद्धति है; और

(ग) भरती किस समय तक हो जायेगी ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) केन्द्रीय सचिवालय में असिस्टेंटों के एक सौ स्थायी पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्धित १०० ग्रेजुएट्स (स्नातकों) को भरती करने का निर्णय किया गया है। अभी तक यह ज्ञात नहीं है कि किन वर्गों अथवा समूहों को पिछड़े वर्गों का समझा जायेगा।

(ख) अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिये ७२ और अनुसूचित आदिम जातियों के २८; परन्तु यदि किसी एक वर्ग में उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न हो तो दूसरे वर्ग से इस कमी की पूर्ति कर दी जायेगी ।

(ग) यथासम्भव शीघ्र ही परीक्षण का आयोजन कर इन असिस्टेंटों के संवरण का प्रबन्ध करने के लिये संघ लोक सेवा आयोग से प्रार्थना की गई है ।

श्री रिशांग किशिंग : मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने यह देखने के लिये क्या प्रयत्न किये हैं कि इन स्थानों के विज्ञापन पर्वतीय क्षेत्रों के सुदुर भागों तक पहुंच जायें जहां पर संचार का उचित प्रबन्ध नहीं है लेकिन योग्यता प्राप्त व्यक्ति हैं ?

श्री दातार : संघ लोक सेवा आयोग के पास विभिन्न पदों के लिये विज्ञापन की संतोशजनक पद्धति है, और वे सामान्य मार्ग अपनायेंगे ।

श्री रिशांग किशिंग : क्या सेवा के सभी वर्गों के लिये प्रति वर्ष इस प्रकार की विशेष भरती करने का सरकार का इरादा है ?

श्री दातार : नहीं ।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : यह निर्णय अभी नहीं किया गया है ।

माननीय मित्र ने इस विशेष भरती के विज्ञापन के सम्बन्ध में जो प्रश्न पहले पूछा था । मैं उस के सम्बन्ध में एक वाक्य और कह दूं । मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि संघ लोक सेवा आयोग मनीपुर और दूसरे आदिम जाति-क्षेत्रों के मुख्य आयुक्त से सम्पर्क स्थापित करें और इन्हें विज्ञापित करने के लिये जिला पदाधिकारियों के मार्फत विशेष प्रयत्न किये जायें ।

श्री दातार : मैं यह भी कह दूं कि एक सौ असिस्टेंटों की यह भरती केवल इसी वर्ष के लिये है और जब तक सरकार का अन्यथा विचार न हो, प्रतिवर्ष भरतियां नहीं हुआ करेंगी ।

श्री नानादास : क्या मैं इन उम्मीदवारों के संवरण के लिये निर्धारित योग्यताएं जान सकता हूं ।

श्री दातार : योग्यताएं इस प्रकार की हैं कि वे ग्रेजुएट हों और जो खुले बाजार से आते हैं (हंसी) .... सदस्यों को हंसना नहीं चाहिये । 'खुला बाजार' एक टेकनीकल अभिव्यंजना है । इस का अभिप्राय उन व्यक्तियों से है जो सेवा में नहीं हैं । उन की उम्र तीस वर्ष से कम होनी चाहिय और जो पहले से ही सेवा नियोजित हैं, उन की उम्र तैंतीस वर्ष तक की होनी चाहिए ।

श्री जयपाल सिंह : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अनुसूचित जातियों में से केवल २८ पदों की ही भरती करनी है, क्या सरकार ने इस बात का हिसाब लगाया है कि प्रादेशिक प्रतिनिधान का अनुपात हो ताकि उम्मीदवार देश के केवल एक भाग से ही न आ जायें ?

श्री दातार : प्रादेशिक अनुपात पर ध्यान रखना सरकार के लिये संभव नहीं है । जहां तक अनुसूचित आदिम जातियों का सम्बन्ध है यदि वह पूरी संख्या में उपलब्ध हो सके तो हमें बड़ा संतोष होगा ।

कलाकारों को सहायता

*९५७. **श्री एस० वी० एल० नरसिंहम्** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या वयोवृन्ह संगीतज्ञों, अभिनेतागण, चित्रकारों और कलाकरों को

१९५४-५५ में कोई सहायता अनुदान दिये गये हैं ;

(ख) उन के संवरण के आधार का मापदण्ड क्या है ; और

(ग) संहायता दिये गये व्यक्तिओं की क्या संख्या है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) अनुदान कलाकारों की उन की अपने अपने क्षेत्र में ख्याति और उन की दीन परिस्थितियों के आधार पर दिये जाते हैं ।

(ग) छः ।

श्री एस० वी० एल० नरसिंहन् : उक्त छः कलाकारों में से आंन्ध्र के कितने हैं ?

डा० एम० एम० दास : मैं नाम पढ़ देता हूं लेकिन इस में यह उल्लेख नहीं है कि वे आंध्र के हैं अथवा मद्रास या बंगाल, आदि के हैं ।

अध्यक्ष महोदय : नाम पढ़ना आवश्यक नहीं है ।

नैपाल में भारतीय सैनिक

*९५८. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जुलाई-अगस्त, १९५४ के बाद से नैपाल में स्थित कितने भारतीय सैनिकों की मृत्यु हुई है; और

(ख) वहां पर बाढ़ से कौन कौन और लगभग कितने मूल्य का सामान बह गया है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) एक कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अधिकारी बह गया था ।

(ख) जल की सतह बढ़ जाने के कारण बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का सर्वेक्षण नहीं किया जा सका है । अतः पूरे विवरण उपलब्ध नहीं हैं ।

श्री विभूति मिश्र : यह जो आदमी सरकार के फलड्स से मर गये हैं क्या उन के बाल बच्चों की परवरिश के लिये सरकार समुचित प्रबन्ध कर रही है ?

श्री त्यागी : उस में कोई नया प्रबन्ध करने का सवाल नहीं उठता क्योंकि यह जो जमादार उस में बह गये हैं वह एक दरिया के किनारे उन की ड्यूटी थी कि एक दम दरिया बढ़ गया और वह उस में बह गये, वह जगह कोई खतरे की जगह नहीं समझी जाती थी ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या बाढ़ के कारण त्रिभुवन राजपथ को, जहां पर हमारे सैनिक कर्मचारी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, कोई क्षति पहुंची है ?

श्री त्यागी : इस के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या जो सरकार की क्षति हुई है उस की पूर्ति नैपाल सरकार करेगी ?

श्री त्यागी : जिन लोगों के मरने से क्षति पहुंची है उन के परिवारों को पेन्शन दी जायेगी ।

विदेशी फर्मों के लाभ

*९५९. **श्री बुच्चिकोटैय्या** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में चालू विदेशी फर्मों और समवायों द्वारा १९५४ में अभी तक कितना लाभ बाहर भेजा गया है; और

(ख) इस प्रकार सब से अधिक धन-राशि किस देश को हस्तांतरित की गई और ऐसे लाभ की राशि क्या है ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) जनवरी से जून, १९५४ के काल में, जिस के आंकड़े उपलब्ध हैं, भारत में चालू विदेशी फर्मों और समवायों द्वारा बाहर भेजा गया लाभ ९·१० करोड़ रुपये का था ।

(ख) अधिकतम राशि, अर्थात् ७·८२ करोड़ रुपये, ब्रिटेन को भेजी गई थी ।

श्री बुच्चिकोटैय्या : १९५३ में ले जाये गये लाभ की कुल राशि कितनी है ?

श्री बी० आर० भगत : १९५३ में ऐसा कुल लाभ १६,७१,४०,००० रुपये था ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को मालूम है कि इन विदेशी फर्मों के द्वारा लाभ के रूप में भेजे गये लाभ के अतिरिक्त ऐसी फर्में, विदेशों से माल आयात करते समय, आयातित वस्तुओं के मूल्य दिखाती है, और छुपे हुए लाभ के रूप में बहुत अधिक धनराशि ले जाती हैं ? इस लूट को रोकने के लिये सरकार के पास कोई व्यवस्था है ?

श्री बी० आर० भगत : सीमाशुल्क विभाग और भारत का रक्षित बैंक भी सामान्य रोकथाम करता है ।

श्री टी० एन० सिंह : खड़े हुए—

श्री वी० पी० नायर : बात यह नहीं है.....

अध्यक्ष महोदय : श्री टी० एन० सिंह ।

श्री टी० एन० सिंह : ये फर्में अन्यत्र अपने कार्यालयों को छुपी तौर पर जो शेष धन भेजती हैं, उस से और अधिक मूल्य दिखा कर या कम मूल्य दिखा कर तथा अन्य विभिन्न हस्तांतरण के तरीकों से भी क्या सरकार परिचित है और निगरानी रखती है ?

श्री बी० आर० भगत : जहां तक अन्यत्र शेष राशियों के हस्तांतरण का संबंध है, पता नहीं उन की रोकथाम कैसे हो सकती है । परन्तु रक्षित बैंक इस मामले में सजग है और इस पर कड़ी निगरानी रखता है ।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं यह बता देना चाहता हूं कि विनिमय के दृष्टिकोण से लाभ के प्रेषण के मार्ग में कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं । इसी प्रकार पूंजी का हस्तांतरण भी अब मुक्त है । अतः किसी विनिमय के वंचन का कोई प्रश्न नहीं उठता । जहां तक आयकर का संबंध है, माननीय सदस्य से पूर्व पूछे गये प्रश्न में निहित जानकारी से विभाग को दिलचस्पी हो सकती है ।

छावनी बोर्ड सम्मेलन

*९६१. **श्री भक्त दर्शन** : क्या रक्षा मंत्री २८ अप्रेल, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २०९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न छावनियों से कुछ क्षेत्रों को अलग करने के प्रश्न और असैनिक क्षेत्रों की भूमि सम्बन्धी समस्याओं के बारे में कुछ अन्तिम निर्णय किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन की एक प्रति पटल पर रखी जायेगी ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) दिल्ली छावनी की कुछ भूमि अलग की गई है । इस के अतिरिक्त अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है । इस भूमि पर गैर सरकारी स्वामित्व था और गत युद्ध काल में यह छावनी में सम्मिलित कर ली गई थी ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री भक्त दर्शन : मुझे पता लगा है कि इस सम्बन्ध में जो कान्फरेंस हुई थी उस के सिलसिले में विभिन्न छावनी बोर्डों को एक आदेश पत्र भेजा गया है । क्या मैं जान सकता हूं कि उसके बारे में उत्तर आने की

कोई तिथि निर्धारित की गई है कि वह कब तक जबाव भेज सकेंगे ?

सरदार मजीठिया : जहां तक छावनी बोर्डों और भूमि के अलग करने का संबंध है, मैं स्वयं तीन छावनियों में गया हूं, और वहां मैंने यह देखा कि उस क्षेत्र में रहने वाले लोग उस क्षेत्र के अलग किये जाने के विरुद्ध हैं । जहां तक अन्य छावनियों का सम्बन्ध है, मैं प्रत्येक छावनी की जांच कर रहा हूं और इस लिये अभी तक मैं उन के बारे में कुछ कहने में असमर्थ हूं ।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह बात सत्य है कि गवर्नमेंट ने यह निश्चय किया है कि नैनीताल, अलमोड़ा और लंढोरा के जो बेकार कैन्टानमेन्ट्स हैं उन को समाप्त कर दिया जाये और उन के बदले में और नई छावनियों की स्थापना की जाय ?

सरदार मजीठिया : अभी तक हमने यह निश्चय नहीं किया है, क्योंकि रानीखेत का उचित रूप से उपयोग किया जा रहा है । अलमोड़ा में कुछ इमारतें खाली पड़ी हैं और हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि उन का अच्छे से अच्छा उपयोग किस प्रकार हो सकता है ।

श्री भक्त दर्शन : मैं ने जो प्रश्न पूछा था उस के केवल एक अंश के बारे में मंत्री महोदय ने जबाव दिया है । प्रश्न का दूसरा अंश जो है वह यह है कि वहां जो भूमि सम्बन्धी नियम हैं उन में सुधार करने के बारे में भी क्या कान्फरेंस में कोई विचार किया गया था और किया गया था तो उस के बारे में कोई निर्णय किया गया है ?

सरदार मजीठिया : कुछ समय पूर्व मैं इस प्रश्न का यह उत्तर दे चुका हूं कि जो कुछ भी निर्णय किये गये थे, उन के फलस्वरूप छावनी बोर्डों को उन की शक्तियों के उदारीकरण करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं और अब असैनिक क्षेत्र समितियां वस्तुतः स्वायत्तशासी हैं ।

विद्यालय की पाठ्यपुस्तकें

*९६२. **श्री एम० एन० सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि राज्यों में भिन्न भिन्न विद्यालयों में एक सी कक्षाओं की पाठय पुस्तकें भिन्न भिन्न हैं और प्रतिवर्ष उन का परिवर्तन किया जाता है तथा इस से शिक्षा के प्रसार में बाधा पड़ती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन भिन्नताओं और परिवर्तनों को रोकने और इस दिशा में सभी राज्यों के मार्ग दर्शन के लिये कोई नीति निर्धारित करेगी ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) तथा (ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १७].**

श्री ए० एम० थामस : ऐसा प्रतीत होता है कि १९४३ में एक विशेष समिति की सिफारिशें राज्यों में परिचालित की गई थीं । क्या राज्यों से कोई प्रतिवेदन मांगा गया है, क्या सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है और क्या सरकार को मालम है कि बताये गये दोष अभी तक विद्यमान हैं ?

डा० एम० एम० दास : राज्यों से कोई प्रतिवेदन नहीं मांगा गया है । मैं यह बता दूं कि इस मामले में राज्य सरकारें समर्थ प्राधिकार हैं ।

श्री एस० एन दास : इस कार्य के लिये कौन सा राज्य दोषी पाया गया है ?

डा० एम० एम० दास : यह राज्य सरकारों का काम है ।

योगाभ्यास सम्बन्धी प्राध्यापक पद

*९६४. **बाबू रामनारायण सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री २२ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने योगाभ्यास को प्रोत्साहित करने के लिये विश्वविद्यालयों में योगाभ्यास सम्बन्धी प्राध्यापक पद बनाने के प्रश्न पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये हैं ;

(ग) क्या शारीरिक शिक्षा मन्त्रणा बोर्ड द्वारा स्थापित की गई उप-समिति के अंतिम प्रतिवेदन पर विचार किया जा चुका है; और

(घ) यदि हां, तो समिति किन परिणामों पर पहुंची है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) और (ख) विश्वविद्यालयों में योगाभ्यास जानने वालों को काम पर लगाने के सम्बन्ध में वर्त्तमान स्थिति के बारे में विश्वविद्यालयों से पता लगाया जा रहा है, पूरी जानकारी एकत्र होने पर इसे शारीरिक शिक्षा तथा मनोरजंन केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड की अगली बैठक में विचार के लिये रखा जायेगा ।

(ग) और (घ) शिक्षा मंत्रालय में इस पर विचार किया जा रहा है और अंतिम रुप से विचार के लिये इसे शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड की अगली बैठक में रखा जायेगा ।

बाबू रामनारायण सिंह : क्या सभा-सचिव को यह विदित है कि गत छः वर्ष से दिल्ली में एक योगाश्रम कार्य कर रहा है और नगर में इस की कई शाखायें हैं और इन में से कुछ इस सभा के सदस्यों के लिये भी हैं, जिन में योगासन सिखाये जाते हैं और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संस्था के कार्य की प्रशंसा करने अथवा उसे प्रोत्साहन देने के लिये कोई वित्तीय सहायता दी है ?

डा० एम० एम० दास : मुझे पता नहीं कि माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित इस संस्था को कोई वित्तीय सहायता दी गई है अथवा नहीं । परन्तु मैं इतना जानता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में योग इत्यादि के सम्बन्ध में गवेषण के लिये ७५,००० रु० से अधिक अनुदान के रूप में दिये जा चुके हैं ।

बाबू रामनारायण सिंह : क्या सभा-सचिव को यह विदित है कि रूस जैसे विदेश ने भी बच्चों की भलाई के लिये अपनी शिक्षा संस्थाओं में योगासन प्रणाली को आरम्भ किया है, और यदि हां, तो क्या कारण है कि हमारी सरकार लोगों को इस प्रणाली से पूरा पूरा लाभ उठाने के लिये सहायता नहीं दे रही है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य तर्क कर रहे हैं, उन का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या सरकार को यह विदित है कि अमरीका और रूस से जो स्वास्थ्य दल यहां आये थे वे अपने देशों में यह प्रणाली क्रियान्वित कर चुके हैं और यहां कुछ भी नहीं किया जा रहा है ?

डा० एम० एम० दास : इन संविधानीय प्राधिकार का प्रयोग करते हुए सरकार की शक्ति में जो कुछ है वह कर रही है । इस प्रणाली के विकास के लिये उन्होंने संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी है । मैं सभा को यह बतला दूं कि हमारे विश्वविद्यालयों में से दो में अर्थात् बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और अन्नमलई विश्वविद्यालय में ऐसे अध्यापक भी नियुक्त कर लिये गये हैं जो योगाभ्यास की शिक्षा देते हैं ।

कई माननीय सदस्य उठे—

अध्यक्ष महोदय: मैं अगला प्रश्न लेता हूं, एक और प्रश्न लिया जा सकता है ।

राष्ट्रीय संग्रहालय

*९६५. **श्री आर० एस० तिवारी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राष्ट्रीय संग्रहालय के लिये कोई संचालक नियुक्त किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) संग्रहालय अभी प्रथम अवस्था में है, संचालक के पद की व्यवस्था संग्रहालय के विकास की दूसरी अवस्था में की जाती है ।

श्री आर० एस० तिवारी: क्या श्रीमान् को मालूम है कि संचालक न होने से संग्रहालय की उन्नति में बाधा पड़ रही है ?

डा० एम० एम० दास: सरकार को अच्छी प्रकार विदित है कि ठीक प्रकार काम करने के लिये कोई पदाधिकारी होने चाहियें।

श्री मेघनाद साहा: क्या संग्रहालय का विकास बिना संचालक के किया जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल समाप्त ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पंजाब विश्वविद्यालय को अनुदान

*९२७. **श्री डी० सी० शर्मा:** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३-५४ में पंजाब विश्वविद्यालय को गवेषणा सामग्री, पुस्तकालयों, भवनों, कर्मचारिवृन्द को बढ़ाने तथा अन्य योजनाओं के लिये कितना अनुदान दिया गया ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : १९५३-५४ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विज्ञान संबंधी विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययन के विकास के लिये १,५०,००० रु० का अनावर्तक अनुदान दिया था ।

'जिप्सी मेजर' इंजन

*९२९. **श्री एच० एन० मुकर्जी:** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय विमान बल के विमानों में अभी तक 'जिप्सी मेजर' इंजन प्रयोग किये जाते हैं, जबकि इंग्लैंड में जहां इन का निर्माण होता था यह प्रयोग में नहीं लाये जाते; और

(ख) क्या यह सच है कि इन इंजनों के संधारण और चलाने में अधिक व्यय होता है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) भारत और इंग्लैंड दोनों में यह इंजन प्रयोग में लाये जाते हैं ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

काश्मीर में प्रवेश

*९३१. **सेठ गोविन्द दास:**
श्री बादशाह गुप्त:

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि काश्मीर में प्रवेश के लिये अनुज्ञापद्धति का कब तक अन्त होगा ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : जम्मू तथा काश्मीर में प्रवेश पर राज्य सरकार द्वारा लागू किये गये विनियमों के अनुसार नियन्त्रण किया जाता है । किन्तु उन्होंने भारत सरकार द्वारा जारी की गई अनुज्ञाओं को स्वीकार करने की सहमति दे दी है । इस अवस्था में यह भविष्यवाणी करना कठिन हैं कि राज्य सरकार द्वारा इन विनियमों के कब तक वापस लिये जाने की सम्भावना है ?

राष्ट्रीय छात्र सेना

*९४१. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय छात्र सेना का विस्तार योजना पर १९५४-५५ में कितना रुपया व्यय होने का अनुमान है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द) : राज्यों के ३६ लाख रुपये को मिला कर लगभग ९४ लाख रुपये ।

जम्मू तथा काश्मीर का भूतत्वीय परिमाप

*९४२. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** क्या प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत के भूतत्वीय परिमाप ने जम्मू तथा काश्मीर में अपनी कार्यवाही आरम्भ कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो कब और उस के क्या परिणाम हुए हैं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) और (ख). एक विवरण जिस में १९५४-५५ की शरद् ऋतु में राज्य में भारत के भूतत्वीय परिमाप द्वारा किये जाने वाले प्रस्तावित अनुसंधान कार्यों का ब्यौरा दिया हुआ है सभा-पटल पर रखा जाता है; [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध सं० १८].

पाकिस्तानी विद्यार्थियों का शिष्टमन्डल

*९४३. **श्री माधव रेड्डी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि एक सांस्कृतिक तथा विद्यार्थियों का शिष्टमण्डल अप्रैल १९५४ में पाकिस्तान से भारत आया था ?

(ख) यदि हां, तो इस के कितने सदस्य थे; और

(ग) वे किन किन स्थानों पर गये ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) २९ ।

(ग) जहां तक सरकार को विदित है आगरा, अजमेर, कलकत्ता , दिल्ली और जौनपुर ।

भाग 'ख' राज्यों को विशेष सहायता

*९४६. **पंडित मुनीश्वरदत्त उपाध्याय :** क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भाग 'ख' राज्य (विशेष सहायता) जांच समिति की सिपारिशों के अनुसार भाग 'ख' राज्यों को दिये गये अनुदानों के उपयोग के सम्बन्ध में वर्त्तमान स्थिति क्या है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध सं० १९].

स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास

*९४७. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी प्रदेश के, जिस में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आसाम हैं, स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास की सामग्री एकत्र करने में क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषण मंत्री (मौलाना आज़ाद) : काफ़ी सामग्री एकत्र की जा चुकी है तथा और की जा रही है । किन्तु इस समय विस्तृत ब्यौरा बताना सम्भव नहीं है ।

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड

*९६३. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) प्रथम अप्रैल और ३१ अगस्त १९५४ के बीच हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट

फ़ैक्टरी, बंगलौर में कितने रेलगाड़ी के डिब्बे बनाये गये ।

(ख) क्या तब से कारखाने में रेल के डिब्बे बनाने वाले विभाग का सामर्थ्य बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार क्या कार्मवाही की गई है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) ६६ ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) कार्य करने के अधिक स्थान की व्यवस्था करने के लिये तथा और निर्माण सामर्थ्य की व्वयस्था करने के लिये इमारतें बनाई जा रही हैं । कार्यकुशलता को बढ़ाने और उत्पादन के व्यय को कम करने के लिये आधुनिकतम उपकरण प्राप्त किये जा रहे हैं ।

रुस द्वारा टेक्नीकल सहायता

*९६६. **श्री महोदय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि रुस भी संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में कम विकसित देशों को टेकनीकल सहायता देता है और ऐसे देशों के छात्रों को टेक्नीकल प्रशिक्षण की सुविधायें देता हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या रुस की शर्तें अमरीका की शर्तों से अच्छी हैं ; और

(ग) सरकार ने इन सुविधाओं से लाभ उठाने के लिये क्या कार्यवाही की है अथवा उस का करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) संयुक्त राष्ट्र टैक्नीकल सहायता संथा को यह सूचना दी गई है कि भारत सरकार रुस के टेक्नीकल विशेषज्ञों को स्वीकार करने के लिये तैयार है यदि वे उस कार्य के लिये उपयुक्त और अर्हता प्राप्त हों जिस कार्य के लिये उन की आवश्यकता है और यदि उन्हें अंग्रेजी का अच्छा काम चलाऊ ज्ञान हो । प्रशिक्षार्थियों को रुस भेजने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र टेक्नीकल सहायता संथा को यह सूचना दी गई है कि भारत की यह इच्छा है कि वह पहले ज्येष्ठ पदाधिकारियों का एक खोजी दल वहां भेजे ताकि कतिपय क्षेत्रों में यह जाना जा सके कि रुस में उच्च प्रशिक्षण के लिये भारतीय छात्रों को भेजा जा सकता है अथवा नहीं ।

नागार्जुनकोंडा में संग्रहालय

*९६७. **श्री रघुरामय्या** : क्या शिक्षा मंत्री १० मार्च १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या तब से आंध्र राज्य के नागार्जुनकोंडा में संग्रहालय ले जाने का निश्चय किया जा चुका है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : नहीं, श्रीमान् ।

छात्र-वृत्तियां

*९६८. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त १९४७ से अब तक केन्द्रीय सरकार ने पंजाब राज्य के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़े वर्गों के छात्रों को कुल कितनी राशि की छात्रवृत्तियां दी हैं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : वर्ष १९५३-५४ तक १,०६८ छात्रवृत्तियां जिन पर ५,६०,१०१ रुपये व्यय हुए ।

भारत इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग

*९६९. **श्री ए० के० गोपालन :**
श्री वी० पी० नायर :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) ३१ मार्च १९५४ तक भारत में भारत इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग पर कितना व्यय किया गया ;

(ख) इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है और कब तक कारखाने के चालू हो जाने की आशा है ;

(ग) इस में कितने विदेशी विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं और ३१ मार्च, १९५४ तक उन्हें कुल कितना वेतन आदि दिया गया; और

(घ) प्रशिक्षण स्कूल और गवेषणा विभाग कब तक तैयार हो जायेंगे और कार्य आरंभ कर देंगे ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) (लगभग) १४ लाख रुपये ।

(ख) यह समवाय अप्रैल १९५४ में भारतीय समवाय अधिनियम के अधीन पंजीबद्ध किया गया था । कर्मशाला के भवन का निर्माण आरम्भ हो चुका है, और उत्पादन की प्रथम अवस्था के लिये अपेक्षित मशीनरी खरीदने के लिये आवश्यक प्रबन्ध कर लिये गये हैं । जून १९५६ तक उत्पादन आरम्भ होने की सम्भावना है ।

(ग) अभी तक कोई विदेशी शिल्पिक नियुक्त नहीं किया गया है ।

(घ) प्रशिक्षण स्कूल १९५४ के अन्त तक स्थापित हो जायेगा । गवेषणा विभाग का कार्य १९५७ के आरम्भ में आरंभ होने की संभावना है ।

भारत और पाकिस्तान के बीच वित्तीय विवाद

*९७०. **श्री डाभी :** क्या **वित्त** मंत्री १४, मई १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २४९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उन के भारत और पाकिस्तान के बीच शेष वित्तीय विवादों के सम्बन्ध में पाकिस्तान के वित्त मंत्री से कब तक बातचीत पुनः आरम्भ करने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मुझे आशा है कि मैं इस मास वाशिंगटन में पाकिस्तान के वित्त मंत्री से मिलूंगा और पता करूंगा कि वार्त्तालाप पुनः आरम्भ करने की कहां तक सम्भावना है ?

प्रशिक्षण कालेजों में गवेषणा

*९७१. **श्री एस० एन० दास :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) प्रशिक्षण कालेजों को विशेष समस्याओं पर गवेषणा करने में प्रोत्साहन देने के लिये बनाये गये कार्यक्रमों की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या किसी राज्य में इस प्रकार का कोई गवेषणा कार्य आरम्भ किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो कहां और किस प्रकार की गवेषणा आरम्भ की गई है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजन के लिये कुल कितनी राशि नियत की है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध सं० २०**].

पेट्रोल की खोज

*९७२. **श्री झूलन सिन्हा :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार के साथ किये गये करार के अनुसार बंगाल में स्टैंडर्ड वेकम आयल समवाय ने

पैट्रोल की खोज के विषय में अब तक कितनी प्रगति की है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : यह सूचना मिली है कि हुगली नदी के दोनों तटों के क्षेत्रों में एक शीघ्र गवेषणा के दौरे के लिये शिल्पज्ञों का एक छोटा दल भेजा गया है ।

केन्द्रीय न्यायालय सम्बन्धी प्रयोगशाला

*९७३. **चौ० रघुवीर सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २० अप्रैल १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९१२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उस के बाद केन्द्रीय न्यायालय सम्बन्धी प्रयोगशाला स्थापित करने का निश्चय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कहां स्थापित की जायेगी; और

(ग) उस पर लगभग कितना व्यय होगा ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां ।

(ख) प्रयोगशाला के स्थान के संबंध में अभी कोई निश्चय नहीं किया गया है ।

(ग) कर्मचारिवृन्द संबंधी प्रश्न को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया, इस लिये लागत नहीं बताई जा सकती ।

अफ़्रीकन अध्ययन का विभाग

९७४. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** :
श्री राधा रमण :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक अफ़्रीकन अध्ययन का विभाग खोलने का निश्चय किया है ताकि भारतीय अफ़्रीकन इतिहास और संस्कृति का अध्ययन कर सकें; और

(ख) यदि हां तो यह विभाग कब खोला जायेगा ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) यथासम्भव शीघ्र ।

बैंकों को अनुज्ञप्तियां न देना

*९७५. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९४९ के बाद से कितने बैंकों को अनुज्ञप्ति देने से इन्कार किया गया है, और इस के क्या कारण हैं ?

(ख) इन में से कितनों की अनुज्ञप्तियां पहले वापस ली गई थीं ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) अगस्त, १९५४ तक ऐसे बैंकों की संख्या १३ थी । इन १३ बैंकों में से एक बैंक के संबंध में भारत का रक्षित बैंक शर्त (ग) के बारे में संतुष्ट नहीं हुआ था और शेष १२ बैंक बैंकिंग समवाय अधिनियम की धारा २२ की उप धारा (३) में निर्दिष्ट दोनों शर्तों (क) और (ख) अथवा उन में से एक को पूरा नहीं करते थे ।

इस के अतिरिक्त एक बैंकिंग समवाय को दी गई अनुज्ञप्ति बाद में रद्द कर दी गई थी, क्योंकि इस का कार्य एक और बैंकिंग समवाय ने सम्भाल लिया था ।

(ख) प्रश्न का यह भाग स्पष्ट नहीं है । बैंकिंग समवाय अधिनियम के अधिनियमित होने से पूर्व रक्षित बैंक द्वारा बैंकों को अनुज्ञप्ति देने की प्रणाली चालू नहीं थी । यदि यह जानने की इच्छा हो कि कितने बैंकों को एक बार अनुज्ञप्ति देने से इन्कार करने के पश्चात् उन में सुधार होने पर अनुज्ञप्तियां दी गई थीं, तो ऐसा कोई बैंक नहीं है । ३४ बैंकों में से, जिन्हें अब तक

अनुज्ञप्तियां दी गई हैं, १० को अनुज्ञप्तियां तब दी गई थीं जब भारत के रक्षित बैंक द्वारा निरीक्षण के पश्चात् उन्हें बताई गई प्रक्रिया सम्बन्धी छोटी मोटी और अनियमितताओं को दूर करने के लिये कार्यवाही कर ली गई थी ।

अंडेमानी

*९७६. **श्री भागवत झा आजाद :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) अंडेमान के मूल निवासियों की जनसंख्या में शीघ्रता से कमी होने के क्या कारण हैं; और

(ख) इस जाति को पूर्णतः नष्ट होने से बचाने के लिये क्या साधन अपनाये गये हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) और (ख). १८५८ में जब पोर्ट ब्लेयर में अपराधियों की बस्ती बसायी गई थी तो अंडेमानियों ने अत्यंत विरोध किया था । उन्होंने बसाये गये क्षेत्रों पर धावे किये थे । कई बार सशस्त्र मुठभेड़ों के कारण इन आदिम जातियों की संख्या कम हो गई । बाद में उन्हें सभ्य बनाने का प्रयास किया गया । इस का उन के रहन-सहन के स्वाभाविक ढंग पर प्रभाव पड़ा और उन का आचार बिगड़ गया । रोग, वयस्कों की अधिक मृत्यु संख्या और कम जन्म संख्या के कारण इस आदिम जाति की संख्या बहुत कम रह गई । बचे हुए लोगों को अब अपने स्वाभाविक ढंग से रहने दिया जाता है । यह नीति उन मानव-विज्ञान-वेत्ताओं के विचारों के अनुसार अपनायी गई है । जिन का यह विचार है कि यदि उन आदिम लोगों को सुरक्षित रखना है तो उन्हें अपने रीति रिवाजों अर्थ-व्यवस्था और परिस्थितियों के अनुसार रहने देना चाहिये । इन द्वीपों में आदिम जातियों से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिये उन का अध्ययन करने और उपायों की सिफारिश करने के लिये मानव-विज्ञान विभाग का एक उप-केन्द्र पोर्ट-ब्लेयर में स्थापित कर दिया गया है ।

प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि

*९७७. **श्री गिडवानी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने उन लोगों को प्रमाणपत्रों की प्रतिलिपि देने के लिये कोई कार्यवाही की है, जिन के प्रपत्र पश्चिमी पाकिस्तान के विभिन्न बैंकों के लाकर्स में रह गये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि रिर्जव बैंक ने उन पुरस्कार बन्ध-पत्रों के प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि या उन का धन वापस देने से इन्कार कर दिया है जो कि वहां छट गये हैं, यद्यपि सम्बद्ध व्यक्ति आवश्यक क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिये तैयार हैं; और

(ग) इस विषय में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) क्योंकि पुरस्कार बन्ध-पत्र वाहक बन्ध-पत्र होते हैं और इन्हें दिखाने मात्र से कोई भी व्यक्ति सरकार से उस का मूल्य प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है, अतः वे यह नहीं समझते कि केवल दावेदार का क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र रिर्जव बैंक के प्रतिलिपि देने के लिये पर्याप्त है ।

(ग) सरकार पाकिस्तान से लाकरों और तिजोरियों में जमा वस्तुओं के हस्तान्तरण के लिये वहां की सरकार से बातचीत कर रही है ।

बाल-साहित्य

*९७८. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बाल-साहित्य के सृजन को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से प्राप्त सुझावों के आधार पर कोई योजना बनायी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २१]

पश्चिमी बंगाल में भूमि का अर्जन

*९७९. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) तारकेश्वर (पश्चिमी बंगाल) के निकट कई गांवों में सरकार जिन किसानों की भूमि ले रही है क्या उन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का उन किसानों की सहायता करने के लिये जिन की आजीविका पर इस का प्रभाव पड़ा है इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां ।

(ख) भूस्वामियों को जब तक उन की भूमियां अधिगृहीत रहेंगी तब तक के लिये आवर्त्तक प्रतिकर दिया जायेगा और उस के पश्चात् जब उन की भूमियों का अर्जन कर लिया जायेगा, तो उन्हें अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम, १९५२ के अधीन प्राप्य अर्जन की लागत दी जायेगी ।

प्रादेशिक सेना

*९८१. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में जनता ने प्रादेशिक सेना के प्रति कितना उत्साह दिखाया है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : पंजाब में जनता ने प्रादेशिक सेना के प्रति सम्पूर्ण रूप से सन्तोषजनक उत्साह दिखाया है। इस समय प्रान्तीय एककों में संख्या मंजूर संख्या की ९४ प्रतिशत और नगरीय एककों में ७१ प्रति शत है ।

प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों का वेतन

*९८२. **श्री ए० के० गोपालन** :
श्री वी० पी० नायर :
श्री पुन्नूस :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को भारत में प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों के वेतन समान करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में त्रावनन्कोर–कोचीन राज्य की प्राथमिक पाठशालाओं के ७,००० से अधिक अध्यापकों द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या उस ज्ञापन में भारत सरकार से उन राज्यों को अर्थ-साहाय्य देने की प्रार्थना की गई है जिन में प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों को अपेक्षाकृत कम वेतन-स्तर मिलता है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रार्थना के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) इन अध्यापकों को वेतन-स्तर बढ़ाना राज्य सरकारों का काम है, जो कि स्वयं इस विषय के महत्व को समझती है और केन्द्रीय सरकार समय समय पर इस की अत्यावश्यकता की ओर उन का ध्यान दिलाती रहती है ।

विश्व-भारती

*९८३. **श्री एस० एन० दास:** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) विश्व-भारती विश्वविद्यालय में जो कुछ हो रहा है उस के सम्बन्ध में १७ अप्रैल, १९५४ के "विजिल" के एक सम्पादकीय लेख की ओर जिसे कि मई १९५४ के "मार्डन रिव्यू" में पृष्ठ ३३८-३३९ पर विस्तार से उद्धत किया गया है क्या सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्पादकीय लेख में उठायी गई बातों के सम्बन्ध में अभी तक कोई स्पष्टीकरण किया गया है ; और

(ग) क्या सरकार जांच करवाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा, मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). जी नहीं ।

सशस्त्र सेना पुनर्संगठन समिति

*९८४. **चौधरी रघुवीर सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अबतक सशस्त्र सेना पुनर्संगठन समिति की सारी सिफारिशें कार्यान्वित नहीं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) अब तक कितनी बचत हुई है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) हां ।

(ख) समिति की कुछ सिफारिशों को स्वीकार न करने के कारण या तो ये हैं कि उन सिफारिशों में कुछ अनुपयुक्त जोखिम सम्मिलित है या यह है कि उन से वर्त्तमान परिस्थितियों में कुछ गम्भीर प्रशासकीय कठिनाइयां उत्पन्न होंगी । स्थिति पर निरन्तर रूप से विचार हो रहा है और यदि बाद में यह महसूस होता है कि इन सिफ़ारिशों में से कोई भी कार्यान्वित की जा सकती है,तो ऐसा किया जायेगा ।

(ग) कोई अनुमान लगाना तो कठिन है, परन्तु आशा है कि लगभग २ करोड़ रु० की वार्षिक बचत होगी ।

विद्यार्थियों तथा शिक्षकों का अदल बदल

*९८५. **श्री झूलन सिन्हा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विगत पांच वर्षों में भारत तथा अन्य किसी देश के बीच विद्यार्थियों तथा शिक्षकों का कोई अदल बदल हुआ है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : हां श्रीमान् ।

भारतीय नौसेना पोत

*९८६. **श्री भागवत झा आजाद :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय नौसेना के कितने पोतों में तेजोन्वेष (राडर) यन्त्र लगाये गये हैं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द) : भारतीय नौसेना के केवल दो पोतों को छोड़ कर सभी पोतों में तेजोन्वेष यन्त्र लगे हुए हैं । शेष पोतों में भी तेजोन्वेष यन्त्र लगाने का प्रबन्ध हो रहा है ।

धूप चूल्हा

*७८३. **श्री एस० सी० सिंघल :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ के वर्ष में अब तक कितने धूप-चूल्हे बने तथा बेचे गये हैं ; और

(ख) क्या वाणिज्यिक काम पर चूल्हे बनाने के लिये औद्योगिक फर्मों को निर्माण-कार्य सौंपने का कोई सुनिश्चित आधार है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) तथा (ख) एक विवरण, जिस में अपेक्षित सूचना दी है, सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २२]**

श्रीनगर सम्मेलन

*८००. **डा० सत्यवादी :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून १९५४ में श्रीनगर में उन के सभापतित्व में हुए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में केन्द्रीय सरकार का कितना व्यय हुआ; और

(ख) सम्मेलन में किन किन विषयों पर विचार किया गया और उन पर क्या क्या विनिश्चय किये गये ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) कुल ५६३५ रु० ८ आने व्यय हुये। वास्तव में सम्मेलन का सभापतित्व उपमंत्री ने किया था।

(ख) एक विवरण जिस में सम्मेलन की सिफारिशों का उल्लेख है ; सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २३]**. उन पर सरकार शीघ्र ही विनिश्चय करेगी।

मूल गवेषणा कार्य का समन्वय

*८१४ **श्री के० सी० सोंधिया :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन मूल गवेषणा कार्यों के लिये केन्द्रीय सरकार अनुदान देती है, क्या उन में समन्वय करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इसे सभा पटल पर रखेगी ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) तथा (ख) एक विवरण जिस में अपेक्षित सूचना दी है, सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २४]**.

भूतत्वीय परिमाप में विदेशी व्यक्ति

*८१५. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आजकल भूतत्वीय परिमाप में कोई विदेशी व्यक्ति भी है, यदि हां तो कितने; और

(ख) उन की अर्हतायें क्या क्या हैं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) तथा (ख) कोई नहीं।

सैनिक डिपो

४६३. **श्री वी० पी० नायर**
डा० रामा राव :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देहू में निम्नलिखित डिपोओं में कंक्रीट के खम्भों से स्थायी घेरे बना दिये गये हैं —

(१) सी० ओ० डी०

(२) ई० एस० डी०

(३) गाड़ी डिपो

(४) डी० ओ० डी०

(५) एम० ए० सब-डिपो;

(ख) इन घेरों के बनाने में कुल कितना व्यय हुआ; और

(ग) क्या यह सच है कि ये घेरे यह निश्चय करने से पहले ही बना दिये गये थे कि इन डिपोओं को स्थायी बनाया जाये या नहीं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) तथा (ख) पांचों डिपोओं में केवल अस्थायी घेरे बनाये गये हैं और इस पर कुल ६,८७,००० रु० व्यय हुए हैं।

(ग) घेरे भी स्थायी नहीं हैं।

सैनिक इंजीनियरिंग सेवा का कार्यों पूर्व-लेखापरीक्षण

४६४. **श्री बी० पी० नायर**: क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैनिक इंजीनियरिंग सेवा कार्य पर होने वाले व्यय का पूर्व-लेखा परीक्षण नहीं होता है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने सैनिक इंजीनियरिंग कार्यों का पूर्व-लेखा परीक्षण आरम्भ करने के औचित्य पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो उन का विनिश्चय क्या है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी): (क) नहीं। साधारणतया: सैनिक इंजीनियरिंग सेवा (१) सैनिक इंजीनियरियों से सम्बद्ध यूनिट गणकों द्वारा पूर्व-जांच या (२) रक्षा लेखा-नियन्त्रकों द्वारा पूर्व-परीक्षा, होने के पश्चात भुगतान करती है। इस नियम में दो अपबाद हैं, अर्थात् :

(क) बाह्य-अधीक्षक मस्टर रौल पर काम करने वालों तथा अस्थायी कार्य के लिये रखे गये कर्मचारियों के बिलों का (औद्योगिक तथा अन-औद्योगिक), भुगतान पूर्व जांच हुए बिना ही कर सकते हैं। ऐसे भुगतान उन के अग्रदाय तक ही सीमित होते हैं जो प्राय: ५०० रु० होता है।

(ख) यदि सैनिक इंजीनियर अधिकार दे दे तो बाह्य अधीक्षक २०० रु० तक के छोटे छोटे बिलों का भी भुगतान कर सकते हैं।

(ख) से (घ) —उत्पन्न नहीं होते।

तम्बाकू पर उत्पादन-शुल्क (पुर्निया)

४६५. **श्री एम० इस्लामुद्दीन**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा चरेंगे कि :

(क) १९५३-५४ में पुर्निया जिले से तम्बाकू पर कितना उत्पादन-शुल्क वसूल किया गया ; और

(ख) कथित वर्ष में जिला के उत्पादन-शुल्क कर्मचारियों पर कितना व्यय हुआ ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): (क) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रखी जायेगी।

(ख) जिलानुसार ठीक आंकड़े प्राप्त नहीं है क्योंकि समस्त पर्यवेयक्षी कर्मचारियों का आनुपातिक वितरण नहीं हो सकता।

युनेस्को साहित्य

४६६. **श्री डी० सी० शर्मा:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३-५४ में युनेस्को ने भारत को कितने रुपयों के मूल्य की पुस्तकें तथा पत्रिकायें दीं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद): युनेस्को के शिल्पिक सहायता कार्यक्रम के अधीन २६,३७१ रु० ७ आने के मूल्य की पुस्तकें व पत्रिकायें मिलीं । युनेस्को द्वारा प्रकाशित पुस्तकें तथा पत्रिकायें भी देश में मुफ्त वित्तरण के लिये प्राप्त होती हैं । उन के मूल्य का ठीक पता लगाना सम्भव नहीं है ।

भारतीय प्रशासन सेवा (आई० ए० ऐस० परीक्षा)

४६७. **सेठ गोविन्द दास :** क्या **गृह-मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३ में हुई भारतीय प्रशासन सेवा (आई० ए० एस०) भारतीय विदेश सेवा (आई० एफ० एस०) और भारतीय पुलिस सेवा (आई० पी० एस०) परीक्षाओं में, जिन के परीक्षाफल १९५४ में घोषित किये गये थे, प्रति एक लाख जनसंख्या के अनुपात से किस राज्य के निवासियों में से सर्वाधिक एवं न्यूनतम अभ्यर्थी संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा सफल घोषित किये गये हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): एक विवरण, जिस में अपेक्षित सूचना दी है, सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २५]**

एक अन्य विवरण भी, जिस में भारतीय विदेश सेवा, भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में सफल घोषित विभिन्न राज्यों के अभ्यर्थियों की संख्या दी है, सभा टल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २५].**

इंगलैण्ड के बैंकों में हैदराबद का धन

५६८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी:** क्या **राज्य मंत्री** तारांकित प्रश्न संख्या १०२५ के संबंध में, जिस का उत्तर १५ मार्च १९५४ को दिया गया था, यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्री मोईन नवाज जंग के विरुद्ध, जिस ने हैदराबाद का धन बारक्लेज़ बैंक लि०, लंदन, में जमा किया था, इंग्लैंड के न्यायालय द्वारा दी डिग्री में निष्पादक कार्यवाहियां आरम्भ हो गई हैं; और

(ख) इस अभियोग में भारत सरकार ने कुल कितना धन व्यय किया है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) कार्यवाहियां समाप्त हो गई हैं और बारक्लेज बैंक लि०, लंदन, में जो धन जमा है वह हैदराबाद सरकार की ओर से लंदन स्थित भारतीय उच्चायुक्त ने प्राप्त कर लिया है ।

(ख) इस अभियोग में भारत सरकार ने कोई व्यय नहीं किया ।

सम्पत्ति का मूल्यांकन

४६९. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाडक :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्पत्ति-शुल्क अधिनियम, १९५३, के कार्यान्वित होने के पश्चात् मूल्यांककों ने उस अधिनियम के अधीन अब तक, राज्यानुसार, कितनी सम्पत्ति का मूल्यांकन किया है; और

(ख) अब तक, राज्यानुसार, कितने मूल्यांकन नियुक्त किये गये हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): (क) अधिनियम के अधीन हाल में ही

नियुक्त हुए मूल्यांककों ने अभी तक किसी सम्पत्ति का मूल्यांकन नहीं किया है ।

(ख) विभिन्न प्रकार की सम्पत्तियों का मूल्यांकन करने के लिये अब तक ४५३ मूल्यांकन नियुक्त किये गये हैं । एक विवरण, जिस में उन का राज्यानुसार वितरण दिया है, सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २६]**

स्नातक और उत्तरस्नातक

४७०. **श्री एस० सी सिंघल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों से निकले कला विज्ञान, वाणिज्य और विधि के स्नातकों और उत्तर स्नातकों की संख्या के आंकड़े रखती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उन की पिछले तीन वर्षों की संख्याओं को बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखेगी; और

(ग) गत तीन वर्षों में कितने विद्यार्थियों को शिल्पिक विषयों (व्यवसायिक विषयों) के उपाधि-पत्र और प्रमाण पत्र दिये गये हैं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) हां ।

(ख) और (ग) . १९५१, १९५२ और १९५३ के सम्बन्ध में पूछी गई सूचना को बताने वाले दो विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २७].**

राष्ट्रीय गवेषणा विकास निगम

४७१. **श्री एस० सी० सिंघल**: क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय गवेषणा विकास निगम पर उसके प्रारम्भ से कितना आवर्त्तक और अनावर्तक व्यय हुआ है;

(ख) अब तक इस ने व्यापारिक प्रयोग की कितनी गवेषणाओं और अन्वेषणों का विकास किया; और

(ग) इस निगम की सेवाओं का लाभ कितनी संस्थाओं और कितने व्यक्तिओं ने उठाया ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) ३१-८-५४ तक आवर्तक व्यय : ४२,९७९ रु० अनावर्त्तक व्यय : कुछ नहीं ।

(ख) व्यापारिक संस्थाओं से १२ प्रक्रियाओं के विकास का प्रबन्ध सम्पन्न हो चुका है और अनुज्ञप्ति समझौते किये जा रहे हैं ।

(ग) २८ ।

ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति

४७२. **चौ० रघुवीर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो १९५३-५४ की अवधि में उत्तर प्रदेश में इम्पीरियल बैंक की कितनी शाखायें खोली गईं ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) तथा (ख) ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति द्वारा इस सम्बन्ध में की गई सिफारिशों का अनुसरण करते हुए जुलाई १९५१ से जून १९५३ की अवधि में भारत के इम्पीरियल बैंक ने ३४ शाखायें खोली हैं जिन में १० उत्तर प्रदेश में हैं । आगामी तीन वर्षों की अवधि के लिये भारत के इम्पीरियल बैंक ने ८० नवीन शाखाओं के खोलने के लिये एक सूची बनाई है जिन में से ११ स्थान उत्तर प्रदेश में हैं । इन ११ स्थानों में से निम्न तीन स्थानों पर इम्पीरियल बैंक की

शाखायें १९५३-५४ (१ जुलाई १९५३ से ३० जून १९५४) की अवधि में खोल दी गई हैं :—

१. मिर्ज़ापुर
२. रुड़की
३. बिजनौर

बिहार को ऋण

४७३. **श्री नगेश्वर प्रसाद सिन्हा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने बिहार राज्य को सड़कों के विकास के लिये ऋण और अनुदान के रूप में कितनी धन राशि देना स्वीकार कर लिया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : आवश्यक सूचनाओं को बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २८]

अनुसूचित जातियों का कल्याण

४७४. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली राज्य की अनुसूचित जातिओं के कल्याण के लिये पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत बनायी गयी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन में से प्रत्येक पर क्रमशः केन्द्रीय एवं दिल्ली राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि व्यय की गई ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) अनुसूचित जातियों के बीच शिक्षा की वृद्धि के लिये राज्य योजना के अन्तर्गत केवल एक ही योजना है जिसे 'अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति/वृत्ति सम्प्रदान' कहा जाता है । दिल्ली राज्य अनुसूचित जातियों के छात्रवृत्ति वृत्ति बोर्ड द्वारा नियमों के अनुसार माध्यमिक स्कूलों के सभी पात्र विद्यार्थियों को यह सम्प्रदान दिये जाते हैं । केन्द्रीय सरकार द्वारा अस्पृश्यता निवारण हेतु १९५३-५४ के लिये स्वीकृत योजनायें निम्न हैं :—

(१) भवनों का निर्माण,

(२) कुओं का निर्माण और मरम्मत,

(३) जन-कल्याण केन्द्रों को अनावर्तक अनुदान, और

(४) प्रचार ।

वर्त्तमान आर्थिक वर्ष (१९५४-५५) के लिये योजनायें विचाराधीन हैं ।

(ख)

वर्ष	राशि जो केन्द्र द्वारा स्वीकृत हो चुकी हैं या स्वीकृत की जाने वाली है	दिल्ली राज्य सरकार द्वारा व्यय की गई राशि
१	२	३
	रुपये	रुपये
१९५१–५२	—	६०,६४४
१९५२–५३	—	८३,५२३
१९५३–५४	७७,५००	९२,५४०
१९५४–५५	१,००,००० (सीमा निश्चित)	१,४०,००० (व्यय किये जाने की आशा)

सार्वजनिक संयुक्त पूंजी समवाय

४७५. **पंडित मुनेश्वर दत्त उपाध्याय :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्त्तमान समय में भारत में कितने सार्वजनिक सयुंक्त पूंजी समवाय हैं और उन की सम्पूर्ण परिदत्त पूंजी कितनी है ;

(ख) ऐसे समवायों में कितनों के प्रबन्धक अभिकर्ता हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में इन प्रबन्धक अभिकर्त्ताओं ने पारिश्रमिक के रू प में कितनी राशि ली है; और

(घ) एक प्रबन्धक अभिकर्त्ता के द्वारा अधिक से अधिक कितने समवायों का प्रबन्ध होता है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह): (क) ३१-३-५३ को सार्वजनिक समवायों की संख्या १२,०५५ थी और उन की सम्पूर्ण परिदत्त पूंजी ६२८ करोड़ रुपये थी ।

(ख) से (घ) . पूछी गई सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है ; और उस का उस रूप में संग्रह करने में जिस रूप में वह मांगी गई है जो समय और शक्ति का व्यय होगा वह उस के द्वारा प्राप्त परिणाम को सार्थक नहीं करेगा । तथापि, १७९५ समवायों जिन में असार्वजनिक और सार्वजनिक समवाय भी सम्मिलित हैं, और जिन में अधिकांश प्रसिद्ध समवाय जिन का प्रबन्ध प्रबन्धक अभिकर्त्ता करते हैं भी सम्मिलित हैं के सम्बन्ध में जो कुछ भी सूचना संग्रहीत हो सकी है उस को बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २९.]**

विदेशों में अध्ययन की सुविधायें

४७६. **श्री बहादुर सिंह**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने १९५४ में कितने गैरसरकारी विद्यार्थियों के अध्ययन या प्रशिक्षण की अनुज्ञा प्राप्त करने के आवेदन पत्र विदेशों में भारतीय दूतों के पास भेजे गये हैं; और

(ख) किन देशों ने ऐसे विद्यार्थियों को सुविधायें प्रदान कीं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद): (क) १७० ।

(ख) इंगलिस्तान, संयुक्त राज्य अमरीका, आस्ट्रेलिया, स्वीडन और कनाडा

भारत ईराक सांस्कृतिक समझौता

४७७. **श्री डी० सी० शर्मा**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में कोई भारत-ईराक सांस्कृतिक समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की शर्तें क्या हैं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद): (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) समझौते की शर्तों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती हैं । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३०.]**

टाउन हाल (त्रिपुरा)

४७८. **श्री वीरेन दत्त**: क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरतला (त्रिपुरा) में किसी नये टाउन हाल के बनाने का विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसे बनवाने में अनुमानत: कितना धन लगेगा;

ग) उस के लिये धन कौन देगा; और

(घ) उस के तैयार हो जाने में कितना समय लगेगा ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) से (ग) . पता लगा है कि अगरतला के कुछ प्रमुख नागरिक वहां लगभग एक लाख रुपये की लागत से एक टाऊन हाल बनाने के अभिप्राय से जनता से चन्दा इकट्ठा कर रहे हैं ?

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि यह कार्य सरकार द्वारा नहीं कराया जाने वाला है ।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण

४७९. **डा० सत्यवादी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का उद्देश्य और व्याप्ति क्या है;

(ख) इस सर्वेक्षण में प्रत्येक राज्य के कितने गांव शामिल होंगे;

(ग) पंजाब, पैप्सू और हिमाचल प्रदेश के उन गांवों के नाम क्या हैं जो इस योजना के अन्तर्गत आ चुके हैं या आ जायेंगे; और

(घ) इस योजना के वर्त्तमान क्रम में कब तक कार्यारंभ हो जायेगा और अगले क्रम में क्या कार्य होगा !

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निम्न रूपों में कार्य करेगा :

(१) इधर उधर बिखरे हुये क्षेत्र से जहां से बड़े पैमाणे पर नमूने के आंकड़े संग्रहीत किये जा सकते हैं और जो केन्द्रीय योजना तथा राष्ट्रीय आय प्राक्कलन के कार्य के लिये जरुरी हैं, आंकड़े इकट्ठा करने वाला और स्वतन्त्र रूप से उन की जांच करने वाला केन्द्रीय अभिकरण ;

(२) सम्पूर्ण देश के लिये सम्पूर्ण खाद्य संभरण का अनुमान लगाने वाली और अधिक अन्न उपजाओं आन्दोलन के प्रयत्नों के परिणाम का मूल्य निर्धारित करने वाली संस्था; और

(३) स्वास्थ्य, श्रम, शिक्षा, यातायात, उद्योग और ग्रामीण ऋण इत्यादि के सम्बन्ध में विशेष और तदर्थ जांच की सम्बन्धित मंत्रालयों अथवा अन्य अभिकरणों के सहयोग से व्यवस्था करने वाला मूल ढांचा ।

(ख) यह प्रत्येक सर्वेक्षण के उद्देश्य और व्याप्ति पर निर्भर है और एक स्थायी संस्था नहीं है ।

(ग) पंजाब, पैप्सू और हिमाचल प्रदेश के उन गांवों की एक सूची जिन के सम्बन्ध में विभिन्न सर्वेक्षण के समय जांच की गई है, संलग्न है ।

(घ) वर्त्तमान क्रम का कार्य अगस्त १९५४ में प्रारम्भ हो गया । वर्त्तमान क्रम को समाप्त कर लेने के पश्चात् ही दूसरे क्रम के प्रारम्भ की तिथि का निश्चय किया जा सकता है ! [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३१**]

त्रिपुरा में दर्ज किये गये फौजदारी के मामले

४८०. **श्री बिरेन दत्त** : क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में अभी तक त्रिपुरा के भिन्न भिन्न थानों द्वारा फ़ौजदारी के कितने मामले दर्ज किये गये हैं;

(ख) ऐसे मामलों की विशेषता क्या है :

(ग) इन मामलों के संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं; और

(घ) ऐसे फौजदारी के मामलों को फिर से न होने देने के लिये क्या निवारक उपाय करने का विचार है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) उस राज्य में अप्रैल से जुलाई १९५४ के काल में दर्ज किये गये फौजदारी के मामलों की संख्या ४३९ है ।

(ख) ये मुख्यतः सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध के मामले हैं।

(ग) ३९० (अप्रैल से जुलाई, १९५४)।

(घ) थाने के कर्मचारियों द्वारा रात की गश्त बढ़ा दी गई है और प्रभावित क्षेत्रों में डकैती रोकने के गश्ती शिविर खोले गये हैं। अपराध को रोकने के मामले में पुलिस की सहायता करने के लिये बहुत से गांवों में ग्रामीण रक्षा दल बनाये गये हैं। जाने हुए एवं संदिग्ध अपराधियों पर निगरानी रखी जाती है।

राष्ट्रीय थियेटर (त्रिपुरा)

४७१. **श्री बीरेन दत्त :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के राष्ट्रीय थियेटर तथा कला के किसी संगठन में सहायता के लिये अपना मामला भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) शिक्षा मंत्रालय में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भूमिगत गैस

४८२. **श्री अजित सिंह :** क्या प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण भारत में तिरुप्यालियूर गांव के निकट भूमिगत गैस का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो उस का पूरा विवरण क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) से (ग) भारत के भूतत्वीय परिमाप को यह सूचना मिली थी कि मद्रास के दक्षिण आर्काट जिले के निरुप्यालियूर नामक स्थान के निकट नाथावेली गांव में नलकूप खोदते समय धरातल से लगभग ५८ फीट नीचे (शायद मार्श गैस) देखी गई थी (परन्तु भारत के भूतत्वीय परिमाप के जिस अधिकारी ने उस क्षेत्र का दौरा किया उस को धरती में किये गये उस छेद में से कोई गैस निकलती हुई नहीं दिखाई दी।

रक्षा सम्बन्धी कार्य

४८३. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व भारतीय रियासतों को रक्षा संबंधी कार्य कराने के लिये १५ अगस्त, १९४७ से प्रत्येक रियासत के विलीनीकरण तक अग्रिम धनों की कुल कितनी राशि दी गई तथा कौन कौन से वर्षों में वे दिये गये ;

(ख) प्रत्येक भाग 'क' तथा 'ख' राज्य के नाम पर अभी कितना बकाया है; और

(ग) उसे वसूल करने की वर्त्तमान व्यवस्था क्या है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) से (ग) तक. सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है और एकत्रित की जा रही है।

आंग्ल-अमरीकी पूंजी

४८४. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई १९५४ की 'उद्योग तथा व्यापार पत्रिका' के ६२१वें पृष्ठ पर भारतीय उद्योगों में लगी हुई आंग्ल-अमरीकी पूंजी के सम्बन्ध में दिये गये आंकड़े नवीनतम हैं ;

(ख) यदि हां, तो यह जानने के लिये सरकार के पास क्या साधन है कि १९४८ के बाद यह पूंजी घट रही है या बढ़ रही है और इस कमी या वृद्धि का अनुपात क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिये कब और किस अभिकरण द्वारा काम आरंभ करने का सरकार का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). रिज़र्व बैंक भारत में लगी हुई विदेशी पूंजी की गणना के काम में लगा हुआ है। जब यह गणना पूरी हो जायेगी तब दिसंबर, १९५३ के अन्त तक की स्थिति पर प्रकाश पड़ेगा। तब सरकार को विदित होगा कि १९४८ के बाद से विदेशी पूंजी घट रही है या बढ़ रही है।

भूतत्वीय सर्वेक्षण

४८५. **श्री विश्वानाथ रेड्डी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री १९५१ से आन्ध्र राज्य के अभाव के क्षेत्रों में भूगर्भीय संसाधनों का पता लगाने के लिये यदि कोई विशेष भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया हो, तो उस के परिणामस्वरूप प्राप्त हुए फल बताने की कृपा करेंगे ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : उपलब्ध जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३२**]।

अनुसूचित जातियों के लिये छात्रवृत्तियां

४८७. **श्री एन० ए० बारेकर** क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : मध्य प्रदेश के अनुसूचित जातियों के अनुसूचित आदिम जातियों के तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को वर्ष १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में कुल कितनी राशि की छात्रवृत्तियां दी गईं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) जहां तक शिक्षा मंत्रालय का सम्बन्ध है, १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में मध्य प्रदेश के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को कुल ८१५,२२८ रुपये की १,६८१ छात्रवृत्तियां दी गईं। अन्य मंत्रालयों से सूचना मांगी गई है और उन की ओर से भी कोई छात्रवृत्तियां दी गई होंगी तो वह सूचना सभा पटल पर रख दी जायगी।

राष्ट्रीय संग्रहालय

४८८. **श्री आर० एस० तिवारी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली के लिये अब तक संस्कृत और पाली के कितने ग्रंथ और कितने चित्र खरीदे गये हैं ;

(ख) इन को कहां से खरीदा गया है; और

(ग) इन को प्राप्त करने में अब तक कितना व्यय हुआ है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) से (ग) तक. एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३३**]।

लोक-सभा

वाद विवाद

बुधवार,
१५ सितम्बर, १९५४

Chamber Lib. 18/X/23

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

खंड ७, १९५४

(१३ सितम्बर से ३० सितम्बर, १९५४)

सप्तम सत्र
१९५४

विषय-सूची

खंड ७—१३ सितम्बर से ३० सितम्बर, १९५४

सोमवार १३ सितम्बर, १९५४

	स्तम्भ
सभा का कार्य	१२९३—१२९५, १३००—१३०७
स्थगन प्रस्ताव—	
कलकत्ते में गोवध-विरोधी प्रदर्शनकारियों पर लाठी व अश्रु गैस का प्रयोग	१२९५–१२९६
पटल पर रखे गये पत्र—	
बिजली के पीतल के लैम्प होल्डर उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प	१२९६
परिरक्षित फल उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना आदि.	१२९६–१२९७
शीशे की चादरें बनाने के उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना आदि	१२९७
साइकिल उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना आदि	१२९७–१२९८
सुरमा उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना .	१२९८
रूई तथा बालों के पट्टे के उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना	१२९८–१२९९
कोको पाउडर और चाकलेट उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना	१२९९–१३००
विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी विवरण . . .	१२९९–१३००
१९५४–५५ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें—प्रस्तुत की गई .	१२९९
भारत में बाढ़ की स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव—संशोधित रूप में पारित	१३०८–१३०९
संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपा गया	१३०९–१३११
विशेष विवाह विधेयक—खण्डवार विचार—असमाप्त . . .	१३१२–१३७६

मंगलवार, १४ सितम्बर १९५४

विशेष विवाह विधेयक—खंडवार विचार—असमाप्त . .	१३७७–१४६६

बुधवार, १५ सितम्बर १९५४

	स्तम्भ
पटल पर रखे गये पत्र—	
भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर रायें .	१४६७
भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, १९५४ . .	१४६८
भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ . .	१४६८
अखिल भारतीय सेवायें (यात्रा भत्ता) नियम, १९५४ . .	१४६८
अखिल भारतीय सेवायें (चिकित्सा सुविधा) नियम, १९५४ .	१४६८
अखिल भारतीय सेवायें (प्रतिकर भत्ता) नियम, १९५४. .	१४६८
भारतीय पुलिस सेवा (वर्दी) नियम, १९५४. . .	१४६८
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति के चौथे प्रतिवेदन का उपस्थापन	१४६८–१४६९
समिति के लिये निर्वाचन—नारियल जटा बोर्ड . . .	१४६९
चन्द्रनगर (विलय) विधेयक, १९५४—पुरःस्थापित . .	१४६९
विशेष विवाह विधेयक—खण्डवार विचार—असमाप्त . .	१४६९–१५५३
रेलवे प्लेटफार्मों पर रूसी प्रकाशनों की बिक्री . . .	१५५३–१५६४

बृहस्पतिवार, १६ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—	
भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन तथा भारतीय पुलिस सेवा) वेतन नियम १९५४ का परिशिष्ट	१५६५
राज्य-सभा से सन्देश	१५६५–१५६६
तारांकित प्रश्न संख्या २३२३—क के उत्तर की शुद्धि . .	१५६६
संयुक्त समिति के लिये सदस्यों का नामनिर्देशन संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५४ के अन्तर्गत नियम बनाने के लिये संयुक्त समिति	१५६७
सदस्य की दोष-सिद्धि	१५६७
औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) विधेयक—पुरःस्थापित	१५६८
विशेष विवाह विधेयक—संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१५६८–१६५८

शुक्रवार, १७ सितम्बर, १९५४

भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५४—याचिका की सूचना दी गई	१६५९
भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक, १९५४—सम्मतियां प्राप्त हुई . . .	१६६०

दहेज निषेध विधेयक तथा दहेज का निषेध विधेयक—याचिका उपस्थापित की गई . . . . . स्तम्भ १६६०

बैंकों की अपीलों पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूप भेद करने के आदेश के सम्बन्ध में वक्तव्य . . १६६१

विशेष विवाह विधेयक—संशोधित रूप में पारित . . १६६१–१७०८, १७१८-१७२०

भारतीय आय-कर (संशोधन) विधेयक —विचारार्थ प्रस्ताव—असमाप्त १७०९–१७१८

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के साठवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत . . १७२०–१७२६

भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक, १९५४—पुरःस्थापित . १७२६

काजी विधेयक, १९५४—पुरःस्थापित . . . १७२७

अत्यावश्यक वस्तु (अस्थायी शक्तियां) संशोधन विधेयक, १९५४—वाद-विवाद स्थगित हुआ १७२८–१७४०

बनस्पति उत्पादन तथा विक्रय प्रतिषेध विधेयक, १९५४—विचारार्थ प्रस्ताव—असमाप्त . . . १७४१–१७७२

शनिवार, १८ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

समुद्र–सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . . १७७३

भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक—पारित . . १७७३–१८५३

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक, १९५४—विचारार्थ प्रस्ताव—असमाप्त १८५३–१८६०

सोमवार, २० सितम्बर १९५४

राज्य-सभा से सन्देश १८६१–१८६२

पटल पर रखे गये पत्र—

परिसीमन आयोग, भारत, अंतिम आदेश संख्या १६, दिनांक ३० अगस्त, १९५४ . . . . . १८६२–१८६३

संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित १८६३

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति के चौथे प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव—स्वीकृत १८६३

स्थगन प्रस्ताव—

लाजपत नगर में विस्थापित व्यक्तियों पर लाठी चार्ज . . १८६४–१८६५

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण (संशोधन) विधेयक–पारित . १८६५–१९११

चन्द्रनगर (विलय) विधेयक—संशोधित रूप में पारित . . १९११–१९३९

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—विचारार्थ प्रस्ताव—असमाप्त १९३९–१९५४

मंगलवार, २१ सितम्बर १९५४

स्थगन प्रस्ताव— स्तम्भ

लाजपत नगर में नीलाम के अवसर पर कथित लाठी चार्ज १९५५–१९५७

पटल पर रखे गये पत्र—

सीमेन्ट सम्बन्धी औद्योगिक समिति के दूसरे सत्र की कार्यवाही का सारांश १९५७

विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण १९५७–१९५८

भारत के औद्योगिक वित्त निगम का छठा वार्षिक प्रतिवेदन . १९५८

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—संशोधित रूप में पारित १९५८–१९७६

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक—विचारार्थ प्रस्ताव—संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—असमाप्त १९७६–२०५८

बुधवार, २२ सितम्बर १९५४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—बारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन . . . २०५९

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक—पारित . २०५९–२१२४

संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक— विचार करने का प्रस्ताव (चर्चा असमाप्त) २१२४–२१६६

बृहस्पतिवार, २३ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखा गया पत्र—

काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक सम्बन्धी प्रवरस मिति के सामने दिये गये साक्ष्य २१६७

राज्य-सभा से सन्देश २१६७–२१६८

मनीपुर राज्य पहाड़ी लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन) विधेयक—राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, पटल पर रखा गया . . २१६८–२१६९

संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक—पारित . . . २१६९–२२३१

भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक—विचार करने तथा, परिचालित करने के प्रस्तावों पर चर्चा—असमाप्त . . २२३१–२२४४

शुक्रवार, २४ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

भेषजीय जांच समिति का प्रतिवेदन २२४५

	स्तम्भ
उन मामलों के विवरण जिन में भारतीय भंडार विभाग ने न्यूनतम राशि के प्राक्कलन पत्र (टेंडर) स्वीकार नहीं किये थे .	२२४५–२२४६
स्थगन प्रस्ताव——	
बैंक कर्मचारियों की हड़ताल	२२४६–२२४८
लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर ध्यान दिलाना—इस्पात संयंत्र के बारे में रूस का प्रस्ताव	२२४८–२२४९
रेलवे बोर्ड के पुनर्निर्माण और पुनः संगठन के बारे में वक्तव्य .	२२४९–२२५१
भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक——विचारार्थ प्रस्ताव—स्वीकृत	२२५१–२३११
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बारहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत . .	२३१२
बाढ़ के कारण हुई क्षति को सुधारने के लिये आसाम को वित्तीय सहायता के बारे में संकल्प—वापस लिया गया . . .	२३१३–२३२१
हिन्दी विधि आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प——अस्वीकृत .	२३२१–२३५२
सरकारी कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षित बनाने के बारे में संकल्प—असमाप्त	२३५२–२३६६

शनिवार, २५ सितम्बर १९५४

पटल पर रखे गये पत्र——	
दामोदर घाटी निगम का वार्षिक प्रतिवेदन (भाग २) . .	२३६७
दामोदर घाटी निगम जांच समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों के सम्बन्ध में निर्णय	२३६७–२३६८
राज्य सभा से सन्देश	२३६८
समिति के लिये निर्वाचन—लोक-लेखा समिति . . .	२३६९–२३७०
भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक—पारित . .	२३७०–२४०५
निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक—संशोधित रूप में पारित	२४०५–२५०४

सोमवार, २७ सितम्बर, १९५४

राज्य सभा से सन्देश	२५०५
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—पांचवां प्रतिवेदन उपस्थापित	२५०५
लोक-लेखा समिति—नवां प्रतिवेदन उपस्थापित. . . .	२५०६
जेल से संसद् सदस्य की रिहाई . . .	२५०६
समिति के लिये निर्वाचन——	
कर्मचारी राज्य बीमा निगम	२५०६–२५०७
सभा का कार्य	२५०७

	स्तम्भ
कराधान विधियां (जम्मू तथा काश्मीर में विस्तार) विधेयक—पारित	२५०७–२५२७
मध्यभारत आय पर कर (मान्यीकरण) विधेयक—पारित .	२५२८–२५३८
१९५४–५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—असमाप्त .	२५२८–२६२६

मंगलवार, २८ सितम्बर, १९५४

राज्य सभा से सन्देश—	
विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक, १९५४ के सम्बन्ध में	२६२७
पटल पर रखे गये पत्र—	
मसाला जांच समिति का प्रतिवेदन . . .	२६२७
तारांकित प्रश्न संख्या २१३० के उत्तर की शुद्धि के सम्बन्ध में वक्तव्य	२६२८
पुनर्वास वित्त प्रशासन के सम्बन्ध में प्रतिवेदन तथा वक्तव्य .	२६२८–२६२९
केन्द्रीय उत्पादन तथा लवण अधिनियम, १९४४ के अधीन अधिसूचनायें	२६२९
लोक-लेखा समिति—प्रतिवेदनों का उपस्थापन . . .	२६२९
स्थगन प्रस्ताव—	
बीमा कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल—अस्वीकृत .	२६२९–२६३१
१९५४–५५ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें—स्वीकृत .	२६३२–२६६९
विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९५४—पुरःस्थापित तथा पारित .	२६६९–२६७०
खाद्य तथा कृषि पदार्थों के मूल्यों में गिरावट पर चर्चा . .	२६७०–२६८८
सेवाओं के नियमों के सम्बन्ध में प्रस्ताव . . .	२६८८-२७५२
कलकत्ता पत्तन के उप-नौवहन अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कथित आरोपों के सम्बन्ध में चर्चा . . .	२७५२–२७६०

बुधवार, २९ सितम्बर, १९५४

हैदराबाद राज्य में यशवन्तपुर के निकट रेलवे दुर्घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य	२७६१–२७६८
पटल पर रखे गये पत्र—	
पंचवर्षीय योजना की १९५३-५४ की प्रगति का प्रतिवेदन .	२७६८–२७६९
विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण . . .	२७६९
महानदी पुल समिति का प्रतिवेदन	२७६९
खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें	२७६९–२७७१
वस्त्र जांच समिति का प्रतिवेदन	२७७१
राज्य सभा से सन्देश	२७७१

	स्तम्भ
भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) बिधेयक पर रायें .	२७७१
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—दूसरा प्रतिवेदन—उपस्थापित .	२७७१
प्राक्कलन समिति—दसवां तथा ग्यारहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२७७२
समितियों के लिये निर्वाचन—	
लोक-लेखा समिति	२७७२
कर्मचारी राज्य बीमा निगम . . .	२७७२
अनुपस्थिति की अनुमति	२७७२–२७७३
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव—चर्चा—असमाप्त . .	२७७३–२८७८

बृहस्पतिवार, ३० सितम्बर, १९५४

रांज्य सभा से सन्देश	२८७९
पटल पर रखे गये पत्र—	
प्राक्कलन समिति द्वारा अपने नवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों का सारांश और उन पर सरकार के विचार या की गई या की जाने वाली कार्यवाही	२८८०
इस्पात परियोजना सम्बन्धी प्रगति का अग्रेतर ब्यौरा देने वाला विवरण	२८८०–२८८३
कुछ राज्य उद्यमों के वार्षिक प्रतिवेदन, अन्तिम लेखे तथा सन्तुलन पत्र	२८८३–२८८४
पुनर्वास वित्त प्रशासन का लेखा-परीक्षित सन्तुलन पत्र तथा हानि-लाभ लेखा	२८८४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—तेरहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२८८४
लोक-लेखा समिति—दसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित .	२८८५
याचिका समिति—चौथा प्रतिवेदन—उपस्थापित .	२८८५
जेल से सदस्य की रिहाई	२८८५
हैदराबाद राज्य में यशवन्तपुर के समीप रेल दुर्घटना के बारे में अनुपूरक विवरण	२८८५–२८८६
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—पुरःस्थापित . .	२८८६–२८८७
समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक, १९५४—पुरःस्थापित .	२८८७
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध में प्रस्ताव—संशोधित रूप में स्वीकृत .	२८८७–२९५०
मोटरगाड़ी उद्योग	२९५०–२९७५
राज्य सभा से सन्देश	२९७५–२९७६

लोक सभा

बुधवार, १५ सितम्बर १९५४

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

---

१२ बजे मध्यान्ह

पटल पर रखे गये पत्र

भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक पर रायें

श्री यू० सी० पटनायक (घुमसूर) : मैं भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक, १९५४ के सम्बन्ध में रायें वाले पत्र संख्या २ की एक प्रति पटल पर रखता हूं जो ३१ अगस्त, १९५४ को राय जानने के प्रयोजन से परिचालित किया गया था ।

भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, आदि

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उपधारा (२) के अधीन निम्न नियमों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति पटल पर रखता हूं :

(१) भातीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, १९५४ [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये** संख्या एस-३३१/५४.]

(२) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये** संख्या एस-३३२/५४.]

(३) अखिल भारतीय सेवाएं (यात्रा भत्ता) नियम, १९५४ [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये** संख्या एस-३३३/५४.]

(४) अखिल भारतीय सेवाएं (चिकित्सा सुविधा) नियम, १९५४ [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये** संख्या—एस-३३४/५४]

(५) अखिल भारतीय सेवाएं (प्रतिकर भत्ता) नियम, १९५४ [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये** संख्या एस-३३५/५४.]

(६) भारतीय पुलिस सेवा (वर्दी) नियम, १९५४ [**पुस्कालय में रखी गई। देखिये** संख्या—३३६/५४.]

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति के चौथे प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति

[श्री आल्वे कर]

के सम्बन्ध में समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं ।

समिति के लिये निर्वाचन

नारियल जटा बोर्ड

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन को जानकारी दे दूं कि नारियल जटा बोर्ड के नामनिर्देशनार्थ निश्चित की गई अवधि में एक नामनिर्देशन प्राप्त हुआ था । चूंकि रिक्त स्थान के लिये एक ही उम्मीदवार है अत: मैं श्री अच्युतन को बोर्ड में निर्वाचित घोषित करता हूं ।

चन्द्रनगर (विलय) विधेयक

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): मैं प्रस्ताव करता हूं कि चन्द्रनगर का पश्चिमी बंगाल राज्य में विलय तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चन्द्रनगर का पश्चिमी बंगाल राज्य में विलय तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अनिल के० चन्दा : मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूं ।

विशेष विवाह विधेयक—जारी

(खण्ड २२ से २६)

अध्यक्ष महोदय : अब सदन कतिपय अवस्थाओं में विवाह के विशेष रूप का उपबंध करने वाले, इस प्रकार के तथा कुछ दूसरे विवाहों के पंजीयन और विवाह-विच्छेद से सम्बन्धित विधेयक पर अग्रेतर विचार करेगा ।

जैसा सदस्यों द्वारा सूचित किया गया है निम्न संशोधन यदि अन्य रूप में ग्राह्य नहीं हैं तो उन्हें प्रस्तुत हुआ समझा जायेगा ।

खण्ड २२ ; ३२२

खण्ड २३ ; १३९,१४०,१४१,३८०,३८१, ३८२,४३४

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्यमंत्री (श्री बिस्वास) : मैं बाद की संख्याओं को खण्ड २३ के अधीन रखना चाहूगा ।

अध्यक्ष महोदय : वे उनके पास भेज दिये जायेंगे ।

श्रीमती जयश्री (बम्बई-उपनगर) : खण्ड २३ के सम्बन्ध में मेरा एक संशोधन है; क्या उस पर चर्चा बाद में की जायेगी ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट) : ने संशोधन संख्या ३२२,१४०,१४१ **डा० रामाराव** (काकिनाडा) ने संशोधन संख्या १३९, **श्री टेक चंद** (अम्बाला–शिमला) ने संशोधन सं० ३८०, ३८१, ३८३, ३८४ और ३८५ **श्री एम० एल० अग्रवाल** (जिला पीलीभीत व जिला बरेली पूर्व) ने संशोधन संख्या ४३४ और ४३५, **डा जयसूर्य** (मेदक) ने संशोधन संख्या १९८, **श्री आर० डी० मिश्र** (जिला बुलंदशहर) ने संशोधन संख्या ५०९, **श्री सी० आर० चौधरी** (नरसरावपेट) ने संशोधन सं० ११, और **श्रीमती जयश्री** ने संशोधन सं० ८५ प्रस्तुत किये ।

श्री वेंकटरामन (तंजोर) ने निम्नलिखित संशोधन संख्या ३२५ प्रस्तुत

---

* राष्ट्रपति की सिफारिश के साथ पुर:स्थापित ।

किया कि पृष्ठ ८ में, पंक्ति ४६ के पश्चात् निम्नांकित अंश जोड़ा जाय :—

'Provided that nothing contained in this section shall be construed as conferring upon any child of a marriage which is declared to be null and void or annulled by a decree of nullity any rights in or to the property of any person other than the parents in any case where, but for the passing of this act, such child would have been incapable of possessing or acquiring any such rights by reason of his not being the legitimate child of his parents."

"परन्तु इस धारा में दी गई किसी भी बात से, एक ऐसे विवाह से जो शून्य एवं निरर्थक घोषित कर दिया गया हो, या शून्यता की किसी आज्ञप्ति के द्वारा शून्य कर दिया गया हो, उत्पन्न किसी भी संतान को माता-पिता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति की सम्पत्ति पर या उस के सम्बन्ध में कोई अधिकार देने का अर्थ नहीं लगाया जायगा—ऐसे किसी भी मामले में, जहां इस अधिनियम के पारित न होने पर, ऐसी संतान अपने माता-पिता की औरस संतान न होने के कारण ऐसे किन्ही अधिकारों को प्राप्त अथवा अर्जित करने के अयोग्य रही होती।"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा उपरोक्त संशोधन प्रस्तुत किए गए जिन में श्री वेंकटरामन का संशोधन संख्या ३२५ भी था।

श्रीमती जयश्री : उपाध्यक्ष महोदय, कल मैं कह रही थी कि कांग्रेस द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय योजना समिति की महिला समिति ने विधान के इस भाग का घोर विरोध किया था। उनका कथन है कि संस्कृति को शिष्ट रूप देने के लिए आबद्ध किसी भी समाज में इस प्रकार के उपचार को संविधि-पुस्तक से बाहर निकाल देना चाहिये।

विवाह उन व्यक्तियों का गठबन्धन है जो साथ साथ रहने के इच्छुक हैं और एक दूसरे को प्यार करते हैं। यह शरीर और आत्मा का सम्मिलन है। केवल शारीरिक भूख की संतुष्टि ही विवाह नहीं है। गांधी जी ने कहा था कि बा को शारीरिक तुष्टि से देखना समाप्त करने के पश्चात् ही उन्हें विवाहित जीवन का पूर्ण आनन्द उपभोग हुआ। प्रेम और परस्पर सम्मति के अभाव में दाम्पत्य जीवन अमानवीय है। यह तो बलात्कार है। हम पशुओं के प्रति किये जाने वाले क्रूर व्यवहार के विरुद्ध विधान बनाने जा रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं क्या इस प्रकार का विधान क्रूरता नहीं है ? संविधि पुस्तक में इस प्रकार का विधान स्त्रियों के मति अत्याचार है। यह वास्तविक विवाह नहीं है। आचार्य कृपालानी के शब्दों में यह "व्यभिचार" है। इसी दृष्टि पर ध्यान देते हुए मैं ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है कि साथ रहने के लिये दोनों अनिच्छुक होने के आधार पर एक व्यक्ति न्यायिक पृथक्करण की मांग कर सकता है।

डा० जयसूर्य : श्रीमान् मझे दाम्पत्य अधिकारों को दिलाने से सम्बन्धित खण्ड

[डा० जयसूर्य]

२२ के सम्बन्ध में गम्भीर आपत्ति है। यह खण्ड भी पुराने भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम से लिया गया है जिस का अंग्रेजों ने अपनी विधियों की पृष्ठभूमि पर निर्माण किया था। दुर्भाग्य से वे विधियां पुरातन यहूदी विचारधारा पर आधारित हैं। उनमें नारी को पुरुष की संपत्ति माना गया है, और इस बात पर जोर दिया गया है कि पुरुष जब भी और जितनी देर चाहे, वैधरूप से विवाहित नारी (अपनी पत्नी) के साथ सम्भोग कर सकता है।

यह वही यहूदी ईसाई विचारधारा है जिसे भारत में अंग्रेजों ने लागू किया। आपको उसे भारत की उस जनता पर लादने का अधिकार नहीं है जो न यहूदी है और न ईसाई है। यह आवश्यक ही नहीं है अपितु प्रतिक्रियावादी भी है क्यों कि इसमें अभी भी इस दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया गया है कि नारी पुरुष की सम्पत्ति है। विवाह सम्बन्धी चीनी विधि के अनुच्छेद १७ में कहा गया है कि पति और पत्नी दोनों की इच्छा होने पर विवाह-विच्छेद की स्वीकृति दी जा सकती है। मामला यहीं समाप्त हो जाता है, इसमें न्यायिक पृथक्करण, दाम्पत्य अधिकारों को दिलाने, दो या तीन वर्षों तक प्रतीक्षा करने का प्रश्न नहीं है। इन सब वस्तुओं का कारण यही है कि हम अभी भी अंग्रेजों की विचारधारा पर दृढ़ ह।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : आचार्य कृपालानी ने इस खण्ड की बड़े कटु शब्दों में आलोचना की है और कुछ सदस्या न मुझसे भी पूछा कि क्या इस प्रकार का विवाह एक करार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वास्तव में, माननीय विधि-मंत्री ने इस खण्ड को बिल्कुल भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम की धारा ३२ के आधार पर बनाया है। केवल भाषा में थोड़ी सी शिष्टता दिखलाई गई है, किन्तु अर्थ वही है।

सभ्य लोगों के लिए यह खण्ड अनुचित जान पड़ता है। दाम्पत्य अधिकारों को प्रतिस्थापित करने का सिद्धान्त मध्य कालीन है। अब वह पुराना हो चुका है। आंग्ल विधि के अनुसार स्त्री अथवा पुरुष को एक दूसरे के सम्पर्क में रहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अधिक से अधिक उनकी सम्पत्ति का निर्णय किया जा सकता है। यहां तक कि उसे भी अशिष्ट माना जाता है।

इस खंड का आशय जहां तक मैं समझ सकता हूं, विवाह-विच्छेद को सरलतर बनाने का है। धारा २७ की उपधाराओं का अध्ययन करने से यह स्पष्ट प्रगट हो जाता है। मैं माननीय विधि मन्त्री से निवेदन करता हूं कि उसमें उचित संशोधन किया जाय तथा खण्ड २२ को बिल्कुल निकाल दिया जाय।

जब यहां विवाह-विच्छेद के लिए व्यवस्था की जा रही है तब दाम्पत्य अधिकारों को प्रतिस्थापित करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता अतः उसे इस विधेयक में रखने की क्या आवश्यकता है ? अंत में मैं पुनः यही कहूंगा कि धारा २२ हटा दी जाय तथा धारा २७ की उपधाराओं में उचित संशोधन किया जाय।

श्री एस० एस० मोरे : मैं उन तर्कों को नहीं दोहराऊंगा जो पहले ही प्रस्तुत किये जा चुके ह। डा० जयसूर्य ने विवाह

विच्छेद अधिनियम के उद्धरण दिये हैं। पारसी विवाह तथा विवाह-विच्छेद अधिनियम में भी इसी प्रकार के उपबन्ध हैं। इतना मैं मानता हूं कि इस विधेयक में अधिक शिष्टता बताई गई है।

इसमें "सहवास से पृथक रहने" शब्दों के स्थान पर "सम्पर्क से पृथक रहने" रहने शब्दों का प्रयोग किया गया है। जो बात सहवास से स्पष्ट होती है, वह सम्पर्क से नहीं हो पाती। श्री एन० सी० चटर्जी आंग्ल विधि के लिए ज़ोर दे रहे हैं किन्तु मैं पारसी विधि के लिये निवेदन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: यदि माननीय मंत्री 'सम्पर्क' के स्थान पर 'सहवास' कर दें तो क्या उन्हें आपत्ति होगी ?

श्री बिस्वास : मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, हां, कहिये।

श्री बिस्वास : मुझे बड़ा दुःख है कि माननीय सदस्यों ने इस खंड को ठीक प्रकार से नहीं समझा। श्री चटर्जी के अनुसार यह खंड विवाह-विच्छेद को सरलतर बनाने के लिए बिल्कुल नहीं बनाया गया। विवाह एक जीवन पर्यन्त बन्धन है।

बाबू रामनारायण सिंह (हजारीबाग पश्चिम) : लेकिन जबरदस्ती से नहीं

श्री बिस्वास : मुझे बोलने दिया जाय। विवाह एक सामान्य करार नहीं है, बेन्थम के शब्दों म यह एक "दैवी करार" है।

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) : किन्तु विशेष विवाह तो ऐसा नहीं है।

श्री बिस्वास : मैं अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं किन्तु इतना अवश्य कहूंगा कि बेन्थम ने विवाह की सुन्दर परिभाषा देते हुए उसे दैवी करार बताया है। वैवाहिक जीवन में स्त्री तथा पुरुष को अनेक कर्त्तव्य निबाहने पड़ते हैं। दुर्भाग्य से यदि उनमें मनमुटाव हो जाय, तो क्या उसका समाधान होना चाहिए या नहीं ? मेरे मित्रों ने इतने बड़े बड़े तर्क रखकर यह बताने का प्रयास किया है कि विवाह शारीरिक संभोग मात्र है, अतः जबर्दस्ती दोनों को मिलाने की चेष्टा नहीं होनी चाहिए।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर मध्य): वह भी एक उचित धारणा है।

श्री बिस्वास : यह ठीक है किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि वे दाम्पत्य जीवन में अन्य कोई अधिकार ही नहीं रखते। आप 'सहवास' शब्द रखना चाहते हैं किन्तु उसके लिए व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता में पहले ही उपबन्ध हैं कि दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए जबर्दस्ती नहीं की जा सकती और प्रातवादी यदि पति है तो उस की संपत्ति का अंश अथवा सामयिक वृत्ति का प्रबन्ध करके स्त्री के लिए प्रबन्ध किया जा सकता है। इंगलैण्ड में धार्मिक विधि के अन्तर्गत इस बात का प्रयत्न किया गया था कि दोनों को सम्पर्क में लाने के लिए बाध्य किया जाय और इसके लिए उन्होंने अनेक नियम बनाए।

किन्तु आंग्ल विधि स्वयं ही इन धार्मिक विधियों का आंख मीच कर पालन नहीं करती फिर हम क्यों ऐसी मूर्खता करें ? क्या कोई वस्तु केवल इसी सिद्धांत पर अच्छी मान ली जाय कि वह अंग्रेजों की है ? हम ने भारतीय विवाह-विच्छद के आधार पर अवश्य इस

[श्री बिस्वास]

खंड को बनाया है किन्तु इसका यह अर्थ कैसे लगा लिया जाय कि इसमें त्रुटि है या इसकी आवश्यकता नहीं है ? आप केवल सहवास पर इतना ज़ोर दे रहे हैं यह अनुचित है । मान लीजिये एक आदमी किसी की स्त्री को भगा ले जाता है तो क्या उसका पति अपनी पत्नी के लिए दावा नहीं करेगा ? क्या वह अपने दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन का प्रयत्न नहीं करेगा ?

अतएव, यदि आप इस खंड पर ध्यानपूर्वक मनन करें तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि यह आवश्यक है । यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसका नाम सुन कर आप झेंप जायं । दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन एक ऐसा सिद्धान्त है जो सभ्यता के प्रारम्भ से चला आ रहा है । क्या आप यह चाहते हैं कि क और ख केवल इसलिये विवाह करें कि प्रति रात्रि वे संभोग करते रहेंगे ?

श्री एन० सी० चटर्जी : माननीय मंत्री ने उस प्रश्न का उत्तर तो दिया ही नहीं । अंग्रेजी विधि में दिये गए 'सहवास से पृथक् किये गये' शब्दों का यहां क्यों न प्रयोग किया जाय ?

श्री बिस्वास : हम एक व्यापक अर्थ लेना चाहते हैं ।

श्री एन० सी० चटर्जी : उन के रक्तचाप के हम उत्तरदायी नहीं हैं ।

श्री बिस्वास : मुझें कोई रक्तचाप नहीं है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : तो फिर आपको "सहवास से पृथक् रहने" में कौन सी आपत्ति है ?

श्री बिस्वास : "सम्पर्क से पृथक् रहने" में संभोग का अर्थ भी आ जाता है किन्तु हम केवल उसी अर्थ को नहीं लेना चाहते ।

डा० रामा राव : मैं जानना चाहता हूं कि दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थान की आज्ञप्ति में क्या सम्पत्ति से भी सम्बन्ध होता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, वह तो केवल व्यक्ति से सम्बन्धित रहती है ।

एक माननीय सदस्य : आज्ञप्ति को कार्यान्वित करने में, सम्पत्ति भी सम्बन्धित है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, यह मामला सम्पत्ति के लिये नहीं होता है ।

श्री एस० एस० मोरे : मैं कह रहा था कि विधि-निर्माण के समय हमें शब्दों में यथासंभव अर्थ को स्पष्ट करना चाहिए अन्यथा वकील बड़ा उत्पात मचाते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : सिविल क्रिश्चियन कोड में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है ?

श्री टेकचन्द : दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन ।

श्री एस० एस० मोरे : १८६९ के विवाह-विच्छेद अधिनियम की धारा ३२ में भी यही शब्द रखे गए थे परन्तु १९३६ के अधिनियम में इनका परिवर्तन कर दिया गया । तथा उस समय के विधि मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि ये शब्द १८६९ की भाषा से कहीं अधिक उपयुक्त हैं । हम भारतीयों के

लिए यह विधान प्रस्तुत कर रहे हैं अत: इसकी शब्दावली ऐसी होनी चाहिए कि जिसको भारतीय समझ सकें । विधि मंत्री ने 'सहवास' के काल्पनिक अर्थ लगाए हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें 'अलग हो गये' शब्दों के व्यापक अर्थ लगाते सुना है ।

श्री बिस्वास : मुझे बताया गया है कि ये शब्द बैनर्जीज लॉ लेक्चर्स (बनर्जी के विधि पर भाषण) से लिए गए हैं । इनके द्वारा पति पत्नी को एक दूसरे के सहवास का अधिकार होना चाहिए। इसके बाद ही हमने भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम के इन शब्दों को वैसे ही रखने का निश्चय किया ।

श्री एस० एस० मोरे : क्या विधि-मंत्री यह कहना चाहते हैं कि 'अलग हो गये' ये शब्द सहवास के आठ नियमों की ओर इंगित ही नहीं करते वरन् इसमें अन्य अधिकार भी छुपे हैं.....

श्री बिस्वास : मैंने ऐसा कहा है ।

श्री एस० एस० मोरे : केवल कहना ही पर्याप्त नहीं है । उन्हें यह भी बताना है कि उनके मन में क्या है । धारा २७ के खंड (ख) में दिया है कि 'बिना कारण परित्याग दिया.....' क्या परित्याग कर देना भी सहवास से अलग हो जाना है । जब एक पत्नी पति को छोड़ती है.....

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : श्री मोरे ने मेरा परित्याग किया है ।

श्री एस० एस० मोरे : मैंने श्री त्यागी का इसलिए परित्याग किया कि उन्हें पद से लगाव था । जब पत्नी को किसी वस्तु से लगाव हो जाता है तब पति को जबरदस्ती.....

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) : श्रीमान्, पत्नी कौन है ?

श्री एस० एस० मोरे : मेरा मतलब है कि पत्नी पति को खाना देना छोड़ दे । सहवास के अलावा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति को मना कर दे । अत: यहां सहवास तथा अन्य अधिकारों का प्रतिस्थापन का तात्पर्य किन्हीं विशेष अधिकारों के प्रत्यानयन से है । यदि ऐसा अर्थ है... (**अन्तर्बाधा**) तो मैं विधि की सलाह देने के उपलक्ष में श्री वेलायुधन को धन्यवाद दूंगा । मैं चाहता हूं कि जनता ठीक स्थिति समझ जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : ६० तथा ७० वर्ष के व्यक्ति यदि ५० वष की स्त्री से विवाह करेंगे तो इसका अर्थ साहचर्य ही होगा । अत: इस प्रकार के सहवास की कुछ बातें उन मामलों में लागू नहीं होंगी, परन्तु साथ साथ रहने के अधिकारों का प्रत्यावर्तन होगा ।

श्री एस० एस० मोरे : मैं चाहता हूं कि 'परित्याग' शब्द के अर्थ पर्याप्त व्यापक होने चाहियें, अत: किसी विशेष संबंध की पर्याप्त व्याख्या की जानी चाहिए । परित्याग के द्वारा दोनों का साथ-साथ रहना असंभव है और इसी लिए मैं सहवास शब्द चाहता हूं ।

यही शब्द हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक में प्रस्तुत किए गए हैं परन्तु इस विधेयक में वे उपबन्ध नहीं हैं जोकि उस विधेयक में हैं । अत: जब हम विभिन्न विधियों को समान बनाने पर तुले हैं तब हमें इस एकही प्रकार के विधेयक को समान बनाने के लिए भरसक प्रयत्न करना चाहिए ।

[श्री एस० एस० मोरे]

जब डा० जयसूर्य यह कहते हैं कि दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन में सम्पत्ति विषयक झलक मिलती है वे बिल्कुल ठीक कहते हैं। जब मैं कोई भूमि खरीदता हूं तो उसका उपयोग करने का मुझे पूर्ण अधिकार है तथा यदि इसमें कोई रुकावट डालता है तो उस रुकावट को हटाने के लिये मैं न्यायालय में जा सकता हूं वैसे ही दूसरे का मन रुकावट बनता है। जब कोई व्यक्ति विवाह के पवित्र बन्धन में बंधता है, तब दूसरा पक्ष उससे बहुत सी वस्तुयें चाहता है। इस विवाह में, जहां पवित्रता को स्थान नहीं है, दोनों की सम्मति ही मुख्य है।

उपाध्यक्ष महोदय : विवाह से करा पूरा हो जाता है।

श्री एस० एस० मोरे : परन्तु सम्मति ही तो उसकी नींव मानी जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु वे इस करार को तोड़ सकते हैं।

श्री एस० एस० मोरे : खंड २५ में यह बताया गया है कि यदि विवाह की निर्बाध रूप से सम्मति नहीं दी गई तो भारतीय संविधा अधिनियम उस पर लागू हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : तब वे दाम्पत्य अधिकारों के पुनःस्थापना की आज्ञप्ति नहीं देंगे।

श्री एस० एस० मोरे : मैं कहना चाहता हूं कि वे नवीन संबंध के सभी उत्तरदायित्वों को लेने की सम्मति दें। किन्तु इस के पश्चात् यदि उन में से कोई सहवास से इन्कार करता है तब वह करार के अनुसार अपने वचनों को तोड़ रहा है। इसी लिये यदि किसी ने अपनी सम्मति को वापस ले लिया है तो इस अनुबन्ध में विशेषता लाना असम्भव है। ये सम्बन्ध तो शारीरिक नहीं मानसिक हैं। यदि वे सम्मति से अलग होना चाहते हैं तो करार में सम्मति को ही प्रधानता देनी चाहिये। अतः हमें उस पुरातनकाल में नहीं जाना चाहिए जबकि स्त्री पुरुष की गुलाम होती थी। मैं नहीं चाहता कि न्यायालय जबरदस्ती प्रतिस्थापन करावें, इसके द्वारा आप लोगों की भावनाओं का उन्मूलन कर रहे हैं। विधि मंत्री ने इस पर बहुत तर्क प्रस्तुत किए हैं परन्तु फिर भी मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे इस खंड का लोप कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय : परित्याग तो एक वैकल्पिक कारण है। प्रतिस्थापन की आज्ञप्ति को पूर्ववर्ती शर्त नहीं माना जा सकता।

श्री एस० एस० मोरे : यदि सम्मति द्वारा विवाह-विच्छेद स्वीकार नहीं किया गया तब अलग होने के लिये वे इनमें से कोई भी कारण चुनेंगे। यदि किसी मनुष्य का मुख्य आक्षेप है कि उसको सहवास नहीं मिला तब यह कहना कि पत्नी ने वैवाहिक संबंध रखने से इन्कार कर दिया है, उपयुक्त नहीं होगा। उसे यह भी सिद्ध करना होगा कि उसने दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन की डिग्री ले ली है तभी वह आवेदन पत्र भेज सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : वर्तमान व्यवहार-प्रक्रिया की विधि के अनुसार, न्यायालय शारीरिक तौर पर स्त्री को दे सकता है?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

श्री एस० एस० मोरे : मैं भी ऐसा ही समझता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह ऐसा नहीं है तो आपके तर्कों को मैं समझ नहीं पाया हूं ।

श्री एस० एस० मोरे : यह तो केवल पति तथा पत्नी को एक साथ रहने का अवसर देना है । तथा यदि वह एक साथ नहीं रह सकते हों तो वही पहला विवाह विच्छेद होगा तथा फिर न्यायालय उनको अलग २ रहने की अनुमति देगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरा उपाय क्या होगा ।

श्री एस० एस० मोरे : न्यायालय मध्यस्थ बन कर पति-पत्नी के आपसी झगड़ों को निपटाने का प्रयत्न करे । मेरे विचार में न्यायालय का कार्य उनमें आपस में अच्छे संबंध स्थापित करना नहीं है । वह दोनों की गवाहियां सुनेगा तथा पति-पत्नी के विरूद्ध यदि वह सफाई पेश करने में सफल नहीं होगा, फैसला देगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या स्त्री के लिए यह एक घोषणात्मक आज्ञप्ति नहीं होगी ?

श्री एस० एस० मोरे : यह घोषणात्मक आज्ञप्ति नहीं होगी कि वह अमुक व्यक्ति की पत्नी है । यह तो आज्ञप्ति है.....
.....

आचार्य कृपालानी (भागलपुर व पूर्निया) : इसके परिणाम भी होंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई परिणाम नहीं हैं । शारीरिक तौर पर वह दी नहीं गई है ।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता–दक्षिण पूर्व) : व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुसार उसकी सम्पत्ति छीनी जा सकती है ।

श्री बिस्वास : खंड ३३ देखिये ।

श्री एस० एस० मोरे : न्यायालय आपसी संबंध अच्छे बनाने का प्रयत्न नहीं करता है । अन्य देशों के समान यह वैवाहिक न्यायालय नहीं है । यह तो साधारण न्यायालय होगा जोकि सम्पत्ति विषयक झगड़े निपटाता हो ।

आचार्य कृपालानी : जो भी सम्पत्ति हो ।

यहां न्यायालय उपयुक्त कारण जानने तथा उस पर विवाद करने के लिए बैठता है । यदि वह कारण उपयुक्त नहीं समझता है तो वह फैसला कर सकता है ।

श्री बिस्वास : क्या मैं सभा को सूचित कर दूं कि केवल ४५ मिनट शेष रह गए हैं ।

श्री एस० एस० मोरे : मुझे और कुछ नहीं कहना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आगे बढ़ने से पहले मैं यह बता देना चाहता हूं कि इन खंडों का आपस में अत्यधिक संबंध है अत: माननीय सदस्य सभी खंडों पर एक साथ बोल सकते हैं ।

डा० रामा राव : केवल आधा घंटा ही शेष रह गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक सदस्य को केवल पांच मिनट दिये जायेंगे ।

श्री टेकचन्द : मैं प्रार्थना करता हूं कि कुछ अधिक समय दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं ।

श्री टेकचन्द : जिन्होंने इसका विरोध किया है उन्होंने इसको पूर्णतया समझे बिना ही इसका विरोध किया है। यदि उन्होंने इसको समझने का प्रयत्न किया होता तो वह उनके तथा श्रोताओं के लाभ में होता।

दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के संबंध में जो भाषा व्यवहृत हुई है वह उपयुक्त है तथा जिन्होंने इसका विरोध किया ह, मैं कहूंगा कि उन्होंने इस पर विचार ही नहीं किया। वैवाहिक अधिकार केवल सहवास के लिए ही नहीं है उनमें साहचर्य भी आ जाता है। उन अधिकारों में बच्चों का पालन, शिक्षा ...

आचार्य कृपालानी : खेल, खाना बनाना, और कपड़े धोना।

श्री एन० सी० चटर्जी : खाना बनाने का अधिकार।

श्री टेकचन्द : खाना बनाना तथा कपड़े धोना भी। (अन्तर्बाधा) इन अधिकारों में बीमारी में सेवा तथा पूजा भी आती है। अतः साथ साथ रहना भी पति पत्नी का एक अधिकार है। इन अधिकारों तथा कर्त्तव्यों का परिपालन करना है तथा इनको करने से इनकार करना ही परित्याग है। जैसे यदि कोई व्यक्ति क्लब में जाकर जुआ खेल रहा है तथा उसका बच्चा घर पर बीमार पड़ा है, यह परित्याग नहीं है। बल्कि दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन ऐसे ही मामलों में हो सकता है।

श्री पाटस्कर (जलगांव) : क्या वह पति के जुआ खेलने पर ही दावा कर सकती है ?

श्री एस० एस० मोरे : उसे श्री टेकचन्द को समझाना चाहिए।

श्री टेकचन्द : कल श्री पाटस्कर ने कहा था कि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। व्यवहार प्रक्रिया संहिता द्वारा भी कार्य हो सकता है।

श्री पाटस्कर : मैं कह रहा था कि यह सामान्य विधि का अधिकार है, जिसे व्यवहार प्रक्रिया संहिता द्वारा भी लागू किया जा सकता है।

श्री टेकचन्द : कुटुम्ब में झगड़े की भी श्रेणियां हैं। अन्त में ही विवाह-विच्छेद आता है। परन्तु कुछ विवाहों में विवाह-विच्छेद प्रारंभ से ही आ जाता है। तीसरे, आप न्यायिक पृथक्करण कर सकते हैं तथा अन्त में जहां दाम्पत्य अधिकारों का ठीक परिपालन न होता हो, आप प्रतिस्थापन की मांग करते हैं। वे कह सकते हैं कि हम अलग होना नहीं चाहते। परन्तु जो वैवाहिक अधिकार तथा कर्त्तव्य हम पर लागू हैं, हम उनका प्रतिस्थापन चाहते हैं। अन्य विधियों में से ये दिये गये हैं इसीलिए हम इनको हिन्दू विधि में लाना चाहते हैं। मेरे माननीय मित्र ने बताया कि पारसी विवाह-विच्छेद अधिनियम में दिए गए शब्दों को इसमें रखना चाहिए तब तो आप दाम्पत्य अधिकारों के स्थान पर सहवास रख कर, शब्दों के साथ अन्याय कर रहे हैं। अतः मेरे विचार से ये शब्द सभी प्रकार से उपयुक्त हैं। आपने अभी कहा था कि जिन्होंने अन्य खंडों पर अपने संशोधन रखे हैं, वे अभी बोल सकते हैं।

यदि आप की अनुमति हो तो मैं इस वाद विवाद के खण्डों के विभिन्न संशोधनों के सम्बन्ध में कुछ कहूं।

उपाध्यक्ष महोदय : बाद में ! अब हमें देखना है कि क्या समय मिल सकता है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : कुछ विधि-मंत्रियों का कथन है कि दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन नहीं होना चाहिए । मुझे इसमें कुछ तथ्य नहीं दिखाई पड़ता । मेरे विद्वान मित्र श्री चटर्जी ने मुझे बताया कि मुला की पुस्तक में एक धारा है जिसके अनुसार पति का दूसरा विवाह कर लेना या पत्नी के प्रति अभक्त हो जाना ही ऐसे कारण नहीं हैं कि उसे दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के दावा करने का कोई अधिकार नहीं रहता ।

श्री टेकचन्द : पूर्व का भाग पढ़िये ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं शेष नहीं पढ़ना चाहती क्योंकि उसके बारे में आप बता चुके हैं । मुझे आश्चर्य था कि यह अंश क्यों बिल्कुल छोड़ दिया गया था ।

श्री वेंकटरामन : यह केवल हिन्दू विवाहों पर लागू होता है विशेष विवाहों पर नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री चटर्जी से पूछना चाहता हूं कि क्या हमने इस सभा में इस आशय का एक विधान पारित नहीं किया है कि यदि पति दूसरी स्त्री से विवाह कर लेता है तो पहली पत्नी अलग रह सकती है और भरण-पोषण भत्ता पाने की मांग भी कर सकती है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अधिनियम १९४६ ।

उपाध्यक्ष महोदय : उस दशा में यह विचार सभा में पारित अधिनियम के विरोध में है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : साधारण हिन्दू विधि के सम्बन्ध में मुला ने यही लिखा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : संसद के एक अधिनियम के द्वारा साधारण हिन्दू विधि भंग हो गई है ।

श्री एन० सी० चटर्जी ; कुछ सीमा तक ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : हमें इसे भंग करने के लिए एक और विधि का निर्माण करना चाहिए । जैसा कि अन्य लोगों ने कहा कि इस में स्वामित्व की प्रवृत्ति का तत्व ही नहीं है बल्कि इस में छल और बल के तत्व भी हैं कि स्त्री की सम्पत्ति नीलाम भी की जा सकती है । हमें इसे अनुपद्रवी कह कर टालना नहीं है ।

श्री बिस्वास : जिस बल के सम्बन्ध में आपत्ति की गई है क्या वह काल्पनिक बल का कोई प्रकार है ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह काल्पनिक बल नहीं है ।

श्री बिस्वास : शारीरिक बल ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : कहा गया था कि स्त्री की सम्पत्ति भी नीलाम की जा सकेगी---अतः यह काल्पनिक बल की बात नहीं है । यदि हम मानते हैं कि विवाह का आधार परस्पर समझौता और स्वीकृति है तो हमें सिद्धान्तों का स्पष्ट ज्ञान कराने वाले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए न कि व्यर्थ की कानूनी कहानियां कहना । श्री कृपालानी ने उसे असभ्यता और भूतकाल की नकल बताया है; मैं उन से सहमत हूं । यदि ऐसा है तो हमें इसे समाप्त कर देना चाहिए और इस खण्ड को निकाल देना चाहिए । प्रवर समिति

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

में इस संशोधन को इस रूप में प्रस्तुत किया गया कि यदि एक व्यक्ति अपनी पत्नी को त्याग देता है तो दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन इस प्रकार किया जाय कि पति अपनी त्यागी हुई पत्नी को अनिवार्य रूप से ग्रहण कर ले । इस प्रकार बहुत से लोग सन्तुष्ट हो गये थे पर मैंने कहा था कि ऐसा समझौता कभी सुखदायी नहीं सिद्ध होगा । मैं कहना चाहती हूं कि यदि पति या पत्नी विवाह का उत्तरदायित्व निभाने के लिए सहमत नहीं है तो न्यायिक पृथककरण के लिए यही पर्याप्त आधार है । ऐसी दशा में इस आधार पर या तो न्यायिक पृथककरण या विवाह-विच्छेद होना चाहिए। इसी कारण मैंने संशोधन संख्या १४० प्रस्तुत किया । मैंने संशोधन संख्या ३२२ भी प्रस्तुत किया पर उस अवस्था में हम सम्पूर्ण खण्ड को निकाल देने की मांग नहीं कर सके क्योंकि यह एक टेकनिकल बात थी पर हम ने दाम्पत्य सम्बन्धों के प्रतिस्थापन सम्बन्धी खण्ड के विपक्ष में अपना मत दिया ।

मेरे एक दूसरे संशोधन संख्या १४१ के सम्बन्ध में किसी ने कुछ भी नहीं कहा । विवाह विच्छेद या न्यायिक पृथक-करण के सम्बन्ध में जो खण्ड है उसमें कोढ़ या गुप्त रोगों के सम्बन्ध में ५ वर्ष का समय दिया गया है । मेरे विचार से यह ठीक नहीं है । मैं विवाह-विच्छेद की गम्भीरता को समझती हूं पर न्यायिक पथककरण के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि आप को ऐसी कोई बात होने देने का अवसर नहीं देना चाहिए जिस से एक का रोग दूसरे को लग जाय । अतः इसमें समय का बन्धन लगाना ठीक नहीं है । स्वास्थ्य सेवाओं के महा संचालक के निवेदन की ओर मैं आप का ध्यान आकर्षित करूंगी; उस में कहा गया है कि कोढ़ कोई बहुत भयंकर रोग नहीं है किन्तु फिर भी वह स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, विशेष रूप से जब कि पति या पत्नी द्वारा यह रोग हो जाता है । क्या ऐसी दशा में हम पति-पत्नि दोनों को साथ रहने के लिए बाध्य कर सकते हैं । अतः मैं खण्ड २२ को निकाल कर मेरे संशोधन संख्या १४० को स्वीकार करने की प्रशंसा करती हूं कि छुआछूत वाले कोढ़ और गुप्त रोगों के मामलों में न्यायिक पथककरण के लिए समय का बन्धन नहीं होना चाहिए ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या खण्ड २५ और २६ के संशोधनों को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जायेगी या नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों से पहले ही कह दिया गया था कि वे जो संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं, दे दें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : श्रीमान् उस समय केवल खण्ड २२ ही विचाराधीन था ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय अध्यक्ष महोदय ने सभा के समक्ष खण्ड २२ से २६ तक के संशोधनों, जो प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे, की सूची को पढ़कर सुना दिया । कल शाम को भी मैंने प्रस्तुत किये जाने वाले संशोधन माननीय सदस्यों से मांगे थे ।

पंडित ठाकर दास भार्गव : क्या उन की समय अवधि समाप्त हो गई है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को अनुमति देने के लिए तैयार हूं ।

पंडित ठाकुरदास भार्गव ने संशोधन संख्या २७५ और २७६ प्रस्तुत किया

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुए। क्या माननीय मंत्री अन्त में कुछ बोलना चाहते हैं ?

श्री बिस्वास : मैं उन विषयों पर उत्तर नहीं दूंगा जिन के बारे में मैं बोल चुका हूं पर यदि कुछ अतिरिक्त विषय है तो मुझे उत्तर देना पड़ेगा और मैं पांच मिनट से अधिक नहीं लूंगा।

श्रीमान्, आप की आज्ञा से क्या मैं सभा की स्वीकृति के लिए एक औपचारिक संश न टल पर रख सकता हूं ? खण्ड २२ के भाग २ में आप देखेंगे—

"और न्यायालय, ऐसी याचिका में दिये हुये बयान की सत्यता के सम्बन्ध में सन्तुष्ट होकर और प्रार्थना स्वीकार न होने के वैधानिक आधार की अनुपस्थिति में दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए आज्ञप्ति दे सकता है।"

इसी प्रकार के उपबन्ध खण्ड २३ जो न्यायिक पृथककरण से सम्बन्धित है के साथ भी होने चाहिए थे। उसमें केवल यह कहा गया है कि कुछ आधारों पर पृथककरण के लिए याचिका प्रस्तुत की जा सकती है और उस में यह नहीं कहा गया है 'कि न्यायालय के सन्तुष्ट हो जाने पर'। क्या मैं सभा की अनुमति से खण्ड २३ के संशोधन को ऐसे ही शब्दों में करने के लिए एक संशोधन प्रस्तुत कर सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उसे प्रस्तुत किया हुआ मान लूंगा।

श्री बिस्वास : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ ७ पर, पंक्ति ३५ के पश्चात् निम्न अंश जोड़ा जाय :—

"And the court, on being satisfied of the truth of the statements made in such petition, and that there is no legal ground why the application should not be granted, may decree judicial separation accordingly."

"और न्यायालय, ऐसी याचिका में दिये हुए बयान की सत्यता के सम्बन्ध में सन्तुष्ट हो कर और प्रार्थना स्वीकार न होने के वैधानिक आधार की अनुपस्थिति में, न्यायिक पृथककरण की आज्ञप्ति दे सकता है।"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन प्रस्तुत हुआ।

श्री वेंकटरामन् : खण्ड २६ उन बच्चों को वैधता (औरसता) प्रदान करता है जिनके माता पिता का विवाह खण्ड २४ के अन्तर्गत गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है। इस प्रकार की आज्ञप्ति के पूर्व पैदा हुए बच्चे, उस खण्ड के अनुसार, औरस समझे जायेंगे। मैं सभा के सम्मुख यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जहां तक बच्चों का सम्बन्ध है वे केवल अपने माता पिता की सम्पति के उत्तराधिकारी होंगे न कि वंशागतों की सम्पत्ति के। खण्ड २२ के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि मैं पूर्ण रूपेण सहमत हूं कि जब पति-पत्नी दोनों साथ नहीं रहना चाहते और अलग होना चाहते तो विवाह-विच्छेद की अनुमति दी जाय। पर यदि पति-पत्नी में से एक वैवाहिक दाम्पत्य अधिकार जारी रखना चाहता है और दूसरा जारी नहीं रखना चाहता, तो क्या हम सब को एक [illegible] से विवाह-विच्छेद की अनुमति दे देंगे ? क्या समाज

[श्री वेंकटरामन]

को किसी उपाय से यह प्रयत्न नहीं करना चाहिए कि दूसरे पक्ष को भी.....

श्री एस० एस० मोरे : क्या पति-पत्नी में से एक का दूसरे को छोड़ देना विवाह-विच्छेद के लिए पर्याप्त आधार नहीं है ।

श्री वेंकट्रामन् : हां, पर फिर भी दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए मकदमा चलाया जा सकता है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : छोड़ने के दो अर्थ हो सकते हैं । एक तो भरण-पोषण न देना दूसरा साथ छोड़ देना ।

श्री वेंकटरामन् : यदि हम पति-पत्नी म से एक के रहने से कि वह वैवाहिक जीवन नहीं व्यतीत करना चाहता को ही विवाह-विच्छेद का पर्याप्त आधार मानते हैं तो परस्पर सम्मति का खण्ड निरर्थक हो जायेगा । और कोई भी व्यक्ति विवाह विच्छेद की आज्ञा यह कह कर ले सकेगा कि वह साथ नहीं रहना चाहता । क्या आप ऐसी परिस्थिति लाना चाहते हैं ? उद्देश्य यह होना चाहिए कि विवाह-विच्छेद संभव न हो । साधारण तथा अनुप्रेरणा और थोड़े दबाव से काम लेना चाहिए । जैसे कि यदि वह अपने साथी के साथ ववाहिक सम्बन्ध रखने से इन्कार करता है तो उसकी सम्पत्ति नीलाम कर दी जायेगी और उसे कुछ अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा । इस प्रकार स्त्री समाज के लिए बड़ी सहायता हो जायेगी । क्योंकि बहुधा पति ही अपनी पत्नी को वैवाहिक सम्बन्ध से वंचित करता ह और यदि उसे सम्पत्ति के खोने का भय होगा तो शायद वह कुछ डरे क्योंकि कुछ लोगों को अपनी सम्पत्ति का इतना अधिक लोभ होता है कि वे सम्पत्ति नहीं छोड़ेंगे बल्कि अनिच्छा से स्त्री को रख लेंगे ।

श्री बी० सी० दास (गंजम दक्षिण): ऐसी परिस्थिति में क्या स्त्री का जीवन सुखमय हो सकता है ?

श्री वेंकटरामन : आप एक ऐसी स्त्री का मामला लें जो विवाह-विच्छेद नहीं चाहती है । इसलिए इससे स्त्री जाति का अधिक लाभ होगा । यह खण्ड समस्त विश्व की विवाह सम्बन्धी विधियों में पाया जाता है । वास्तव में वैवाहिक खण्ड अधिनियम १९५० का खण्ड १५ भी ऐसी ही भाषा में लिखा हुआ है । मेरी प्रार्थना यह है कि हमें दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन की अभिव्यक्ति से घबराना नहीं चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूं ।

बाबू रामनारायण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के सम्बन्ध में इतनी बातें हो चुकी हैं और इतने लोग इसके प्रतिकूल बोल चुके हैं कि मैं तो समझता हूं कि अक्ल और ईमानदारी का तकाजा है कि विधि मंत्री इस धारा ४२ को उठा दें । हमारी समझ में यह यहां पर सोभता नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विवाह सम्बन्धी विधेयक चल रहा है इस में तो आप स्त्री और पुरुष को हर तरह की स्वतंत्रता देते हैं कि चाहे जिस तरह से विवाह करो, चाहो जहां करो, जितने दिन के लिए चाहे करो, और फिर भी आजादी है कि चाहो तो छोड़ दो, अर्थात् आप यह अधिकार देते हैं कि जो कुछ हो, वह दोनों के प्रेम से होना चाहिए। जब इस विधेयक का मंशा इस तरह का है तो आप इसमें यह जबरदस्ती वाली बात क्यों लाते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि

श्री कृपालानी जी ने कहा था, यह बात तो सभ्यता के प्रतिकूल और मानवता के प्रतिकल मालूम होती है कि आप जबरदस्ती किसी स्त्री या पुरुष को एक दूसरे के साथ कर दें। इस तरह से एक जगह करने से क्या होगा। इस जबरदस्ती से आप लोगों को कहां तक घसीटते चलेंगे। मैं समझता हूं कि यह धारा भयानक तो है ही, साथ ही मैं समझता हूं कि यह व्यर्थ भी है और किसी स्त्री या पुरुष को इससे लाभ नहीं पहुंचेगा, इस वास्ते मैं उम्मीद करता हूं और सुझाव देता हूं कि इस धारा को उठा लिया जाय, क्योंकि अभी तो लोग यही कहेंगे कि न मालूम इस धारा को लिखने वाला कौन था जिसे यह नहीं मालूम था कि इसका नतीजा क्या होगा और उसने इस बात को रख दिया, लेकिन अगर हम पास कर देंगे तो देशवासी कहेंगे कि सारी लोक सभा कैसी थी जिसने इस तरह की चीज़ पास कर दी, इस वास्ते मैं कहता हूं कि इस धारा को हटा दिया जाय और अगर सरकार इसको उठाने को तैयार न हो, तो जितने हम लोग संसद् के संदस्यगण हैं उनको इसको रद्द कर देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : अगले खण्डों पर एक बजकर ४५ मिनट पर विचार किया जायेगा। अतः इन शेष १२ मिनटों में यदि माननीय मंत्री चाहें तो कुछ बोल सकते हैं।

श्री बिस्वास : मैं श्री वेंकटरामन् के संशोधन के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : तब माननीय मंत्री अन्त में बोलें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाब चेयरमैन साहब, मेरी अदब से गुंजारिश है कि यह जो बिल है यह एक बड़ा अजीब सा बिल है। इसके अन्दर...

श्री वेंकटरामन : मैं पं० भार्गव से प्रार्थना करता हूं कि वह अंगरेजी में बोलें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मुझ अपने संशोधन संख्या २७५ और २७६ के बारे में कुछ कहना है। मेरे पहले संशोधन का आशय यह है कि "विवाह तिथि से" के स्थान पर "आरोपित तथ्यों के ज्ञान की तिथि से" रखा जाय क्योंकि जब एक व्यक्ति को तथ्यों का ही ज्ञान नहीं है तो उस पर सीमा या अवधि विवाह की तिथि से क्यों कर लागू की जाय। इसी प्रकार से सीमा अधिनियम की धारा १८ के आधीन भी ऐसा ही उपबन्ध है। मेरे विचार से यह संशोधन आवश्यक है।

संशोधन संख्या २७६ के बारे में यह सन कर मुझे आश्चर्य हुआ कि एक व्यक्ति जो कि विवाह के समय तथा मुकदमा चलाने के समय नपुंसक रहा उसको एक जारज पुत्र के पिता होने का उत्तरदायित्व स्वीकार करने को कहा जाय।

श्री वेंकटरामन : क्या मैं माननीय सदस्य का ध्यान संशोधन की भाषा की ओर दिला सकता हूं, "आज्ञप्ति दिये जाने से पूर्व उत्पन्न कोई बच्चा"।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : किस के द्वारा उत्पन्न। क्या एक नपुंसक बच्चा पैदा करेगा। यह आश्चर्यजनक बात है। इसी प्रकार से एक स्त्री जो कि एक अन्य व्यक्ति द्वारा गर्भवती हो जाती है और न्यायालय इस बात को स्वीकार कर लेता है तो फिर उस बच्चे का भार उसके तथाकथित पिता पर क्यों डाला जाय ?

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

यह बात मैं नहीं समझ सका। हम जारंज बच्चों के पक्ष में नहीं हैं परन्तु असंभव को संभव भी नहीं बना सकते ।

मैं अब खण्ड २२ के रखे जाने की आवश्यकता के बारे में कुछ कहूंगा । मैं इसके विरुद्ध माननीय सदस्यों के विचारों को नहीं समझ सका हूं । श्री कृपालानी जी ने महात्मा गांधी और अन्य ऋषियों का नाम लिया है, परन्तु यह उपबन्ध ऋषियों पर लागू नहीं हो सकता क्योंकि वे गृहस्थाश्रम छोड़कर वानप्रस्थ ले चुके होते हैं ठीक उसी प्रकार जैसा कि श्री कृपलानी जी स्वयं हैं ।

आचार्य कृपालानी : जब आप कहते हैं कि सहवास ही पर्याप्त है तो फिर 'दाम्पत्य अधिकार' के शब्द क्यों रख रहे हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : दाम्पत्य अधिकारों का अर्थ केवल सहवास अथवा संभोग ही नहीं है। विवाह का वास्तविक प्रयोजन आजीवन साथ रहना है । अतएव पति उसकी मांग कर सकता है और उसी प्रकार पत्नी भी ।

व्यवहार प्रक्रिया संहिता के संशोधन से पूर्व एक स्त्री को पति के साथ रहने के लिए बाध्य किया जा सकता था और एक पति को कुछ कर्त्तव्य निभाने के लिए बाध्य किया जा सकता था, परन्तु अब विधि में परिवर्तन हो चुका है और केवल समझौता कराया जा सकता है । विवाह-विच्छेद से पूर्व भी इससे सम्बन्ध रखने वाली परिस्थितियों को प्रमाणित करना कठिन है । यदि आप के पास कोई आज्ञप्ति है तब तो आप के पास विवाह-विच्छेद का कुछ आधार है, अन्यथा नहीं। श्री मोरे ने कहा है कि परित्याग से साथ का कोई सम्बन्ध नहीं है परन्तु यह कहना ठीक नहीं है । इसके अन्दर भरण-पोषण भत्ता और साथ रहने की दो बातें हैं यदि एक व्यक्ति अपनी पत्नी को भरण-पोषण भत्ता देता है परन्तु उसके साथ नहीं रहता तो जब तक विवाह-विच्छेद न हो जाय, पत्नी को दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन की मांग करने का अधिकार निश्चित रूप से है । मेरे विचार से इसे बर्बरता नहीं कहा जा सकता । यदि इसे बर्बर कहा जाय तो स्वयं विवाह भी बर्बर है ।

सारी परिस्थितियों को देखते हुए, मैं समझता हूं कि अधिनियम में यह एक बहुत अच्छा उपबन्ध है—नये और पुराने विचारों वाले दोनों ही प्रकार के लोगों के लिये ।

आचार्य कृपालानी : क्या दाम्पत्य अधिकारों के लिये एक ही मकान में रहना पर्याप्त होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : दाम्पत्य अधिकारों का सहवास या सम्भोग से भ्रम नहीं हो सकता है । सहवास का केवल यही अर्थ है कि पति और पत्नी साथ साथ रहते हैं । ऐसी स्थिति म 'अलग हो गये' शब्दों का प्रयोग उचित है । ये बहुत अच्छे शब्द हैं, और इनका क्षेत्र बहुत व्यापक है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सहवास का अर्थ एक साथ रहना नहीं है ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जी हां, वस्तुतः इसका अर्थ तो यही है । जैसा कि मैंने कहा ये बहुत व्यापक अर्थ वाले शब्द हैं और मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि ये अवश्य रखे जायें ।

धारा २२ एक बहुत अच्छी धारा है। यह पति और पत्नी को एक दूसरे के पास आने और समझौता करने का अवसर प्रदान करती है। साथ ही साथ यह विवाह-विच्छेद में भी सहूलियत देती है। इन दोनों ही दृष्टियों से धारा २२ बहुत अच्छी है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री अपने विचार प्रकट करेंगे।

श्री बिस्वास : आचार्य कृपालानी ने कल जो बातें कहीं उसमें उन्होंने "नृशंस असभ्य, अनैतिक, शारीरिक रूप से अवांछनीय, नैतिक दृष्टि से अनुचित तथा सौन्दर्य की दृष्टि से कुत्सित" जैसे अत्यन्त कटु शब्दों का प्रयोग किया। मैं आशा करता हूं कि ऐसे शब्दों से भी दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन की याचना करने वाले पति-पत्नी की सौन्दर्य की भावना को नैतिक रूप से कोई धक्का नहीं लगेगा। विवाह के विभिन्न कारण हो सकते हैं विवाह सन्तानोत्पत्ति के लिए, साथी प्राप्त करने के लिए, संयुक्त रूप से सामाजिक कार्य करने के लिए तथा ऐसे ही अन्य प्रयोजनों के लिए हो सकता है। वस्तुतः साथ साथ रहने और सेक्स सम्बन्धी पक्ष को छोड़ कर दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना करने, आदि के अन्य अवसर भी हो सकते हैं। मान लीजिए पत्नी अपने पति को ऐसे समय में छोड़ कर चली जाती है, जब कि उसे उसके साथ की आवश्यकता है, तो क्या उस व्यक्ति को दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना की मांग करने का अधिकार नहीं होगा? ऐसा विवाह एक विधुर और विधवा के बीच हो सकता है। कलकत्ते में हुई घटना का एक ऐसा उदाहरण मैं जानता हूं जिसमें ७० वर्षीय एक वृद्ध विधुर ने अपने साहित्यिक कार्य में साथ देने के लिए एक ६५ वर्षीया विदुषी विधवा से विवाह किया था। अब मान लीजिए कि ऐसी पत्नी अपने पति को छोड़ कर चली जाए तो क्या उस पति को दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना का अधिकार नहीं होगा?

श्री पाटस्कर : ऐसे किसी प्रयोजन के लिए विवाह की क्या आवश्यकता है?

आचार्य कृपालानी : माननीय मंत्री मेरे इस विचार का समर्थन कर रहे हैं कि उसका (विवाह का) सेक्स वाला पक्ष नहीं रहना चाहिए।

श्री बिस्वास : अतः प्राविधिक अर्थों में विवाह केवल सहवास के लिए नहीं होता है। शब्दव्युत्पत्ति सम्बन्धी अर्थ में 'सहवास' का अर्थ होता है एक ही जगह रहना। सच तो यह है कि धार्मिक न्यायालयों में भी ऐसे मामले हुए हैं, जिनमें पति और पत्नी एक साथ रहने के लिए कार्यवाही आरंभ की गई थी, और प्रश्न यह था कि क्या पति पत्नी के लिए निवास-स्थान ढूंढ़ सकता था और पत्नी का यह कर्तव्य था कि वह पति द्वारा चुने गए स्थान पर आकर रहे। अतः प्राविधिक तथा शब्दव्युत्पत्ति दोनों ही अर्थों में सहवास के माने हैं– साथ साथ रहना। प्राविधिक अर्थ में सहवास विवाह का एकमात्र प्रयोजन नहीं होता है।

श्री पाटस्कर : यह विवाह का एकमात्र नहीं, परन्तु सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग है।

श्री बिस्वास : इस सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सेक्स का कोई महत्व नहीं है, तो फिर साथी एक पुरुष साथी भी हो सकता है।

श्री बिस्वास : यदि किसी का विपरीत सेक्स के व्यक्ति से लगाव हो, तो यह कोई गलत बात नहीं है। यदि उसके लगाव के होते हुए भी, यदि उनमें से कोई व्यक्ति चला जाता है, तो क्या उस को वही अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

अब मैं अपने माननीय मित्र श्री वेंकटरामन् द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन पर आता हूं। वह संचित सूची संख्या ४ का संख्या ३२५ है। सरकार की ओर से मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूं। उसमें कहा गया है कि :

> पृष्ठ आठ में, पंक्ति ४६ के पश्चात्, निम्नलिखित अंश जोड़ा जाय :
>
> "परन्तु इस धारा में दी गयी किसी भी बात से, एक ऐसे विवाह से, जो शून्य एंव निरर्थक घोषित कर दिया गया हो, या शून्यता की किसी आज्ञप्ति के द्वारा शून्य कर दिया गया हो, उत्पन्न किसी भी संतान को माता पिता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति की सम्पत्ति पर या उसके सम्बन्ध में कोई अधिकार देने का अर्थ नहीं लगाया जायेगा—ऐसे किसी भी मामले में, जहां इस अधिनियम के पारित न होने पर, ऐसी संतान अपने माता पिता की और से संतान न होने के कारण ऐसे किन्हीं अधिकारों को प्राप्त अथवा अर्जित करने के अयोग्य रही होती।"

श्री ए० एम० थामस : हम इस सिद्धान्त को पहले ही स्वीकार कर चुके हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : जी नहीं। वह तो औरसता तथा अनौरसता का एक प्रश्न था अर्थात् क्या एक ऐसे विवाह के फलस्वरूप, जो शून्य घोषित कर दिया गया हो, पैदा हुई संतान औरस संतान मानी जाए या नहीं।

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) : मान लीजिए एक पागल या मूर्ख व्यक्ति विवाह करता है। उसका विवाह शून्य घोषित किया जा सकता है क्योंकि वह पागल या मूर्ख है। परन्तु ऐसे विवाह से उत्पन्न होने वाली संतान अपने माता पिता की औरस संतान है।

श्री बिस्वास : मेरे मित्र श्री बसु एक वकील हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि यदि कोई विवाह शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उसका अर्थ होता है कि कोई विवाह हुआ ही नहीं। अतः आमतौर पर ऐसे विवाह से जिस में वर या वधू मूर्ख या पागल हो, पैदा होने वाली संतान अनौरस मानी जाएगी— चाहे विवाह के शून्य घोषित किये जाने का आधार कुछ भी रहा हो। स्थिति यही है। वह एक पागल या मूर्ख का उदाहरण दे रहे हैं। इस आधार पर विवाह शून्य घोषित किया जा सकता है। आप कहते हैं कि ऐसे मामले में भी संतान औरस नहीं घोषित की जायेगी। वे औरस माने जायेंगे परन्तु जहां तक सपिंड उत्तराधिकार का सम्बन्ध है, वह अधिकार उन्हें नहीं प्राप्त होगा। केवल यही उपबंधित है। संशोधन प्रस्तुत किया गया था और स्वीकृत हुआ। उस संशोधन की संख्या मुझे याद नहीं है, परन्तु वह खंड १८ में था। खण्ड १८ में हमने उसी सिद्धान्त पर एक संशोधन स्वीकार किया था।

यदि कोई विवाह शून्य होता है, तो सामान्य विधि के अधीन ऐसे विवाह से उत्पन्न होने वाली संतान को उत्तराधिकार

का कोई अधिकार नहीं होता । इतना ही पर्याप्त है कि वे अपने माता पिता के उत्तराधिकार होते हैं सपिंडों के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : विधि मंत्री का कहना है कि वह एक अपवाद स्वीकार करने को तैयार हैं, परन्तु उससे आगे जाने को वह तैयार नहीं हैं । इस तरफ बैठे हुए माननीय सदस्यों का मत है कि उन्हें सभी सपिंडों का उत्तराधिकारी हो सकने का अधिकार दिया जाय । इस का निर्णय करना सभा का काम है । हम इस विषय पर बहस नहीं कर रहे हैं । सरकार चाहे तो इसे स्वीकार करे या अस्वीकार कर दे ।

श्री बिस्वास : मैं सरकार का तात्पर्य बता रहा हूं जो कि संशोधन द्वारा बिलकुल स्पष्ट कर दिया गया है । खण्ड २३ से संबंधित मेरा संशोधन यह है कि :

पृष्ठ ७ में, पंक्ति ३५ के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्ट किया जाय :

"and the court, on being satisfied of the truth of the statements made in such petition, and that there is no legal ground why the application should not be granted, may decree judicial separation accordingly"

"और न्यायालय ऐसी याचिका में दिये हुए वक्तव्य की सत्यता के सम्बन्ध में संतुष्ट होकर और प्रार्थना स्वीकार न होने के वैधानिक आधार की अनुपस्थिति में संतुष्ट होने पर न्यायालय तदनुसार न्यायिक पृथक्करण की आज्ञप्ति दे सकता है ।"

ये बिल्कुल वही शब्द हैं जो खण्ड २२ में हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड २२ से २६ तक के सम्बन्धित ये सारे संशोधन प्रस्तुत समझे जायेंगे । खंड २३ से सम्बन्धित विधि मंत्री का उक्त संशोधन तथा श्री कृष्ण चन्द्र के तीन संशोधन संख्या ४०४ से ४०६ तक भी प्रस्तुत समझे जायेंगे ।

इस के पश्चात् **श्री कृष्ण चन्द्र** (जिला मथुरा--पश्चिम) द्वारा संशोधन संख्या ४०४, ४०५ और ४०६ प्रस्तुत किये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह पहले ही तय हो चुका है कि अभी संशोधनों पर सभा का मत नहीं लिया जायेगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि इनको मतदान के लिये रखने के सम्बन्ध में सभा का क्या विचार है । मेरा सुझाव है कि इन पर मत तब लिये जायें जब कि कल खण्ड २७ से ३३ पर विचार हो जाय ।

श्री वेंकटरामन् : अच्छा तो यह होगा कि खण्ड २७ से ३३ पर वादविवाद समाप्त होने के बाद एक साथ सभी संशोधनों पर मतदान लिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा की यही इच्छा है ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : मैं समझता हूं कि इस संबन्ध में मतभेद है । मेरे विचार से अच्छा यह होगा कि इन को अलग से आज ४-३० म० प० पर मतदान के लिये रखा जाय । यह कार्य आधे घंटे की चर्चा से पूर्व हो जाना चाहिये ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मेरा भी यही विचार है । मतदान का काम सुविधानुसार या तो आधे घंटे की चर्चा से पूर्व कर लिया जाय या उसके पश्चात् । इस समूह को आज ही समाप्त कर देना अच्छा होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा का क्या विचार है ?

श्री वेंकटरामन् : मेरे विचार से ४-३० म० प० पर मतदान लेने से असुविधा होगी क्योंकि उससे वादविवाद में बाधा पड़ेगी । मैं तो यही अच्छा समझता हूं कि कल सभी खण्डों को मतदान के लिये रखा जाय।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : कार्य मंत्रणा समिति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चर्चा को किसी भी प्रकार कम न किया जाय, अत: खण्ड २७ से ३३ के लिये निश्चित चार घंटों में से समय नहीं लिया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस से वादविवाद बढ़ जायेगा । साढ़े चार बजे इस कार्य को आरंभ करने में भी असुविधा है । मान लीजिये कुछ संशोधनों पर मत विभाजन हो जाता है, और मत दान का काम पांच बजे तक न समाप्त हो सका, तो फिर शेष संशोधनों का क्या होगा ?

श्री बिस्वास : मतदान २-३० म० प० पर क्यों न रखा जाय ? मतदान को समाप्त करने के पश्चात् खण्डों के अगले समूह को लिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा मैं यह मान लेता हूं कि २-३० म० प० इस कार्य के लिये तय रहा ।

अब सदन खण्ड-२७, २७क तथा ३३ पर विचार करेगा । इन के लिये चार घंटे का समय रखा गया है । खण्डों के पहले वाले समूह (खण्ड २२ से २६ तक) पर मतदान के संबंध में जो समय लगेगा वह इन चार घंटों में नहीं गिना जायेगा । माननीय सदस्य अपने उन संशोधनों की सूचना दें जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं । उस के बाद मैं उनकी सभा में घोषणा कर दूंगा । संशोधनों को प्रस्तुत समझा जायेगा ।

श्री वी० जी० देशपांडे : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने धारा २७ पर २०६ नंबर का संशोधन दिया है, जिसके अनुसार धारा २७ जो विवाह विच्छेद के बारे में है :

उसका विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । एक बात मैं प्रारम्भ में ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं विवाह विच्छेद बिल्कुल नहीं चाहता हूं और मैं इस स्पेशल मैरिज का भी विरोधी हूं, लेकिन इसी के साथ साथ मैं आप को बताऊं कि मेरी पूर्ण सहानुभूति उन लोगों के साथ में है जो इसके धोखे में अपने को ले जाते हैं और ऐसे पति पत्नी जो हमारे तथाकथित प्रगतिशील लोगों के कहने में आकर इस प्रकार का विवाह करना चाहते हैं जो अपने माता पिता, समाज और संस्कार इन सबके विरुद्ध जाकर अपने जीवन पर और आगे आने वाली पीढ़ियों पर जिनके भयंकर परिणाम होंगे, ऐसे विवाह में जाने वाले व्यक्तियों के प्रति मेरे हृदय में नितान्त सहानुभूति होने के कारण इस विवाह में आगे धोखे का निर्माण न हो, यह मैं जरूर चाहता हूं । कुछ लोग कहते हैं कि जो इस स्पेशल

मैरिज में जांय अगर उनको कुछ नुकसान भी आगे होता रहे, तो कुछ बिगड़ता नहीं है । समाज के ये पथभ्रष्ट जीव हैं और उनके ऊपर आगे और आपत्तियां न आयें इसके लिये सोचना और आवश्यक सुधार करना हमारा कर्त्तव्य है क्योंकि पति-पत्नी इसमें अपनी खुशी से जाते हैं । यह एक बड़ी खुशी की बात है कि इस विधेयक का नाम स्पेशल मैरिज बिल रखा गया है, विशेष विवाह विधेयक रखा गया है । इसके अलावा एक दूसरा बिल भी आया है जिसका कि नाम हिन्दू मैरिज एन्ड डाइवोर्स बिल है, मैं पूछना चाहता हूं कि यह विधेयक विवाह के लिये हो रहा है या विवाह तोड़ने के लिये हो रहा है, यह मेरी समझ में नहीं आता । यहां भी मैं वही चीज देखता हूं कि विवाह करने के लिये इतनी चिन्ता नहीं है कि वह किस तरह ज्यादा से ज्यादा दिन तक कायम रहे, बल्कि चिन्ता यह रहती है कि यह विवाह कितनी जल्दी टूटे, इसका विचार किया जा रहा है । मैं देखता हूं प्रारम्भ में इसमें जो धारायें थीं कि इन कारणों से विवाह विच्छेद हो सकता है उसमें एक नई धारा राज्य सभा में डाल दी गयी और वह धारा है म्युचुअल कन्सेंट की, परस्पर सम्मति से यह विवाह तोड़ा जा रहा है, इस धारा के डालने के पश्चात् मेरी समझ में इस विवाह में किसी प्रकार की शाश्वता और पवित्रता कायम नहीं रहती है और इस विवाह के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की सुविधा देने पश्चात् समाज के अन्दर आप ऐसी प्रवृत्तियों का निर्माण करेंगे कि लोग विवाह करने के पूर्व भी कह सकते कि एक नियत काल के लिये हम विवाह करना चाहते हैं, वैसे तो इस विधेयक के अनुसा शादी के पहले तीन वर्ष में आप इस प्रकार का आवेदन कोर्ट के सामने नहीं रख सकते लेकिन मैरिज करते वक्त आप एक मियाद निश्चित करके मैरिज कंट्रेक्ट कर सकते हैं । यह विवाह केवल एक साथी के लिए अथवा सहूलियत के तौर पर ही किया जा सकता है । इस प्रकार का विवाह चाहने वाले जो हमारे बहुत से मित्र यहां हैं वे कहते हैं कि इस तरह के विवाह को संस्कार विहीन नहीं मानना चाहिये और धार्मिक ढंग से संस्कार के साथ इस शादी को करने का निषेध नहीं किया है, होम हवन आदि करके दोनों जने रजिस्ट्रार के पास अपनी शादी रजिस्टर कराने जा सकते हैं । आप जानबूझ कर उनको इस प्रकार की खुली आजादी क्यों देना चाहते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता है । हम लोग जब इस तरह की मैरिज को कंट्रैक्ट कहते हैं तो हमारे विधि मंत्री बहुत क्रुद्ध होते हैं । इस समय हमारे विधि मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं, थोड़ी देर के बाद यहां आजायेंगे । उनका कहना है कि "यह एक दैवी करार है ।" उन्होंने बड़ी बड़ी अथारिटीज़ यहां पर कोट कीं कि यह कंट्रैक्ट बहुत जरूरी है लेकिन यह करार ईश्वरीय करार है, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से आप इस विवाह को तोड़ना चाहते हैं वह सब ही बातें कोई बहुत ही अच्छी हों और उचित हों, ऐसा मैं नहीं समझता । इस २७वें क्लाज के द्वारा आप कोई प्रगतिशीलता की तरफ कदम बढ़ा रहे हों, ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं हूं । यह विधान बनाते वक्त यह बतलाया गया कि हम मोनोगेमी और डाइवोर्स ये बड़े उदार तत्व जनता के सामने रख रहे हैं । मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि आप की मोनोगेमी और आपके डाइवोर्स से हमारी जो लिमिटेड पोलीगेमी है, अपवादात्मक परिस्थिति में उनको बधाई देता हूं, कि योग्य और अपवादात्मक परिस्थिति में

[श्री वी० जी० देशपांडे]

बहुपत्नी विवाह हम कर सकते हैं, वह अच्छी है। आगे चलकर मैं इसकी एक एक धारा लेना चाहता हूं : विवाह सम्पन्न होने के पश्चात् व्यभिचार किया है। यह पहली धारा इसमें दी हुई है। हमारी जो विवाह की कल्पना है उसमें हम तो ऐसा समझते हैं कि पति और पत्नी का एक उदार और दिव्य सम्मिलन इस विवाह के द्वारा होता है हमारे कृपलानी जी ने इस अध्यात्मिक यूनियन, और धार्मिक जोड़ का बड़ा अच्छा वर्णन किया था और यह होने के पश्चात् मैं समझता हूं कि पति और पत्नी दोनों का उत्तरदायित्व है कि अगर एक से गलती हो जाय तो उसका सुधार करे और गलती करने वाले को क्षमा कर दे। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं जिसने पाप नहीं किया। जीसज़ क्राइस्ट जिनके नाम पर यह कानून आ रहा है, जीसज़ क्राइस्ट ने बताया कि एकमर्त्तबा एक स्त्री ने व्यभिचार किया था तो जो लोग उसको पत्थर मारने चले थे उन्हें सम्बोधित करते हुए ईसा मसीह ने कहा कि पहले वह आदमी इस औरत को पत्थर मारे जिसने दुनिया में कभी पाप न किया हो तो सबके हाथ रुक गये क्योंकि यहां आकर सब प्रकार के पाप सब लोगों के हाथों से होते हैं और हो सकते हैं। अब एक दफा किसी से पाप हो गया, उसके कारण वह जो यूनियन है अथवा विवाह है वह टूट जाना चाहिये, यह मानने को मैं तैयार नहीं हूं। इस प्रकार की पवित्र यूनियन में व्यभिचार हुआ, इस व्यभिचार के कारण विवाह तोड़ना कोई उदार बात है मैं नहीं समझता कि इसमें एक प्रकार की रिजिडिटी है : जिस प्रगतिशील समाज की तरफ़ हमारे प्रधान मंत्री भारत को ले जाना चाहते हैं जहां इल्लिजिटीमेट और लिजिटिमेट चिल्ड्रेन में भेद नहीं होगा यह महान् सत्य आपने कल बतलाया, ऐसा विशाल ध्येय रखने वालों के लिये मैं समझता हूं कि इस पाप को इतना भयानक समझना यह बड़ी बुरी बात है। इसके बारे में हमारे शास्त्रों में जो नियम दिये हैं यह इससे ज्यादा उदार हैं। वहां कहा गया है कि उस स्त्री के लड़का हो तो लड़का होने वाली स्त्री को इतने दिन ठहरना चाहिये, उस स्त्री की जो प्रापरटी हो उसके मेंटेनेन्स का प्रबन्ध हो, उसे इतने दिन ठहरना चाहिये। इस इस प्रकार के व्यवहारिकता के नियम हमारे शास्त्रों में दिये हैं। इंडियन पैनेल कोड के अनुसार जिसको सात साल से ज्यादा सज़ा हुई हो उस पति या पत्नी को विवाह विच्छेद के लिये इजाज़त देना कि वह चाहे तो विच्छेद मांग सकता है, इस बात में कोई बड़ी उदारता है, यह मानने के लिये मैं तैयार नहीं हूं। सैक्शन डी में यह लिखा हुआ है : विवाह सम्पन्न होने के पश्चात् याचक के साथ निर्दयता का व्यवहार किया है। इसकी व्याख्या आप समझा नहीं सकते। मैं समझता हूं कि क्रुएलिटी के लिये समाज से दंड अपराधी को जरूर मिलना चाहिये, सरकार को भी उस अपराध के लिये दंड तजवीज करना चाहिये लेकिन इस बिना पर विवाह विच्छेद हो, मैं नहीं समझता कि यह कोई बहुत अच्छी और उचित बात है। हमारे कुछ लोगों ने बताया कि डाक्टरों से ऐसा सार्टिफिकेट मिल नहीं सकता, हमारे विधि मंत्री ने भी बताया कि इस प्रकार का सार्टिफिकेट मिलना क़रीब क़रीब असम्भव है, तो जिसका सर्टिफिकेट मिल न सके और जिसके बारे में डाक्टरों में मतभेद हो इस प्रकार की चीज़ आप डाइवोर्स सीक करने के लिये रक्खें, यह मेरी समझ

में नहीं आता । इसमें भी वही दिक्कत पेश आयेगी और जांच करने पर निगेटिव या पौजिटिव रिज़ल्ट दोनों निकलने की सम्भावना है और इसमें भी साफ़ साफ़ डाक्टरी सर्टिफिकेट मिलना सम्भव नहीं है, डाक्टर ठीक ठीक बतला नहीं सकता तो मेरा कहना है कि ऐसी बातों पर आप किस तरह विवाह विच्छेद कर सकते हैं यह बात तो मैं थोड़े बहुत अंश में समझ सकता हूं ।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

यह जो जुडिशल रेस्टोरेशन आफ कंजुगल राइट्स है उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बतलाना चाहता हूं । मैं इतनी ही बात बताने जा रहा था कि इससे तो हमारी पौलिगैमी ज्यादा अच्छी थी क्योंकि मोनोगैमी के पश्चात् आप यह डाइवोर्स का अधिकार खुद ही मानते हैं । इस मोनोगैमी से जो पुरानी स्त्रीयां हैं उनके साथ कैसा बुरा व्यवहार होगा आज हमारे यहां प्रगतिशील लोग उस पुराने विवाह से छुटकारा पाना चाहते हैं । वह कहते है कि पुरानी स्त्री बड़ी बेढंगी थीं वह कहती थीं कि जन्म जन्म में हमें एक ही पति मिले । लेकिन अगर आजकल के प्रगतिशील पुरुष और स्त्री दो दो दिन में अपनी पत्नी और पति को छोड़ कर दूसरी पत्नी और पति करना चाहते हैं और इस प्रकार की प्रगति की ओर जाना चाहते हैं तो यह मुझ को मंजूर नहीं । इसके बजाये किसी अपवादात्मक परिस्थिति में जैसे कभी किसी स्त्री को लेप्रासी हो जाय या इसी प्रकार की कोई दूसरी चीज हो जाय तो पति दूसरी पत्नी कर सकता है, लेकिन शास्त्रों में दिया है कि पहली पत्नी के साथ बड़े गौरव और मान का व्यवहार करे । आप को उसके गौरव को रखना चाहिये ।

मैं आप को बताना चाहता हूं कि यदि आज डाइवोर्स और मोनोगैमी की प्रथा न होती तो दुनियां में जो कुछ अन्याय हुआ वह कभी न होता । मैं आप को उदाहरण दे कर बतलाऊंगा कि नैपोलियन बोनापार्ट ने जब यह चाहा कि राजनैतिक कारण से मुझे किसी दूसरी राजकन्या के साथ शादी करना है तो अगर वहां मोनोगैमी और डाइवोर्स न होता तो जो अन्याय नैपालियन ने सैफाइन के साथ किया वह कभी न होता । इसी तरह यदि एडवर्ड अष्टम को दूसरी पत्नी करने का अधिकार होता तो मैं समझता हूं कि उसको अपनी गद्दी छोड़ कर कभी न जाना पड़ता । एक पत्नी प्रेम के लिये होती और दूसरी राज्य की महारानी होकर रह सकती थी । आज यहां पर डेमाक्रेसी आने के कारण किसी राजनैतिक प्रश्न का सवाल नहीं उठाता, लेकिन परिस्थिति के कारण, किसी व्याधि के कारण किसी बीमारी के कारण अगर किसी को दूसरा विवाह करना पड़ता है, तो मैं कहूंगा कि अपवादात्मक परिस्थिति में दूसरा विवाह करना कोई बुरी बात नहीं है । लेकिन इस डाईवोर्स ला का फायदा लेकर हम देख सकते हैं कि स्त्रियों पर ज्यादा अन्याय होने वाला है हमारी भगिनियों के ध्यान में यह बात नहीं आई है कि डाईवोस आज कौन लेना चाहता है । पुरुष या स्त्रियां । यहां हमारी भगिनियों ने बताया वह मुझे बिल्कुल मान्य है, यानी स्त्रियां खासकर भारत की स्त्रियां, अपने घर को कभी नहीं तोड़ना चाहती हैं । घर को तोड़ने की बात का निर्माण आज किसके हृदय म हो रहा है ? पुरुष के हृदय में इस निर्माण के होने का यह कारण बताया गया स्त्रियों को कि उनकी स्वतंत्रता के लिये यह ला या यह बड़ा भारी कानून आ रहा है । हमारी प्रगतिशील कहाने वाली पुरुष जाति के कारण हमारी भोली भाली कन्यायें और

[श्री वी० जी० देशपांडे]

स्त्रियां धोखे में आ रही हैं। मुझे याद है कि चार महीने पूर्व एक राज्य के एक आदमी को हिन्दू महा सभा ने डिफीट दिया। उस बड़े भारी आदमी ने बताया: मेरे पहले राजा ने यह हुक्म दिया है कि अब डेमाक्रेसी होनी चाहिये इसलिये मैं डेमाक्रेसी स्वीकार करूंगा। इसी प्रकार से एक बेचारी पतिव्रता पत्नी यह कहेगी कि मेरा पति हुक्म देता है कि अब मैरेज रजिस्टर होनी चाहिये इस लिये पतिव्रता होने के कारण मुझे यह मानना चाहिये कि मैं मैरेज रजिस्टर कराऊं क्योंकि पति की आज्ञा है। मैं मैरेज को रजिस्टर कराने जाऊंगी। और इस प्रकार से वह दोनों पति पत्नी संस्कारों से हुई अपनी मैरेज को रजिस्टर्ड मैरिज में परिवर्तित कर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आप १९५१ की सेन्सस रिपोर्ट को देखें। हमारे समाज सुधारकों के लेखों और भाषणों को देखने से पता चलता है कि हिन्दुस्तान में बहुपत्नीत्व बहुत बड़े परिमाण में है। लेकिन सेन्सस रिपोर्ट देखते हैं तो मालूम होता है कि हिन्दुस्तान में बहु पत्नीत्व करीब करीब नगण्य सा है। कहीं भी बहुपत्नीत्व की प्रथा बहुत बड़े परिमाण में नहीं चल रही है आज हिन्दुस्तान में सर्वसामान्य नियम एक पत्नीत्व का ही है। इस मैरेज के रजिस्ट्रेशन से आप एक ही बात करेंगे बहु पत्नीत्व की प्रथा को तो आप हटा नहीं सकेंगे क्योंकि वह तो है ही नहीं लेकिन दूसरे विवाह का दरवाज़ा आप लोगों के लिये खोल देंगे और उनके करने के पश्चात् पतियों को यह अधिकार मिलेगा कि वह अपनी बेचारी गरीब, भोली भाली पत्नियों को छोड़ दें और नया रिश्ता कर लें। पहले यह होता था कि अगर कोई पुरुष ऐडल्ट्री करता था तो उस को हम सजा देते थे, जो भी सजा ऐडल्ट्री की होती थी वह दी जाती थी, लेकिन अगर अब कोई ऐडल्ट्री करेगा तो उसको बख्शीश मिलेगी। बात यह है कि इस प्रकार से गुनाह करने वाले को, अपराध करने वाले को, बख्शीश देने का ही कानून स्त्री की स्वतंत्रता के नाम पर और स्त्रियों को अधिकार देने के नाम पर हम बना रहे हैं। बहुत से लोग यह कहेंगे कि इंग्लैंड की बात को हम मानना नहीं चाहते हैं इस बारे में। इंग्लैंड में इस प्रकार का कोई प्राविजन नहीं है, जर्मनी में इस प्रकार का कोई प्राविजन नहीं है। अमरीका में इस प्रकार का कोई प्राविजन नहीं है, आप कहते हैं कि इंग्लैंड, अमरीका और जर्मनी में यह दोष भरा हुआ है लेकिन हमारा देश प्रगति के रास्ते पर आगे जा रहा है। दोनों प्रकार के युक्तिवाद यहां किये जाते हैं। किसी भी देश में यह नहीं है इसका सच्चा कारण यह है कि विवाह के प्रति उन में एक पवित्रता की भावना है वह यह नहीं समझते कि विवाह को आसानी से कंट्रैक्ट शब्द का प्रयोग करके ही तोड़ा जा सकता है। विवाह के प्रति हमने यहां पर एक बड़ी भारी हीनता की भावना प्रकट की है। एक बात मैं समझ सकता था थोड़े अंश तक मैं यहां तक भी जाऊंगा कि भारत की परिस्थिति में कोई कोई चीजें सैफ्टी वाल्व की तरह से आवश्यक होती हैं। यदि कोई उनका अतिरेक करे तो बहुत बुरी बात होती है। विवाह हमारे यहां एक अविच्छेद संस्कार है, विवाह बन्धन एक जन्म ही नहीं अनेक जन्मों तक रहने वाला होता है, यह भावना हमारे हृदय में है। लेकिन यह सर्वसामान्य नियम होते हुए भी कहीं कहीं स्त्री पर अन्याय होता है। इस से हर समाज सुधारक का दिल दुखता

है, मेरा भी दिल दुखता है, मेरी यह भावना है कि समाज के कल्याण के लिये सामाजिक संस्था होने के नाते, समाज के कल्याण के लिये यदि एक आध व्यक्ति के साथ अन्याय भी हो तो उस को उसे सहन करना चाहिये। लेकिन आप तो कहते हैं कि धर्म ही बदल गया है, देश में प्रगति हो रही है। आप समाज और कुटुम्ब की तरफ़ नहीं देखते हैं। व्यक्तिवाद और स्वार्थपरता की तरफ़ हमारी जनता जा रही है। इस परिस्थिति में हर आदमी केवल अपने लिए ही सोचेगा। उसके किसी कार्य का बच्चों पर या समाज पर क्या परिणाम होगा यह वह सोचेगा नहीं। इस प्रकार की भावना होने के लिए आप ब्रिटिश ला आफ़ डाइवोर्स का उदाहरण दे सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए यह भी मानने के लिए तैयार हूं कि समाज के लिए किसी एक व्यक्ति पर अन्याय क्यों हो। यदि आप किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहते तो आप केवल अपवादात्मक परिस्थिति में ही विवाह विच्छेद की अनुमति दें और जहां तक सम्भव हो विवाह के स्थायित्व को कायम रखने की चेष्टा करें। लेकिन जो राज्यपरिषद् ने संशोधन किया उसके अनुसार तो आप विवाह के दरजे को बिल्कुल ही तोड़ रहे हैं और आप यह कह रहे हैं कि पति पत्नी की इच्छा होते ही वे विवाह बन्धन को तोड़ सकते हैं। हो सकता है कि कभी पति पत्नी में झगड़ा हो जाय। झगड़े सब के घरों में रोज़ होते हैं। लेकिन क्या यह उचित है कि झगड़ा होते ही पति पत्नी यह निश्चय करलें कि हमें साथ नहीं रहना चाहिए। पत्नी यह सोचे कि मुझे यह पति नहीं चाहिए या पति यह सोचे कि मुझे यह पत्नी नहीं चाहिए, और दोनों जा कर अपनी दरख़ास्त पेश कर दें।

सभापति महोदय : क्या विशेष विवाह अधिनियम के अधीन हुए विवाहों के लिए विवाह-विच्छेद नहीं होना चाहिए।

श्री वी० जी० देशपांडे : नहीं ऐसी बात नहीं है। मेरा तो अभिप्राय यह है कि विवाह-विच्छेद को इतना लचीला नहीं बनाना चाहिए कि इसके अनुसार प्रत्येक विवाह समाप्त हो सके। मालूम होता है कि बहुत से माननीय सदस्यों को मेरी बात समझ में नहीं आयी। मैं यह कह रहा था कि आप विवाह को इस प्रकार से शिथिल न कर दीजिये जो प्रावीजन्स आप विवाह-विच्छेद के लिए रखें वे केवल अपवादात्मक परिस्थितियों के लिए ही होने चाहिए। मैं थोड़ी देर के लिए यह मानने को तैयार हूं कि अपवादात्मक परिस्थिति में विवाह-विच्छेद की अनुमति दे दी जाय, परन्तु मैं मानता हूं कि विवाह एक निरन्तर टिकने वाली चीज है। लेकिन यदि आप इस आदर्श से नीचे आना चाहते हैं और शादी को एक बाज़ार की चीज बनाना चाहते हैं, एक कंट्रेक्ट की चीज बनाना चाहते हैं, तो मैं यह कहूंगा कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा टिकने वाला कंट्रेक्ट बनाइये। मैं ने कहा था कि जब आप मकान बनाते हैं तो इस विचार से नहीं बनाते कि यह कितनी जल्दी गिर जायगा आप यह देखकर मकान बनाते हैं कि मकान ज्यादा से ज्यादा समय तक टिका रहे। इसी तरह मेरा कहना है कि आप इस विवाह के कानून को इस दृष्टि से न बनायें कि यह किस तरह से जल्दी से जल्दी तोड़ा जा सकता है। राज्यपरिषद् ने इसमें यह संशोधन किया है कि विवाह को पारस्परिक सम्मति से तोड़ा जा सकता है। इस प्रकार का नियम पाश्चात्य देशों तक में नहीं है जहां कि सैंकड़ों वर्षों से डाइवोर्स

[श्री ी० जी० देशपांडे]

का कानून चल रहा है। यह उनकी नकल की गयी है। आप इंग्लैंड को प्रगतिशील देश मानते हैं और आपका विचार है कि वे इस पर गर्व कर सकते हैं। लेकिन वहां के कानून में इस प्रकार की धारा नहीं है जैसी कि आप यहां ला रहे हैं। मेरा कहना यह है कि आप इस प्रकार की धारा लाकर विवाह के संस्कार का मखौल न कीजिये। मैं यह मानने के लिए तैयार हूं कि विवाह-विच्छेद परमिसिव होना चाहिए। आप अनेक संशोधन हिन्दू विवाह में भी करने वाले हैं। लेकिन मेरा कहना यही है कि आप इस को बहुत शिथिल न बनाइये। जैसा कल हमारे प्रधान मंत्री जी ने बतलाया और भी दूसरे सदस्यों ने बतलाया कि यह पार्लियामेंट की अनुमति से जनता के सामने एक माडल के रूप में रखा जा जा रहा है जिसका अनुसरण सबको करना चाहिए। वह धीरे धीरे सारे हिन्दुस्तान को प्रगतिशील बनाना चाहते हैं लेकिन मैं समझता हूं कि वास्तव में उच्च कोटि के प्राणी बहुत थोड़े ही होंगे। हमारे प्रधान मंत्री ने बताया कि इस विवाह के बाद जो इल्लैजिटिमेट सन्तति होगी उसका भी झगड़ा पैदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि उनकी यह मंशा है कि लेजिटिमेट और इल्लेजिटिमेट में कोई भेद न रहे। इस भव्य आदर्श की ओर आप धीरे धीरे जा रहे हैं। ऐसा चाहते हुए आप इस प्रकार का संशोधन न स्वीकार कीजिये कि जिस के कारण विवाह संस्कार एक मखौल सा प्रतीत हो। मैं देख रहा हूं कि हम लोग इस कानून को बनाते वक्त यह विचार नहीं कर रहे हैं कि इसके परिणाम हमारे समाज पर क्या होंगे। हम लोगों से कहा जाता है कि आप पर कौन जबरदस्ती कर रहा है। चैयरमैन महोदय, हम पर जबरदस्ती नहीं हो रही है। हमने कहा कि जिनको आप इस तरह के विवाह की सुविधा देने जा रहे हैं उन बच्चों की उम्र ज्यादा करिये, लेकिन आपने उसको माना नहीं। आपने १८ वर्ष की आयु लड़की के लिए और २१ साल की लड़के के लिए रखी है। इतनी कम आयु के लोगों को आप इस प्रकार के विवाह का प्रयोग करने का अवसर दे रहे हैं और उस विवाह को तोड़ने का भी इन्तजाम कर रहे हैं, इससे बड़े भयानक परिणाम होने की सम्भावना है। आप इस इमारत को इतनी कमजोर नींव पर बना रहे हैं कि यह पहली बरसात आने पर ही ढह जायगी। आपको इस प्रकार का विवाह का आदर्श जनता के सामने नहीं रखना चाहिए। और इसलिए, चेयरमैन महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन से प्रार्थना करूंगा कि बाकी और जो कुछ सुधार आप करना चाहें करें लेकिन विवाह विच्छेद की अनुमति केवल अपवादात्मक परिस्थिति में ही दें। इस प्रश्न पर अब आखिरी समय में भी विचार कर लें। विशेष अवस्थाओं में ही विवाह तोड़ने का अधिकार दें। आप इंग्लैंड के कानून को देखिये। वहां अगर यह पता चल जाय कि काल्युज़न से डाइवोर्स करने की चेष्टा की जा रही है तो डाइवोर्स नहीं दिया जाता क्योंकि उनकी यह नीति है कि विवाह तोड़ने का यह सिद्धान्त नहीं रखना चाहिए। समाज की यही नीति रहनी चाहिए कि विवाह कायम रहे और वे दोनों मिल कर विवाह नहीं तोड़ सकते क्योंकि विवाह केवल उन दोनों की ही बात नहीं है। विवाह से बच्चों का भी सम्बन्ध होता है। उसके परिणाम बच्चों पर और समाज पर पड़ते

हैं। विवाह जिस प्रकार से अनुमति से किया जा सकता है उसी प्रकार आपस की अनुमति से तोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि उसमें एक तीसरा पक्ष भी होता है। यह पक्ष समाज है। इसलिए आपको यह चीज़ दोनों की सम्मति पर नहीं छोड़ देनी चाहिए। यदि आप यह सामाजिक नीति रखना चाहते हैं कि मां बाप की इच्छा के बिना भी वे विवाह कर सकते हैं तो इसे आप रखिये लेकिन वे चाहे जब विवाह तोड़ सकें इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए इतनी ही मेरी प्रार्थना है।

श्री के० आर० शर्मा : मेरे विचार में इस विधेयक के खण्ड २७ में निहित उपबन्ध बड़े असंगत हैं। प्रगतिशील सदस्यों के वक्तव्यों से यह ज्ञात होता है कि इस विधेयक के अधीन होने वाला विवाह एक संविदा मात्र है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

यदि ऐसा ही है तो इस प्रकार के विवाह के उपप्रमेय की ही क्यों उपेक्षा की जाय ? दोनों पक्षों की सम्मति पर विवाह का अधिकार देकर इस विधेयक के खण्ड २७ में विवाह-विच्छेद के मार्ग में बाधाओं का उपबन्ध करना निरर्थक है। जब एक पक्ष किसी कारणवश दूसरे पक्ष से सम्मत नहीं है शीघ्रातिशीघ्र उस से छुटकारा पाना चाहता है तो कोढ़ अथवा रतिज रोग के प्रकरण में पांच वर्ष तक रुकने तथा सात वर्ष की जेल हो जाने पर तीन वर्ष तक रुकने का उपबन्ध करना प्रत्यक्षतः अन्याय है। मैं माननीय विधि मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वे इस खण्ड को विधेयक में से निकाल दें ताकि सम्मति के प्रत्याहार पर विवाह-विच्छेद के हेत तुरन्त ही अभियोग चलाने का अवसर प्राप्त हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब खण्ड २२ से २६ के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये संशोधनों पर मतदान लूंगा। उसके पश्चात् माननीय सदस्य अपना वक्तव्य जारी रख सकते हैं। सर्व प्रथम मैं खण्ड २२ लूंगा जिसके संबंध में एक संशोधन संख्या ३२२ श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के नाम में है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २२ विधेयक का अंग बने।"

सभा में मत विभाजन हुआ। पक्ष में १६१- विपक्ष में ४७।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २२ विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय विधि मंत्री ने खंड २३ के संबंध में अपना एक औपचारिक संशोधन प्रस्तुत किया है।

प्रश्न यह है। कि पृष्ठ ७, पंक्ति ३५ के पश्चात् निम्न अंश जोड़ दीजिये :

"and the court, on being satisfied of the truth of the statements made in such petition, and that there is no legal grounds why the application should not be granted, may decree judicial separation accordingly"

["और न्यायालय, ऐसी याचिका में दिये हुये बयान की सत्यता के सम्बन्ध में सन्तुष्ट होकर, और प्रार्थना स्वीकार न होने के वैधानिक आधार की अनुपस्थिति

[उपाध्यक्ष महोदय]

में, न्यायिक पृथकत्व के लिये आज्ञप्ति दे सकता है"]।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा खंड २३ से संबंधित अन्य संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २३ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २३, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा खंड २४ से संबंधित विभिन्न संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा खंड २५ से संबंधित विभिन्न संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २५ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि पृष्ठ ८, पंक्ति ४६ के पश्चात् निम्न अंश जोड़ दीजिए :

"Provided that nothing contained in this section shall be construed as conferring upon any child of a marriage which is declared to be null and void or annulled by a decree of nullity any rights in or to the property of any person other than the parents in any case where, but for the passing of this Act, such child would have been incapable of possessing or acquiring any such rights by reason of his not being the legitimate child of his parents."

["परन्तु इस धारा में दी गई किसी भी बात से, एक ऐसे विवाह से, जो कि शून्य एवं निरर्थक घोषित कर दिया गया हो या शून्यता की किसी आज्ञप्ति के द्वारा शून्य कर दिया गया हो, उत्पन्न किसी भी संतान को माता पिता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति की सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई अधिकार देने का अर्थ नहीं लगाया जायेगा--ऐसे किसी भी मामले में, जहां इस अधिनियम के पारित न होने पर, ऐसी संतान अपने माता पिता की और संतान न होने के कारण ऐसे किसी अधिकारों को प्राप्त अथवा अर्जित करने के अयोग्य रही होत"]।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पाध्यक्ष महोदय द्वारा खंड २६ से संबंधित अन्य संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २६ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २६ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब खण्ड २७, २७–क तथा ३३ के संबंध में चर्चा होगी। माननीय सदस्य जो बोल रहे थे, अपना वक्तव्य प्रारम्भ करें ।

श्री के० आर० शर्मा : परस्पर सम्मति के आधार होने वाले विवाह का स्थायी रुप होना कठिन है । कुछ समय बाद ही वैवाहिक जीवन में अशान्ति का समावेश हो सकता है । अतः सम्मति के आधार पर ही विवाह-विच्छेद का भी अधिकार क्यों न प्रदान कर दिया जावे ?

उदाहरणतः यदि कोई व्यक्ति अपना अधिकांश समय कहीं और व्यतीत करता है और केवल दो या तीन घंटे के लिये ही अपनी पत्नी के सहवास में रहता है तो पत्नी के लिये विवाह–विच्छेद का पूर्ण अधिकार होना चाहिये । इसी प्रकार यदि एक स्त्री क्रीम पाउडर इत्यादि का अत्यधिक प्रयोग करती है और उसका पति इसके लिये मना करता है और यदि वह उसके शब्दों का पालन नहीं करती तो पति के लिये उसका परित्याग करने का पूरा अधिकार होना चाहिये । जब परस्पर सम्मति का ही लोप हो गया तो विवाह–विच्छेद के लिए कुछ समय की प्रतीक्षा क्यों की जाये ? मैं माननीय विधि मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वे इस पर विचार करें और खंड २७ में निहित उपबन्धों को शिथिल करें ।

श्री शंकर गौडा पाटिल (बेलगांव दक्षिण) : जिन आधारों पर धारा २७ के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं वे सब बड़े अवास्तविक तथा उत्साहहीन प्रतीत होते हैं । प्राचीन विचारधारा के अनुसार विवाह एक पवित्र सम्बन्ध है और दम्पति के लिए मोक्ष प्राप्ति का साधन है । यदि विवाह जीवन में उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता तथा वास्तविक जीवन में अव्यवहारी सिद्ध होता है तो उस पर दृढ़ रहना व्यर्थ है । हम जानते हैं कि कुटुम्ब समाज का एक महत्वपूर्ण एकक है । इस कुटुम्ब की कार्यदक्षता तथा सफलता पर ही समाज की प्रगति निर्भर है अन्यथा समाज पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है । अतः इस विधान में विवाह-विच्छेद की अनुमति के प्रति किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । अब मैं विवाह-विच्छेद सम्बन्धी उपबन्धों का विवेचन करता हूं । सब से बड़ा विरोध इस का हुआ है कि सम्मति से विवाह-विच्छेद का अधिकार न दिया जाये । इस का अर्थ यह होगा कि दोनों पक्षों को एक अत्यन्त जटिल, दुःखदायी तथा दीर्घ प्रक्रिया का आश्रय लेना पड़ेगा। जब दोनों पक्षों के हृदयों में एक दूसरे के प्रति भिन्नता के भाव उदित हो गये और उन की परस्पर सम्मति नहीं है ही तो फिर विवाह-विच्छेद के लिए इतनी बड़ी और जटिल प्रक्रिया के अनुपालन का क्या महत्व है ? वास्तव में विवाह-विच्छेद के सिद्धान्त के साथ साथ परस्पर सम्मति से विवाह-विच्छेद का उपबन्ध परमावश्यक है । अतः मैं उस उपबन्ध का समर्थन करता हूं ।

विवाह-विच्छेद के सम्बन्ध में विधि-न्यायालय की शरण लेने के लिए कितने ही आधारों पर जो कालावधि की अनुमति

[श्री शंकर गौडापाटिल]

दी गई है उस के प्रति अनेक आपत्तियां उठाई गई हैं। वैधानिक रूप से इस के प्रति कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मेरी समझ में इस प्रकार का उपबन्ध आवश्यक है ताकि उस बीच में दोनों पक्षों को पुन: समझौते का अवसर प्राप्त हो सके और असन्तोष पैदा करने वाली बातों का निवारण हो सके।

अत: मैं विवाह-विच्छेद के नियम का पूर्ण हृदय से समर्थन करता हूं और इस विधान में विवाह-विच्छेद के लिए जिन कारणों का उपबन्ध किया गया है उन से भी मैं सहमत हूं।

आचार्य कृपालानी : खंड २७ के सम्बन्ध में मैं ने अपना एक संशोधन संख्या २०१ प्रस्तुत किया है। मैं चाहता हूं कि 'जारता' शब्द के स्थान पर 'जारता के कार्य' शब्द आविष्ट कर दिये जायें। इस बात के समर्थन में मेरा तर्क यह है कि केवल एक गलती से ही स्त्री अथवा पुरुष का चरित्र नहीं जाना जा सकता। एक साधारण सा मनोवैज्ञानिक भी हम को बतला सकता है कि कभी कभी मनुष्य में क्षणिक मानसिक विकार उत्पन्न हो जाता है जिस के वशीभूत होकर वह कोई गलती कर बैठता है परन्तु बाद को अपने कार्य पर बहुत पश्चाताप करता है और ग्लानि का अनुभव करता है। अत: मेरा निवेदन है कि जारता के कार्यों के सिद्ध हो जाने पर ही उन को विवाह-विच्छेद का कारण स्वीकार करना चाहिए। दण्ड प्रक्रिया संहिता में भी दो प्रकार के अपराधी माने गये हैं, अपराधी तथा अभ्यस्त अपराधी। पहली बार अपराध करने वाले अपराधी के साथ उदारतापूर्वक व्यवहार किया जाता है और अभ्यस्त अपराधी के साथ अत्यन्त कठोर। अत: मेरा निवेदन है कि मेरे संशोधन को स्वीकार किया जाये क्योंकि माननीय मनोविज्ञान के अनुसार यह अत्यन्त समयानुकूल तथा प्रगतिशील है। मुझे आशा है कि कांग्रेस दल इस को स्वीकार करेगा।

श्री साधन गुप्त : श्रीमान्, इस सभा के लगभग सारे ही पक्षों ने इस विधेयक के खण्ड २७ का समर्थन किया है परन्तु केवल श्री देशपांडे द्वारा ही इस की कटु आलोचना की गई है। परन्तु मुझे इस पर कोई विशेष आश्चर्य नहीं है, आश्चर्य की बात तो यह है कि उन्होंने कार्य साधकता के आधार पर बहुपत्नीत्व की प्रथा का समर्थन किया है जो कि एक असभ्य समाज की बात है।

अब मैं उन के द्वारा दिये गये एक रूपक की बात लेता हूं। उन्होंने कहा है कि भवन के निर्माण तथा स्थायीत्व की ओर कोई ध्यान नहीं है, अपितु केवल भवन के नाश के लिए ही उपबन्ध किया जा रहा है। यद्यपि उन के द्वारा प्रस्तुत किया गया यह रूपक कोई विशेष सुन्दर नहीं है परन्तु फिर भी उन के रूपक के आधार पर ही मैं उन की बात को काट रहा हूं। हम एक अनुमतिक विधान बनाने जा रहे हैं और विवाह के लिए एक सरल प्रक्रिया का उपबन्ध करना चाहते हैं। खण्ड में २७ हमने इस का उपबन्ध किया है कि यदि किसी कारण से दम्पति अपना जीवन शान्तिपूर्वक चलाने में असमर्थ है, दोनों में निरन्तर अनबन रहती है और वे अपना जीवन साथ साथ नहीं व्यतीत कर सकते तो विवाह-विच्छेद के मार्ग में उनके लिए कोई बाधा उत्पन्न न की जाये। यह भाव अत्यन्त प्राचीन है कि विवाह एक पवित्रतम

और अटूट बन्धन है। वर्तमान समय में दम्पति जो कुछ अच्छा समझे वही विवाह की पवित्रता है। किसी विधि के अन्तर्गत विवाह-विच्छेद के नियम कितने ही सरल क्यों न हों और विवाह की प्रक्रिया भी कितनी ही सरल क्यों न हो न्यूनतम ८५% वैवाहिक जीवन आनन्दपूर्वक ही व्यतीत होते हैं और उनमें किसी प्रकार की अपवित्रता का प्रवेश नहीं हो पाता तथा दोनों ही एक दूसरे के प्रति अपने दायित्वों को निभाते हैं। परन्तु उन प्रकरणों में, जहां कि एक पक्ष अविश्वस्त हो गया है, वर्षों अलग जीवन बिताता है, अपने कर्त्तव्यों को पूरा नहीं करता है तथा किसी भयानक रोग से ग्रस्त है, पवित्रता, श्रद्धा तथा प्रेम के भावों को ढूंढ़ना वास्तव में दूसरे पक्ष के प्रति अन्याय करना है। इसी दृष्टिकोण को लेकर खंड २७ में विवाह-विच्छेद संबन्धी उपबन्धों का समावेश किया गया है। पवित्रता की बात पति व पत्नी के स्वयं विचार करने की है। अनिच्छित पक्ष पर समाज द्वारा विवाह के प्रति पवित्रता का भाव नहीं थोपा जाना चाहिए। अतः भवन के नाश का रूपक बिल्कुल अर्थ-हीन है। जहां तक विवाह-विच्छेद का सम्बन्ध है, यह इमारत के टूट-फूट जाने जैसा प्रश्न नहीं है। जिस प्रकार नगर-पालिका का विधान यह है कि यदि कोई इमारत बिल्कुल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है तो उसे गिरवा देना ही ठीक समझा जाता है। विवाह-विच्छेद खण्ड भी श्री देशपाण्डे के मतानुसार ठीक इसी प्रकार का है। यदि पति-पत्नी में एक दूसरे के प्रति वफादारी नहीं रहती अथवा असाध्य रोग या मस्तिष्क के विकृत हो जाने पर उनकी जीवन रूपी इमारत की अवस्था उतनी ही जीर्ण-शीर्ण हो जाती है तो उसे गिरवा देना ही श्रेयस्कर होगा अर्थात् विवाह-विच्छेद हो जाना ही एकमात्र उपचार रह जाता है।

अब श्री देशपांडे की दो खण्डों की आलोचना को लीजिये। एक तो जारता खण्ड और दूसरा पारस्परिक सम्मति। मैं श्री देशपाण्डे को स्मरण कराना चाहता हूं कि आप चाहे मनमानी जारता करें किन्तु यदि आपके जीवन साथी की विवाह-विच्छेद की सम्मति नहीं है तो आपको दूसरा जीवन साथी नहीं मिल सकता। हमने तो श्री देशपांडे की भांति जारता करने वाले को एक से अधिक जीवन साथी प्राप्त करने की व्यवस्था नहीं की है। हम तो केवल एक ही पत्नी के पक्ष में हैं। भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत जारता दण्डनीय है। केवल जारता के कारण पुरुष अथवा स्त्री यदि इतने नारा हो गई हो कि वे एक दूसरे के साथ रहने को तैयार नहीं हैं तब तो अवश्य वे एक दूसरे से सम्बन्ध विच्छेद कर सकते हैं। इसी आधार पर मैं श्री कृपालानी के इस संशोधन का भी विरोध करता हूं कि विवाह-विच्छेद की अनुमति देने के लिये अनेक बार जारता सिद्ध होनी चाहिये। यदि कहीं एकाध बार जारता हो जाती है तो अधिकांश मामलों में जीवन साथी उस पर ध्यान नहीं देगा क्योंकि घर के नष्ट हो जाने तथा बच्चों आदि का ध्यान रखना पड़ता है। हां, यदि इस प्रकार की एकाध बार की जारता को बहुत महत्त्व दिया जाता है तो फिर जैसा भी वे दोनों उचित समझें वैसा होना चाहिये।

अब पारस्परिक सम्मति वाले खण्ड को लीजिये। यदि पति-पत्नी दोनों जब तक एक साथ रह सकते हैं तभी तक

[श्री साधन गुप्त]

रहते हैं और विवाह को एक पवित्र वस्तु मान कर रहते हैं तो कोई बात नहीं और यदि वे इसे पवित्र सम्बन्ध नहीं समझते तो जब भी चाहें विवाह-विच्छेद कर सकते हैं । हम व्यर्थ में अपनी टांग क्यों अड़ायें ? इसका निर्णय तो हमें उन्हीं के ऊपर छोड़ देना चाहिये ।

अमरीका में अनुमान लगाया गया है कि सम्भवत: एक मिनट में चार विवाह-विच्छेद होते हैं किन्तु विवाहों की संख्या की तुलना में यह अनुपात बिल्कुल ही नगण्य है । हमारे यहां यह चीज़ इससे कम इसलिये है कि हमारा समाज वहां से भिन्न है । हमारे यहां उत्तरदायित्व की भावना अमरीका से अधिक है ।

हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि सामाजिक शिथिलता विधान से उत्पन्न न होकर एक प्रकार के सामाजिक विकास के कारण उत्पन्न होती है । यदि भारत में इस प्रकार का सामाजिक विकास होता है तो कोई भी विधि समाज में शिथिलता के आगमन को नहीं रोक सकेगी ।

मैं ने परित्याग, मस्तिष्क की असाध्य विकृति, फैलने वाले रतिज रोग, कुष्ठ रोग इत्यादि के आधार पर विवाह-विच्छेद की अनुमति देने वाले खंडों के बारे में संशोधन संख्या ४३६, ४३८, ४४०, ४४३ तथा ४४४ की सूचना दी है । मैं ने इन सभी अवस्थाओं में दो वर्ष का समय रखा है । अर्थात् साधारणत: उपर्युक्त रोगों में से यदि कोई रोग है तो दो वर्ष में यह पता लग जायगा कि कोई व्यक्ति रोग मुक्त हो जायगा अथवा नहीं । सात वर्ष से जिस व्यक्ति के विषय में नहीं पता चला है उसके लिये भी चाहे वह संसार के किसी भी भाग में चला जाय तो भी एक सप्ताह के अन्दर सूचना पहुंचा सकता है । अत: दो वर्ष का समय भी आवश्यकता से अधिक है ।

श्री सिंहासन सिंह (ज़िला गोरखपुर—दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी के लिये आप से जानना चाहता हूं कि क्या केवल उन्हीं व्यक्तियों को बोलने का अवसर दिया जायगा जिन्होंने अपने संशोधन पेश किये हैं या औरों को भी बोलने का अवसर प्रदान किया जायगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : सब को दिया जायगा, सब्र रखिये ।

श्री बी० डी० शास्त्री (शाहडोल-सिद्धि) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक और खासकर इस में जो सेक्शन २७ है यह बहुत ही विचारणीय है । इसके विरोध में जो २०३ से २०७ नम्बर तक संशोधन उपस्थित किये गये हैं, मैं उन के समर्थन में अपना मंतव्य उपस्थित कर रहा हूं । वस्तुत: इस विधेयक के द्वारा देश में हम एक बहुत बड़ा परिवर्त्तन करने जा रहे हैं । इस परिवर्त्तन के बावजूद भी देश की क्या स्थिति होगी, इस पर भी गम्भीरता से हमें विचार करना चाहिये । यह जो संशोधन उपस्थित किये गये हैं इनकी बुनियाद यह है कि भारत वर्ष एक बड़े आदर्श का देश रहा है । कम से कम महिला जगत के लिये या पति पत्नी के प्रेम के लिये जो आदर्श इस देश का था, उसकी तुलना में आज तक कोई भी देश नहीं आ सका । वस्तुत: देखा जाय तो यह लगता है कि देश में एकता कहीं नहीं है, देश में वर्ग वाद है, देश में सामाजिक स्थिति ठीक नहीं, देश में सम्प्रदायवाद है, इसलिये आपस में परस्पर

एकता की कमी है, पर यदि हम देखें कि वस्तु स्थिति के आधार पर देखें कि कहीं एकता को शरण मिली है या नहीं तो देखते हैं कि यदि कहीं एकता है तो वह दांपत्य प्रेम में पति पत्नी के बीच में विद्यमान है और अगर हम डाइवोर्स का सिस्टम लागू कर दें तो भविष्य में एकता का निर्माण करने के बजाय यह जो रही सही एकता थोड़ी पति पत्नी के बीच में है, उसको भी हम समाप्त करने जा रहे हैं ।

दूसरी बात यह है कि हर देश का अपना अलग अलग साहित्य होता है हमारे देश का भी एक बहुत पुराना साहित्य है और उस पुराने साहित्य में जो आज हज़ारों वर्षों से चला आ रहा है आज भी उस की प्रगति उसी रूप में है। हम देख रहे हैं कि हमारे देश के साहित्यकारों ने साहित्य में नवरस का निर्माण किया है और नौ रसों में शृंगार रस को प्रधानता दी है और शृंगार रस को प्रधानता इसलिये दी है कि उसमें रति का स्थायित्व होता है । शृंगार में रति जिसका पर्यायवाची शब्द है प्रेम स्थायी है। साहित्यकारों ने बताया है कि वह रति केवल पति पत्नी के बीच में है । पति पत्नी के बीच में हुए शृंगार पर आज तक के सारे साहित्यकारों ने अपनी रचनाएं की हैं और उसका आश्रय लिया है साहित्य की सेवा की है, यदि आज हम वहां से भी प्रेम को हटा दें और याद रखिये प्रेम वहीं पैदा होता है जहां भय नहीं होता, जहां भय होता है वहां प्रेम नहीं होता । तो जब कि पहले ही से इस क्लाज़ की वजह से यह भय बना रहेगा कि पता नहीं, कितने दिन हमारा इनका सम्बन्ध क़ायम रह सकेगा, एक वर्ष बाद, दो वर्ष बाद या तीन वर्ष बाद कब एक दूसरे से अलग हो जायेंगे तो जहां इस प्रकार का एक डर और का बनी रहेगी वहां प्रेम नहीं रह सकता और जहां प्रेम को स्थान नहीं वहां शृंगार नहीं और जहां शृंगार नहीं होगा वहां साहित्य क्या उन्नति करेगा और फल यह होगा कि धीरे धीरे उस देश का सारा साहित्य नष्ट हो जायगा । इसके अलावा हम देखें कि पुराने रीति रिवाज़ जो कि अच्छे सिद्ध हुए हैं उनको देश का नव निर्माण करने की मिथ्या धुन में अपना और अपने देश और समाज का बड़ा अहित न कर बैठें । वैदिक रीति से प्राचीन परम्परा से सम्पन्न हुए विवाहों के समय में यह मंत्र उच्चारण किया जाता था :

"ॐ समञ्जन्तु विश्वेदेवा :
समापो हृदयानि नौ"

अर्थात्, हे देवताओं तुम्हारे सामने हम पति पत्नी के दो हृदय आपस में मिलकर पानी के समान एक हो जांय। अब हर चीज़ की मिलावट को तो आप अलग कर सकते हैं लेकिन पानी की मिलावट को अलग नहीं कर सकते, तो इस तरह का पति और पत्नी का जो दांपत्य प्रेम है उसको इतनी दृढ़ता और चिरस्थायित्व दिया है कि इसी जीवन में नहीं बल्कि आगे आने वाले जन्म में भी उसका स्थायित्व रहे, खैर हम अगले जन्म को छोड़ भी दें, हम इस जीवन तक ही उसका स्थायित्व मानें, तो भी हम उसी आधार पर अपने देश का निर्माण कर सकते हैं । पति और पत्नी के बीच जो एक सुन्दर भावना देश के निर्माण की है उस चीज़ को भुला कर हम पहले से ही डाइवोर्स का भय रख दें, तो हम देश का निर्माण करने में सफल नहीं हो सकते ।

दूसरी बात यह है कि एक आरोप यह है कि पुरुष जाति ने जान बूझकर

[श्री बी० डी० शास्त्री]

अपने लिये बहु पत्नी विवाह प्रथा का निर्माण किया है और स्त्रियों के लिये बहु विवाह प्रथा का निषेध किया है, किसी अंश में स्त्री मात्र के साथ ज्यादती है, परन्तु सूक्ष्म विचार से देखा जाय तो ज्यादती नहीं हैं पुरुष जाति के बहु विवाह का कारण था सन्तति उत्पन्न करना। उस समय संतति की कमी थी, इसलिये इस बात की गुंजायश रक्खी थी कि अगर एक स्त्री के संतान उत्पन्न न हो तो उस अवस्था में अपवादस्वरूप दूसरी स्त्री से शादी कर लेने को जायज़ माना गया था, फिर भी शास्त्र कारों का मत है कि उन्होंने इस दृष्टि से कभी विवाह प्रथा को प्रोत्साहन नहीं दिया कि वह विलास व भोग के लिये विवाह करें, विवाह दूबारा करने की अनुमति अगर दी गयी है तो सिर्फ़ संतान उत्पन्न करने के लिये और हमारे वहां ऐसा लिखा है:

"ऋतुमतीं भायांभुयेयात्"

उस समय मनुष्य भोग के लिये विवाह नहीं करता था बल्कि अच्छी संतान पैदा करने के लिये विवाह करता था, मैं यह मानता हूं कि आज परिस्थिति ऐसी है जब हमें ज्यादा संतान पैदा करने की आवश्यकता नहीं रह गयी है बल्कि एक तरह का नियंत्रण आवश्यक हो गया है तो यह तो मैं मान सकता हूं कि आप इस तरह की इसमें व्यवस्था कर दें कि पुरुष अपना दूसरा विवाह न कर सके, वह मैं समझ सकता हूं, लेकिन डाइवोर्स का जो क्लाज़ है मैं इसके सर्वथा विरुद्ध हूं और चाहता हूं, कि कम से कम इस क्लाज़ के बाबत बहुत दूर तक सोच कर आगे कोई क़दम बढ़ाया जाय।

श्री सिंहासन सिंह (ज़िला गोरखपुर—दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर मैं देखता हूं बहुत सी बातें कही जा रही हैं। अभी मेरे से पूर्व वक्ता शुद्ध और सुन्दर हिन्दी में धार्मिक पद्धति से किये गये विवाहों की महिमा और उनके गुणों के बारे में कहा। वह सब ठीक है लेकिन इस विशेष विधेयक का धार्मिक विचारों से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह विधेयक जैसे और चीज़ों के कंट्रैक्ट्स होते हैं वैसे ही इसके द्वारा शादी को भी एक कंट्रैक्ट का रूप दिया जा रहा है। शादी की रजिस्ट्रार के वहां रजिस्ट्री होगी और जो स्त्री अथवा पुरुष अपनी खुशी से इस विधेयक के द्वारा अपनी शादी रजिस्टर करायेंगे तो उनके लिये डाइवोर्स भी होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि विवाह हुआ करता है। यह विवाह कोई धार्मिक पद्धति अथवा संस्कार से सम्पन्न नहीं होने जा रहा है जिसके कारण पूर्व वक्ता ने यह कहा कि इस जन्म में और अगले जन्म में भी पति और पत्नी के बीच एक अटूट सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। यह विवाह तो इस जन्म के लिये है, इसलिये इसमें ऐसे विषयों का आना कोई ज्यादा उपयुक्त नहीं है। डाइवोर्स का इसमें प्राविज़न तो रखना ही पड़ेगा, हां मैं यह ज़रूर महसूस करता हूं कि कुछ बातें इसमें अनुचित रूप से आगयी हैं, उनको निकाल दिया जाय तो यह ठीक हो सकता है और जैसा कि हमारे पूज्य कृपलानी जी संशोधित करना चाहते हैं अगर वह कर दिया जाय तो यह अपने स्थान पर बहुत सही होगा लेकिन क्लाज़ २७ के उपधारा 'सी' में जो विवाह-विच्छेद का कारण बताया है उसमें बड़ा अनर्थ होने की सम्भावना है क्योंकि ऐसा उसमें दिया हुआ है:

"[जैसी कि भारतीय दण्ड संहिता (१८६० के अधिनियम संख्या, ४५) में व्याख्या की

गई है अपराध के लिये सात वर्ष अथवा अधिक समय के लिये जेल की सज़ा भुगत रहा है]" यह जो कारण विवाह-विच्छेद का बताया है उसमें बड़ा आघात होने की सम्भावना है क्योंकि ऐसा समय आ सकता है कि कोई पुरुष औरत के रक्षार्थ ही किसी पर आघात कर देवे और उसमें उसको सात वर्ष की सज़ा हो जाय और सज़ा के तीन वर्ष व्यतीत हो चुके हों तो विवाह-विच्छेद हो सकता है, मैं समझता हूं कि दोनों प्रकार से वैवाहिक सम्बन्ध पर एक बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा।

मेरे विचार में अगर किसी पुरुष का किसी अनर्गल कार्य में सजा हो, जैसे चोरी हो, डकैती हो, तब तो मैं समझ सकता हूं कि उस की स्त्री उस से विवाह-विच्छेद करे। लेकिन इंडियन पेनल कोड की किसी धारा के अन्तर्गत अगर उस को सजा हो जाय, जैसे अपने घर और ज़मीन की रक्षा के लिये कोई फौजदारी कर बैठे, या कत्ल कर बैठे, तो उस को सात वर्ष के ऊपर की सजा हो जायेगी ऐसी अवस्था में भी विवाह-विच्छेद हो जाय यह रखना ठीक नहीं है। इस लिये जो श्री मूलचन्द दुबे का संशोधन है, कि इस को निकाल दिया जाय, वह बड़ा अच्छा है, ऐसा मेरा ख्याल है। और भी कुछ भाइयों के संशोधन हैं कि 'मारल टर्पिट्यूड' बढ़ा दिया जायें। वह भी हो सकता है, लेकिन जिस रूप में यह रक्खा जा रहा है उस से बड़ा अनर्थ होने की सम्भावना है।

इस के बाद मैं देख रहा हूं कि क्लाज़ 'बी' और क्लाज़ 'क' में सामंजस्य नहीं है।

यानी तीन वर्ष तक अगर किसी का सम्बन्ध बिना कारण से छूट जाता है तो वह भी कारण हो सकता है विवाह-विच्छेद का लेकिन क्लाज़ 'क' में कहते हैं :

"याचक से एक वर्ष या अधिक समय से अलग रहा है। अथवा दोनों पक्षों ने एक साथ रहना अस्वीकार कर दिया है तथा विवाह-विच्छेद करने के लिये पारस्परिक सम्मति दे दी है।" यहां एक वर्ष कर दिया। एक तरफ 'बी' में, तीन वर्ष बिना कारण विशेष के अलग रहे तो विवाह-विच्छेद हो सकता है, यह रख दिया। लेकिन साथ ही 'क' में यह रख दिया :

"याचक से एक वर्ष अथवा अधिक समय से अलग रहा है।"

यानी एक वर्ष या एक वर्ष से अधिक अगर पिटिशनर से अलग रह जाय सकारण रहे या बिना कारण रहे विवाह-विच्छेद हो सकता है। तो मैं विधि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दोनों में कहां तक सामंजस्य है? और दोनों में जो असमानता है उस का क्या परिणाम होगा। एक वर्ष तक अलग रहने पर भी विवाह-विच्छेद हो सकता है और तीन वर्ष तक अलग रहने पर भी विवाह-विच्छेद हो सकता है। बिल तो ऐसा होना चाहिये कि झगड़े का कोई मौका न रहे और कम से कम मुकदमेबाज़ी की नोबत आये। जब आप दोनों चीजें रक्खेंगे तो कैसे काम चलेगा। जब दावे होंगे तो कोई तो एक वर्ष की बात कहेगा और कोई तीन वर्ष की बात कहेगा। होता यह है कानून में कि अगली बात के बाद जो पिछली बात कही जाती है उसी को ठीक माना जाता है। तो इस में पहले तो तीन वर्ष रक्खा और बाद में एक वर्ष रक्खा है। नतीजा यह होगा कि पिछली बात रह जायेगी और पहली बात खत्म हो जायेगी। इस लिये हम जो विधान

[श्री सिंहासन सिंह]

बनावें वह अदालत में जा कर अल्ट्रा वायर्स न हो जाय इस का हम को ध्यान रखना चाहिये, हम ने बहुत से विधान बनाये हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जा कर अल्ट्रा वायर्स हो रहे हैं। इस लिये आप दिल्लगी के लिये विधान न बनायें। आप को इस पर भी विचार करना चाहिये कि कहीं ऐसा विधान न बन जाये जो कि अल्ट्रा वायर्स (अधिकार के बाहर) हो जाय। अगर इस के लिये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि: "जहां तक इसका सम्बन्ध है यह अधिकार के बाहर है।" तो हमारी सब मेहनत बेकार गई। हम ने इतना परिश्रम करके कानून बनाया और उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने उखाड़ कर रख दिया तो उससे क्या फायदा ? इस लिए मैं विधि मंत्री से पूछूंगा कि इस में समानता कहां है ? अगर इस में समानता नहीं है तो वह इसको ठीक कर लें।

दूसरी बात जो इस में है वह श्रीमती उमा नेहरू के संशोधन में है। अर्थात् 'के' धारा को निकाल दिया जाय कि पति और पत्नी दोनों के आपसी राय से विवाह-विच्छेद न हो जाए। जहां पर दोनों की अपनी इच्छा से, बिना माता पिता की मर्जी से शादी हो सकती है वहां दोनों के चाहने से विवाह-विच्छेद भी हो सकता है, इस में किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता है। लेकिन इस में एक आपत्ति का कारण है। मेरी आपत्ति वह नहीं है जो कि मेरे मित्र श्री वी० जी० देशपांडे जी की थी। उन्होंने धर्म का जिक्र कर के विवाह के विच्छेद का विरोध किया था। मैं नहीं कहता कि इस बिना पर विरोध किया जाए। वास्तव में विवाह-विच्छेद का तो विरोध होना ही नहीं चाहिए क्योंकि इस विधेयक को हम ने मूलत: स्वीकार कर लिया है और इस की बहुत सी धाराएं पास कर ली हैं। विवाह का विच्छेद होना तो आवश्यक ही है। लेकिन जहां दोनों की सम्मति से विच्छेद की बात है, वहां देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर साथ ही खतरा भी है। मैंने अपना पक्ष उस समय और भी मजबूत समझा जब कि मैंने देखा कि इस धारा के उड़ा देने के पक्ष में हमारी बहिनें श्रीमती उमा नेहरू जी हैं और श्रीमती मायादेव जी हैं। मैं भी यही सोचता हूं कि इस को उड़ा दिया जाए तो अच्छा है। विवाह-विच्छेद पति और पत्नी दोनों की रजामन्दी से होगा। लेकिन एक पक्ष अर्थात् पुरुष का पक्ष सबल है और स्त्री का पक्ष निर्बल होता है। प्राय: देखा गया है कि पुरुष स्त्री को ताड़ना दे कर, पीट कर राजी करने में कामयाब हो जाता है कि वह विवाह-विच्छेद कर ले। और जब वह राजी हो जाएगी तो वह मनमानी शादी करेगा।

[पंडित ठाकुरदास भार्गव पीठासीन हुए]

तो इस तरह से यह जो धारा है वह स्त्रियों के हित में न हो कर उनके विरुद्ध जाएगी। मेरा ख्याल है कि शायद इसी विचार से श्रीमती उमा नेहरू ने इस को कहा है कि निकाल देना चाहिए। इस बात पर हमारे विधि मंत्री अवश्य गौर करें। अगर यह एक चीज स्त्रियों के विरोध में जाती है तो इस को निकाल देने में मेरे विचार में कोई हर्ज नहीं है।

धारा 'ई' रोग होने के बारे में है और धारा 'जी' लेप्रासी के बारे में है। अगर कोई पांच वर्ष तक कोढ़ रोग से पीड़ित हो और वह इन्क्योरेब्ल हो तो

विवाह-विच्छेद हो सकता है। मेरे विचार म यह ठीक नही है। पांच वर्ष तक एक दूसरे के साथ इच्छा के विरुद्ध रहने के लिए कानून द्वा ा बाधित किए जायें ठीक नही जंचता। क्योंकि साथ रहने से दूसरे को कोढ़ हो जाने की सम्भावना है अतएव अगर वे चाहते हों कि वह अलग हो जायें तो उन को इस का मौका मिलना चाहिए। अगर वह खुशी से साथ रहना चाहें तो रहें, लेकिन अगर वह पांच वर्ष के पहले ह अलग होना चाहें, क्योंकि इस प्रकार वह एक दूसरे को बीमार होने से बचा सकें हैं, तो उन को इस का मौका क्यों न दिया जाए। क्लाज़ ४ में लिखा है कि शादी किन किन अवस्थाओं में होगी। वहां कोई भी समय की अवधि नहीं दी हुई है। इसलिए केवल विवाद-विच्छेद के लिए पांच वर्ष रखना ठीक नहीं है।

इस के आगे आप इस कानून की धारा २८ पर गौर कीजिये। वहां दिया है कि तीन वर्ष के अन्दर विवाह-विच्छेद का दावा नहीं हो सकता। इस बीच में पुरुष ऐडल्ट्री करता रहे, लेकिन तीन वर्ष तक पत्नी घर में बैठी रहे और सब बातों को देखती रहे। यहां तीन वर्ष क्यों रक्खा गया है यह मेरी समझ में नहीं आता है। ..मान लीजिये कि शादी के बाद दम्पति में प्रेम भाव नहीं हुआ, एक दूसरे में विश्वास नहीं हुआ, तो वह जिस वक्त चाहें दावा कर के अलग हो जावें, यह रखना चाहिए। दोनों चीजों अर्थात् धारा २७ व २८ को आप साथ रख कर चलें। अ र में अनुरोध करूंगा कि जो भी माननीय सदस्य बोलें वह दोनों बातों को साथ रख कर बोलें। इस प्रकार हम ज्यादा बुद्धिमत्ता के साथ विचार कर सकते हैं। हम को सोचना चाहिए कि विवाह-विच्छेद अगर तीन वर्ष के पहले न होना चाहिए तो क्यों न होना चाहिए।

इतना ही मुझे कहना है। आप ने चूंकि घंटी बजा दी है, इस लिए अब में समाप्त करता हूं।

श्री सी० सी० शाह (गोहलवाड-सोरठ) : हमारे सम्मुख प्रश्न यह है कि यदि हम विवाह-विच्छेद की अनुमति दें हैं तो वह किसी सिद्धान्त पर आधारित है अथवा नहीं। अत: हमें खण्ड २७ में दिए गए कारणों की जांच करनी होगी।

साधारणत: विवाह जीवन की एक अविच्छिन्न वस्तु होती है किन्तु यदि पति पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति दूसरे के साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार कर उसे साथ रहने के लिए विवश करता है तो समाज को विच्छेद की अनुमति दे देनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि विवाह-विच्छेद के मामले में याचक वह पक्ष होना चाहिए जिसके साथ अनुचित व्यवहार किया गया है और जो निर्दोष है। इसी कारण उसके प्रति हमारी सहानुभूति रहती है और तभी विवाह-विच्छेद की अनुमति दी गई है। यदि ऐसा है तो पारस्परिक सम्मति वाला विच्छेद समाप्त हो जाता है क्योंकि यदि दोनों ही विच्छेद के लिए कहते हैं तो इसका तात्पर्य यह होगा कि विवाह अविच्छिन्न संस्कार नहीं है। यदि खण्ड २७ के आधारों में से केवल (ट) को छोड़ कर अन्य आधारों की जांच करें तो सभी आधार ऐसे मिलेंगे जिनसे याचक को कोई मतलब नहीं। इन सभी कारणों में प्रतिविवादी का दोष होता है और याचक निर्दोष। इसीलिए विवाह-विच्छेद के लिए अभिमाने स्वीकार कर लिया जाता है। कहा यह जाता है कि विवाह एक समझौता है, अत: पारस्परिक सम्मति

[श्री सी० सी० शाह]

के आधार पर इसको तोड़ा भी जा सकता है । निस्सन्देह यह समझौता अवश्य होता है जिसका तात्पर्य यह होता है कि इसको स्वीकार करने के लिए किसी पर जोर नहीं डाला जा सकता । हां यह बात आवश्यक है कि यह समझौता जीवन भर के लिए किया जाता है ।

श्री वेंकटरामन : जी नहीं ।

श्री सी० सी० शाह : आप जी नहीं कह कर तो विवाह के विचार को समाप्त कर रहे हैं । यह कहना अतार्किक होगा कि विवाह-विच्छेद एक पक्ष के अनुरोध से नहीं हो सकता । आप किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहने के लिए विवश क्यों करना हैं ? इस विच्छेद के लिए न्यायालय की शरण क्यों लेते हैं ? कारण यह है कि विवाह केवल दो पक्षों के बीच ही चीज न हो कर वरन् समाज से भी सम्बन्ध रखता है और उसका सामाजिक महत्व भी है । अत: विवाह-विच्छेद की अनुमति देने से पूर्व समाज की सम्मति लेनी भी आवश्यक होती है । अन्यथा आप केवल विवाह पंजीयक को सूचित कर सकते हैं कि आपने पारस्परिक सम्मति से विवाह-विच्छेद कर लिया है । न्यायालय की शरण लेने की आवश्यकता इस कारण पड़ती है कि न्यायालय समाज का प्रतिनिधित्व करता है जिसे इस बात से सन्तुष्ट होना पड़ता है कि यह मामला ऐसा है जिसमें विच्छेद की अनुमति दी जानी चाहिए । इसके अनेक समाज से सम्बन्धित परिणाम निकलते हैं । इसी कारण विवाह-विच्छेद विधि में इस बात की व्यवस्था की गई है कि दोनों पक्षों को सौगन्ध खाकर यह कहना पड़ेगा कि वे आपस में मिले हुए नहीं हैं । मान लीजिए कि अन्त में तथ्यों से पता यह लगता है कि वे दोनों मिले हुए थे तो आज्ञाप्ति खारिज कर दी जानी चाहिए । अत: मेरा निवेदन यह है कि जब आप पारस्परिक सम्मति पर विच्छेद के लिए अनुमति दें हैं तो जान बूझ कर आपको ऐसा करना चाहिए । यदि हम विवाह को अस्थायी बनाना चाहते हैं तो बड़े सोच विचार कर ऐसा करना चाहिए ।

प्रस्तावित नए खण्ड २७ (क) के शब्द हैं यदि कोई पति अथवा पत्नी एक दुसरे से एक वर्ष से अलग-अलग रहते हैं । मान लीजिए कि पत्नी अपनी इच्छा से नहीं वरन् पति स्वयं ही अलग रहने लगता है । तो यह कहना सही तो होगा कि वे अलग-अलग रह रहे हैं किन्तु पारस्परिक सम्मति से नहीं । दूसरी बात यह है कि वे एक साथ नहीं रह सके हैं । इसमें भी दोनों का अपराध न होकर केवल एक का ही हो सकता है । हो सकता है कि पति अपनी पत्नी के साथ न रहना चाहता हो, इस कारण वे एक साथ नहीं रह सके । इन दोनों अवस्थाओं में पत्नी को किन्तु पति को नहीं, निस्सन्देह ही विवाह-विच्छेद के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए । मान लीजिये कि उन्होंने परस्पर निश्चय किया है कि विवाह को तोड़ दिया जाये । किन्तु पारस्परिक सम्मति डरा धमका कर और क्रूरता का व्यवहार कर के भी प्राप्त की जा सकती हैं । मेरी राय में इस को आज्ञा नहीं दी जा सकती । जो पति या पत्नी तलाक लेना चाहे, वह दूसरे का जीवन इतना दूभर कर सकता है या सकती है कि दूसरे के लिए अपनी सम्मति देने के सिवा कोई चारा ही न रहे और जो

पति या पत्नी एक दूसरे को धमका सकते हैं, वे इस बात का भी प्रबन्ध कर सकते हैं कि इस प्रकार की धमकी या दबाव न्यायालय के समक्ष प्रकट न हो। मेरा निवेदन है कि पारस्परिक सम्मति द्वारा विवाह-विच्छेद विवाह के विचार का ही खंडन करता है। इसलिए मैं संशोधन ९७ और ५१० को स्वीकार नहीं कर सकता।

मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि विवाह-विच्छेद विधि एक सी होनी चाहिए। अन्यथा इस का परिणाम यह होगा कि खंड १५ का बहुत दुरुपयोग किया जायेगा। यदि आप ने इस विधेयक में पारस्परिक सम्मति से विवाह-विच्छेद की अनुमति दे दी किन्तु हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक में न दी, तो कोई भी व्यक्ति अपना विवाह इस विधेयक के अन्तर्गत रजिस्टर करा कर तलाक ले सकता है। इसलिए दोनों विधेयकों में एक जैसे उपबन्ध होने चाहिएं।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर): मैं इस खंड पर एक साधारण मनुष्य की दृष्टि से विचार करूंगा। यदि इस दृष्टि से देखा जाये, तो मालूम होगा कि तलाक लेना कोई आसान काम नहीं है।

विवाह के सम्बन्ध में, धर्म के आधार पर बहुत से तर्क दिये गये हैं। मैं आप से कुछ प्रश्न पूछता हूं। क्या आप ऐसे विवाह को जारी रखना चाहेंगे जिस में पति पत्नी में से कोई भी व्यभिचारी हो? आप अवश्य उस विवाह को तोड़ना चाहेंगे। मैं पूछता हूं क्या ऐसा विवाह जारी रहना चाहिए जिस में एक पक्ष ने दूसरे को छोड़ दिया हो या कोई दण्डनीय अपराध किया हो? क्या आप ऐसा विवाह जारी रखना चाहेंगे जिस में एक पक्ष अत्याचार करने या पीड़ा देने का दोषी हो या विकृत-चित्त हो? मेरे विचार में कोई भी नहीं कहेगा कि ऐसे विवाहों को जारी रखा जाये। विवाह आखिर सुख की प्राप्ति के लिए एक साझेदारी है। यदि सुख की प्राप्ति न हो सके, तो यह साझेदारी तोड़ देनी चाहिए। क्या आप चाहेंगे कि एक पक्ष दूसरे के साथ जिसे कोई घृणित या रतिज रोग हो, रहता रहे? क्या आप चाहेंगे कि कोई ऐसा विवाह जारी रहे जिस के एक पक्ष का बहुत देर से कुछ पता ही न हो? मैं आप से ये प्रश्न पूछता हूं और आप से कहता हूं कि आप मानवता के दृष्टिकोण से इन पर विचार करें।

पंडित डी० एन० तिवारी: क्या आप का अभिप्राय यह है कि विवाह छोटी छोटी बातों पर तोड़ दिया जाये?

श्री डी० सी० शर्मा: समय की अवधि इस प्रकार रखी गई है कि इन छोटी छोटी बातों के कारण विवाह न तोड़ा जा सकेगा।

पारस्परिक सम्मति से विवाह-विच्छेद के बारे में, मैं उन माननीय सदस्यों से जो यह समझते हैं कि यह सम्मति डरा धमका कर ली जा सकती है, यह पूछता हूं कि यदि पति क्रूर है और अपनी पत्नी से क्रूरता का व्यवहार कर के विवाह-विच्छेद की सम्मति प्राप्त कर सकता है, तो वह उस से सब कुछ करवा सकता है और उस पत्नी को ऐसे पति के साथ नहीं रहना चाहिए। इसी तरह यदि पत्नी क्रूर हो, तो पति को उसके साथ नहीं रहना चाहिए। अतः मैं समझता हूं कि यह खंड पति पत्नी दोनों को

[श्री डी० सी० शर्मा]

क्रूरता से बचाता है। इस का दुरुपयोग करना बहुत कठिन है। इस से विवाह का सम्बन्ध वैसे ही पक्का रहेगा किन्तु दुखमय जीवन बिताने वाले पक्षों को छुटकारा मिलेगा।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं विवाह-विच्छेद सम्बन्धी उपबन्ध का सामान्य रूप से समर्थन करता हूं किन्तु मैं कुछ उपखंडों के बारे में एक दो बातें कहना चाहूंगा। सब से पहले मैं उपखंड (क) को लेता हूं जो कि जारता के बारे में है। आचार्य कृपलानी ने कहा था कि 'जारता' शब्द के बाद 'के कार्य' शब्द जोड़ देने चाहिएं। जारता के एक ही कार्य को विवाह-विच्छेद का आधार बना लेना युक्ति युक्त नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति यह नहीं समझ सकते हैं कि ऐसे कार्य का क्या परिणाम होगा। कुछ अवस्थाओं में कुछ स्त्रियां जिन्हें अपने पतियों से बच्चे नहीं हो सकते, अन्य पुरुषों के पास जाती हैं। इस में अपराध का या कोई अन्य भावना नहीं होती। क्या आप ऐसी अवस्था में विवाह-विच्छेद की आज्ञा देंगे ? मेरे कहने का अर्थ यह है कि जब तक जारता पूर्णतया सिद्ध न हो जाये, इसे विवाह-विच्छेद का आधार नहीं बनाना चाहिए।

'क्रूरता' शब्द के बारे में भी कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। मैं यह जानना चाहूंगा कि किस प्रकार की क्रूरता को विवाह-विच्छेद का आधार माना जायगा। मेरी राय में केवल 'अत्यधिक क्रूरता' को, ऐसी क्रूरता को जिस से पति या पत्नी के शरीर को गम्भीर चोट पहुंचे और जो कि साधारण रीति से या साधारण समय में ठीक न हो सके, विवाह-विच्छेद का आधार मानना चाहिए।

अब मैं विकृत चित्त के सम्बन्ध में संशोधन संख्या ४११ को लेता हूं। मान लीजिये कि एक व्यक्ति पागल है या मूढ़ है और उसका इलाज उचित रूप से नहीं होता। क्या इस आधार पर विवाह-विच्छेद की आज्ञा दे देनी चाहिए। उस का इलाज समाज या सरकार को करना चाहिए। यदि उस का उचित इलाज न हुआ हो, तो विवाह न तोड़ना चाहिए। यदि इलाज के बाद भी पुरुष या स्त्री ठीक न हो, तो विवाह-विच्छेद की आज्ञा दे देनी चाहिए।

अन्त में, मैं पारस्परिक सम्मति के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। कुछ सदस्य इस के विरुद्ध हैं और इसे क्रांतिकारी समझते हैं। मैं समझता हूं कि यह बिलकुल युक्तियुक्त है। मैं समझता हूं कि जारता, रतिज रोग या किसी अन्य आधार पर तलाक देने की तुलना में पारस्परिक सम्मति के आधार पर तलाक देना कहीं अच्छा है। यदि एक पक्ष दूसरे के साथ नहीं रहना चाहता और दोनों पृथक होने पर सहमत हैं, तो उन्हें बजाय इसके कि कि कोई अन्य अपराध करें, तलाक दे देना चाहिए।

श्री पाटस्कर : मैं उस राज्य से आया हूं जहां पिछले पांच वर्षों से अटूट धार्मिक विवाह की कोई प्रथा नहीं है और न ही मैं इसका समर्थन करना चाहता हूं। आप खंड २७ के उपखंड (२) की ओर ध्यान दीजिये। उस में कहा गया है कि :

"..... वादी से एक वर्ष या इससे अधिक समय से अलग रहा है या पक्ष एक दूसरे के साथ रहने से इन्कार करते हैं और

पारस्परिक सम्मति से विवाह तोड़ना चाहते हैं"

मुझे 'या' शब्द पर बहुत आश्चर्य हुआ है। इस शब्द से विवाह की सब पवित्रता जाती रहती है। मान लीजिये एक पति-पत्नी किसी छोटी सी बात पर लड़ पड़ते हैं और अलग रहने का निर्णय करते हैं। हमें कितन ही नवयुवकों के ऐसे प्रकरण ज्ञात ह कि पति पत्नी में जरा सा झगड़ा हुआ कि पत्नी अपने मैके को चल दी और पति अपन मां बाप के यहां पहुंच गया। हमें इन भयंकर परिणामों को ध्यान में रखना चाहिये। पारस्परिक सम्मति द्वारा विवाह-विच्छेद का उपबन्ध एक अत्यन्त संकटपूर्ण उपबंध है। इसका उपयोग अधिकतर पति द्वारा ही किया जाएगा क्योंकि स्त्री आर्थिक दृष्टि से अभी सौ वर्ष तक पराधीन ही रहेगी।

श्री वेंकटरामन् ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है, किन्तु एक गलत बात पर इतना आग्रह क्यों किया जा रहा है? इस प्रकार की चीज किसी भी विधान में नहीं होनी चाहिये। बम्बई विवाह-विच्छेद अधिनियम के सम्बन्ध में गत पांच वर्षों में किसी कठिनाई का अनुभव नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि यह पारस्परिक सम्मति सम्बन्धी खंड प्रवर समिति द्वारा नहीं रखा गया था अपितु यह राज्य सभा का सुझाव है। एक संशोधन इस आशय का रखा गया है कि दोनों पक्ष जिला न्यायालय में इस आधार पर विवाह-विच्छेद की याचिका दे सकते ह कि वे एक वर्ष अथवा उस से अधिक समय से अलग रह रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इस उपबन्ध से स्थिति किस प्रकार सुधर सकती है। यदि यह शब्द होते कि पक्षों ने इकट्ठे रहने से इन्कार कर दिया है तो कुछ बात बन सकती थी। किन्तु मझे तो मूल उपबन्ध पर ही आपत्ति है। उप-खंड द्वारा स्थिति के सुधारन का जो प्रयत्न किया गया है वह निरर्थक ही होगा क्योंकि यह किस प्रकार सिद्ध हो सकेगा कि दूसरे पक्ष की सम्मति बलप्रयोग, कपट इत्यादि द्वारा नहीं प्राप्त की गई है। पति की स्थिति ही कुछ इस प्रकार की होती है कि अनुचित प्रभाव को टाला नहीं जा सकता।

मुझे बम्बई के अधिनियम के बारे में अनुभव है। अभी एक महीना हुआ बम्बई राज्य का एक गंवार कृषक अपनी पत्नी को साथ लेकर मुझ से मिलने आया। वह दूसरा विवाह करना चाहता था और कहता था कि उसकी पत्नी इस बारे में उससे सहमत है। यह तो आप समझ ही सकते हैं कि ऐसे मामलों में पत्नी की सहमति किस प्रकार ली जाती है। मैं ने उसे उत्तर दिया कि पहली पत्नी के होते ऐसा होना असम्भव है। किन्तु यह एक ऐसा अधिनियम ह जो बम्बई के अधिनियम को निरर्थक बना सकता है।

किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए यह उपबन्ध अनुचित प्रकार का है। अत: मैं विधि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इसे स्वीकार न करें। हमें संस्कारबद्ध विवाह को छोड़कर एक इस प्रकार के विवाह की ओर नहीं जाना चाहिये जिस का कुछ भी अर्थ नहीं होगा।

श्री एन० सी० चटर्जी : इस संसद् में पहली बार ही ऐसा हुआ है कि भिन्न भिन्न दलों के १२ सदस्यों ने एक ही संशोधन प्रस्तुत किया है जिसमें उपखंड (ट) अर्थात् सम्मति द्वारा विवाह-विच्छेद को निकाल देने के लिए कहा गया है, यदि संसद् उपखण्ड (ट) पारित कर दे

[श्री एन० सी० चटर्जी]

तो यह उचित नहीं होगा । मैं ने अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए राज्य सभा के कार्य पर टीक-टिप्पणी की थी ।

यह एक प्रतिगामी खंड है और विशेष विवाह विधयक में एक बहुत शरारतपूर्ण उपबन्ध होगा । बिना लोगों का मत जाने ऐसा असाधारण विधान बनाना ठीक नहीं है ।

यह हिन्दू विवाह आदर्श के लिये विनाशकारी है । यह भारत के स्वभाव तथा स्वधर्म के विरुद्ध है । पांच छः हज़ार वर्ष में जो सामाजिक प्रणाली उन्नत हुई है उसे यह नष्ट कर देगा । न तो इस सभा को और न राज्य सभा को अधिकार है कि वह बिना जनता की इच्छा जाने और उससे पूर्ण प्राधिकार प्राप्त किए इस खंड को रखे । सर्व-प्रभुत्व-सम्पन्न संसद् के प्राधिकारों का मनमाने ढंग से प्रयोग करना उचित नहीं है ।

रूस के सर्वाधिकारवादी राज्य और उसके कुछ पुछल्ले देशों को छोड़ कर जहां १९४४ तक ऐसा कुछ विधान था किसी अन्य देश में ऐसा विधान नहीं है और संसार के सभ्य देशों की विधि के विरुद्ध है ।

सब ईसाई देशों की भांति इंगलैंड में विवाह की परिभाषा यह दी हुई है "एक पुरुष और एक स्त्री का अन्य सब को छोड़ कर स्वेच्छा से जीवन भर के लिए बन्धन", सामान्य चर्चा में मैंने प्रौकटर का उल्लेख किया था जिसका काम यह देखना होता है कि विवाह-विच्छेद दोनों की सहमति से हुआ था या दुरभिसन्धि द्वारा अथवा डरा-धमका कर विवाह-विच्छेद के विधान का यह मूल सिद्धान्त है । परन्तु यहां कहा जा रहा है कि यह भी एक आधार होना चाहिये । आखिर यह एक पवित्र बन्धन है, चाहे आप इसे कोई भी नाम दें, इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि समाज का विनाश न हो । परिवारिक जीवन नष्ट न हो । क्योंकि विवाह पर ही भावी पीढ़ियों का भविष्य निर्भर करता है । उस भविष्य को हम इस संसद् में ऐसा विधान बना कर क्यों विकृत करें

पारस्परिक सम्मति द्वारा विवाह-विच्छेद से कुछ दिनों अथवा मास के लिये विवाह होने लगेंगे । इस देश में पत्नी की सम्मति प्राप्त करना कठिन नहीं है । इस देश की स्त्रियों की आर्थिक स्थिति को जानते हुए ऐसा करना उचित नहीं है ।

जिन देशों में विवाह-विच्छेद की व्यवस्था है वे पश्चाताप कर रहे हैं और इस से सम्बन्धित नियमों को कड़ा बना रहे हैं। विवाह-विच्छेद की घटनाओं की गिनती बढ़ती जा रही है । वहां भी इस प्रकार का विधान नहीं है जिसका प्रयोग आप भारत में करने जा रहे हैं ।

सामाजिक विधान बनाते समय बड़ी सूझ-बूझ, विवेक और जनता की सामान्य राय जान कर कार्य करना चाहिये। हमें समाज की चेतना के प्रतिकूल नहीं चलना चाहिये इस से हमारे अनगिनत परिवार बिखर जायेंगे ।

इस से विवाह चिर काल तक नहीं टिकेंगे और उनका उद्देश्य केवल काम वासना को शान्त करना ही रह जायेगा ।

और हमारे राष्ट्र के महान् आदर्श जिन पर हमें गर्व है मिट्टी में मिल जायेंगे। इस खंड द्वारा आप इन्हें खतरे में न डालें।

मैं अब भी नम्रतापूर्वक सभा से प्रार्थना करता हूं कि इस खंड को निकाल दिया जाये जो अनावश्यक, घृणास्पद, अभूतपूर्व, शरारतपूर्ण तथा असाधारण है।

श्री टेकचन्द : म उपखंड (ट) के निर्माता को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं क्योंकि इसने इस एक वाक्य द्वारा विवाह प्रणाली को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया है समाज की धज्जियां उड़ा दी हैं और शिष्टाचार तथा नैतिक जीवन को छिन्न-भिन्न कर दिया है। इस में उसे पर्याप्त सफलता मिली।

श्री बिस्वास : मेरे विचार में आप खंड (क) के बारे में कह रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं खंड (ट) के बारे में।

श्री टेकचन्द : इस प्रकार का नियम मैं ने कहीं नहीं देखा। खुली छूट दे कर भी विवाह की संस्था में बनाये रखने का प्रयास किया जा रहा है। विधेयक का उद्देश्य एक विवाह बतला कर परोक्ष रूप से बहुपतित्व और एक पत्नी विवाह की प्रथा जारी की जा रही है, जब तक उप-खंड (ट) है एक स्त्री अपने पति को जितनी बार चाहे छोड़ सकती है। क्या इसे ही एक पत्नीत्व कहते हैं।

विधि की नीति इस प्रकार की होनी चाहिये कि वह विवाह को दीर्घकालीन बनाये और पति पत्नी में ऐसी भावनायें उत्पन्न करे कि वे मृत्यु तक इस पवित्र सम्बन्ध को बनाय रखें और बहुत कम हालतों में इसे तोड़ा जाये। विवाह की संस्था को बनाये रखने का यही एकमात्र साधन है। अन्यथा इसका सारा ढांचा बिखर जायेगा।

कुछ और भी उपबन्ध हैं जिन के बारे में मैं समझता हूं कि उनकी ओर पर्याप्त से ध्यान नहीं दिया गया है। वे उपखंड (ख), (ग) और (ङ) हैं, मैं उन सदस्यों से सहमत नहीं हूं जो यह कहते हैं कि जारता के एक ही उदाहरण के आधार पर विवाह-विच्छेद की याचिका प्रस्तुत नहीं की जानी चाहिये। एक व्यक्ति न्यायालय में कहता है कि मेरी पत्नी ने अथवा पत्नी कहती है कि मेरे पति ने जारता करके इस सम्बन्ध को अपवित्र किया है और उसे उत्तर मिले कि पुनः ऐसा करने पर कार्यवाही की जायेगी तो इससे बढ़ कर दुःखदायक बात और क्या हो सकती है।

खंड २८ में याचिकाओं पर जो रोक लगायी गई है मैं उस से सहमत हूं परन्तु उपखंड (क) पर लागू करने से यह बड़ा अनुप-युक्त सा लगेगा तीन वर्ष तक अपने साथी की जारता का अपमान सहना पड़ेगा। यदि किसी की पत्नी अपने शरीर का षण्य करने लगती है तो न्यायालय यह कहने के लिये विवश होगा कि तीन वर्ष तक तुम्हें इस से छुटकारा नहीं दिलाया जा सकता और उसे वह सहन करना पड़ेगा। इसी प्रकार पत्नी को भी पति का दुराचार तीन वर्ष तक सहन करना पड़ेगा। इसलिये यह वांछनीय होगा कि खंड २७ के उपखंड (क) को खंड २८ के क्षेत्राधिकार में न लाया जाय।

अन्य खडों के बारे में मैं अनुभव करता हूं कि उन्हें ठीक प्रकार प्रारूपित नहीं किया गया, क्योंकि उनका दुरुपयोग

[श्री टेकचन्द]

किया जा सकता है । उदाहरणत: उपखंड (ज) के अनुसार उन व्यक्तियों ने सात वर्ष तक उत्तरवादी के जीवित होने के बारे में कुछ न सुना हो जिन से इस बात की आशा की जाती है । तो केवल इसी आधार पर विवाह-विच्छेद हो सकता है कि कुछ विशेष लोगं इस बारे में नहीं जानते । यह ऐसी बातें हैं जिनका हमें कोई अनुभव नहीं, क्योंकि किसी देश ने इन्हें नहीं अपनाया । इसलिये यदि विवाह-विच्छेद विधयक लागू करना ही है, तो बहुत कम हालतों में विवाह-विच्छेद की स्वीकृति की जाये, जबकि इसके अतिरिक्त कोई चारा न हो ।

श्री वेंकटरामन् : श्री एन० सी० चटर्जी ने कहा कि लगभग १२ सदस्यों ने उपखंड (ट) को निकालने के लिये एक ही प्रकार के संशोधन प्रस्तूत किये हैं परन्तु कुछ लोगों के संशोधन उपखंड (ट) को निकाल कर उसी प्रकार की कोई अच्छी चीज़ रखने के लिये थे । यदि यह तर्क दिया जाय कि बहुत से लोग इसके विरुद्ध हैं, तो क्या जिन सदस्यों ने कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया उन्हें इस खंड के पक्ष में समझा जाये ? श्री एन० सी० चटर्जी का यह अनुमान गलत था । अब मैं संशोधन सं० ९७ की ओर आता हूं जिसकी मैंने पूर्वसूचना दी है ।

सभापति महोदय : क्योंकि माननीय सदस्य एक नया विषय आरम्भ कर रहे हैं और पांच बज चुके हैं इस लिये मैं उन से निवेदन करूंगा कि वे कल अपना भाषण जारी रखें । अब हम आध घंटे की चर्चा करेंगे ।

रेलवे प्लेटफार्मों पर रूसी प्रकाशनों की बिक्री

श्री वी० पी० नायर (चिरयिन्कील): मैं यह चर्चा ६ सितम्बर १९५४ को रेलवे उपमंत्री द्वारा दिये गये मेरे एक प्रश्न के उत्तर के आधार पर उठा रहा हूं । मेरा प्रश्न यह था :

"क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि रूस में मुद्रित व प्रकाशित पुस्तकें और पत्रिकायें अब भी रेलवे प्लेटफार्मों पर नहीं बेचने दी जातीं ; और

(ख) क्या सरकार इस विषय में प्रचलित सरकारी आदेश की एक प्रति सभा पटल पर रखेगी ?"

रेलवे उपमंत्री ने उत्तर दिया था हां, अर्थात् रूस के साहित्य पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगा हुआ है । उन्होंने आगे कहा था, "सरकार ने रेलवे प्रशासन को हिदायतें जारी की हैं कि वह अपनी पुस्तकों की दुकानों पर प्रवृत्तिसूचक साहित्य के विक्रय को निरुत्साहित करे ।

(ख) खेद है कि यह बताना जनहित में नहीं है ।

जैसा कि उत्तर में स्वीकार किया गया है सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही कई प्रकार से गलत है । हाल ही में भारत ने रूस के साथ एक व्यापारिक करार किया है । रेलवे मंत्रालय द्वारा इस करार का उल्लंघन किया गया है ।

व्यापारिक करार में कहा गया है कि दोनों सरकारें दोनों देशों के व्यापारिक

सम्बन्धों को समता और पारस्परिक लाभ के सिद्धान्तों के आधार पर दृढ़ बनायेंगी और उनका विकास करेंगी और जहां तक उनका विधान, नियम तथा विनियम आज्ञा देंगे एक दूसरे देश से आयात की गई वस्तुओं को अधिकतम सुविधायें देंगी ।

निर्यात और आयात की जाने वाली वस्तुओं में पुस्तकों तथा पत्रिकाओं का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है ।

जब कि दो मित्र सरकारों ने पुस्तकों और पत्रिकाओं को निर्यात का करार किया है, रेलवे मंत्रालय का उन के विक्रय पर प्रतिबन्ध लगाना करार के विरुद्ध है, बल्कि यह उस करार को नष्ट कर देगा ।

यह कहने की बजाय कि उन्होंने अमुक परिस्थितियों मे ऐसे आदेश दिये, उन्होंने रूस के सारे प्रकाशनों को प्रवृति-सूचक करार दिया ।

किसी देश के सारे साहित्य को प्रवृत्तिसूचक कहना पागलपन है । मंत्रालय ने वह साहित्य बेचने की तो स्वीकृति दे दी है जो वास्तव में प्रवृतिसूचक हैं । वह मैं बाद में बताऊंगा ।

ऐसी पुस्तकें बेचने के विरुद्ध कोई विधि नहीं है । हरेक व्यक्ति को अधिकार है कि वह जो भी व्यवसाय करना चाहे कर सकता है । माननीय गृह-कार्य मंत्री, जिन्होंने आज के वाद-विवाद का उत्तर देना है, कृपा करके वे उपबन्ध बतायें जिसके अन्तर्गत रेलवे विभाग या अन्य कोई प्रशासन यह प्रतिबन्ध लगा सकता है ।

इस से भारत और रूस के वर्तमान पारस्परिक सम्बंधों पर घोर आघात पहुंचेगा। एक मंत्रालय तो रूस के साथ यह करार करता है कि पुस्तकों और पत्रिकाओं का आदान-प्रदान किया जायगा, परन्तु दूसरा मंत्रालय सब प्रकार के साहित्य के विक्रय को निषिद्ध कर देता है । इस से शत्रु-भाव का पता चलता है ।

रेलवे मंत्रालय कहता है कि वे प्रवृतिसूचक साहित्य को प्रोत्साहन नहीं देना चाहते । परन्तु मैं ने कल जो पुस्तकें पुस्तकालय को प्रदर्शन के लिए भेंट की हैं, आप कृपया उन्हें देखें तो पता लगेगा कि वह प्रवृत्तिसूचक साहित्य नहीं हैं । वह मेक्सिम गोर्की, आइवान टर्गेनेव, और लिथो टालस्टाय आदि महान लेखकों का साहित्य है उसी साहित्य में प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की भी पुस्तकें हैं । ये सब रेलवे की दुकानों में केवल इसलिए नहीं बिक सकतीं, क्योंकि वे रूस में लिखी गई हैं ।

दूसरी ओर रेलवे की दुकानों में स्पष्टत: प्रवृत्तिसूचक, हानिकर और घृणा-स्पद साहित्य बिकता है । वहां जासूसी साहित्य मिलता है जिस में डा० काटजू को बहुत अभिरुचि है । यहां मेरे पास एक अमरीकन पुस्तक 'बेस्ट डिरेक्खि' ('अन्युत्तम भेढिया') है । इस में दस कहानियां हैं और उन सब में हत्या का ही विषय है । मैं ने वहां से कुछ पुस्तकें अनायास ही चुन लीं । यह एक और पुस्तक है जिस का नाम है, "हत्या कितनी सुगम है"

सभापति महोदय : मैं अन्तर्बाधा नहीं डालना चाहता । परन्तु मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहता हूं कि यह चर्चा केवल आध घंटे के लिए है । यदि माननीय सदस्य ने १० मिनट से अधिक लिए तो सरकार के लिए उसका उत्तर देना कठिन होगा ।

श्री वी० पी० नायर : मैं अधिक समय नही लूंगा । तो मैं कह रहा था

[श्री वी० पी० नायर]

कि विश्व के महान लेखकों की पुस्तकों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है और आपको वहां मिलेंगी, सब प्रकार के जासूसी की कहानियां, गुंडों के किस्से, अविवाहितों की प्रेम चर्चा, कामोद्दीपक साहित्य तथा अत्यन्त अश्लील तथा भद्दे प्रकार का साहित्य । दूसरी ओर रूस की पुस्तकों और पत्रिकाओं को जिन में भारतीय संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, कला आदि के लेख होते हैं, रेलवे के अहाते में बेचा नहीं जा सकता । इंग्लैंड और अमरीका के प्रैसों में जितना अश्लील और गंदा तथा युद्ध के लिये भड़काने वाला साहित्य तैयार होता है उसे बेचने की अनुमति है । परन्तु शान्ति के समर्थक देशों में तैयार हुआ शान्ति का प्रचार करने वाला साहित्य नहीं बेचा जा सकता । मंत्रियों को नैतिकतावादियों का भेस बनाना छोड़ देना चाहिये और हमें स्पष्ट आश्वासन देना चाहिये कि इस प्रकार के भेद-भाव को समाप्त कर दिया जायेगा ।

श्री जोकीम आल्वा (कनारा) : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय गृह मंत्री पूर्व के साहित्य और रूस के साहित्य के बीच लोहावरण डाल देना चाहते हैं । उन की संतति और उन से पूर्व की संतति मिल्टन शेक्सपियर डिकन्स और स्काट के साहित्य पर पली है । आज की नई पीढी की हत्या, व्यभिचार, वासना इत्यादि का साहित्य मिल रहा है । मैं यह बात एक पिता की भावना से कह रहा हूं । हमारा अपने बच्चों के प्रति एक नैतिक और आध्यात्मिक कर्तव्य है कि हम उन्हें ऐसा गंदा साहित्य न पढ़ने दें । मैं यह बात एक ईसाई, एक मानव और एक भारतीय नागरिक के नाते सद्भाव से कह रहा हूं कि हमें अपन बच्चों को अपकी का भागी नहीं बनने देना चाहिये । माननीय मंत्री बतायें कि ऐसे साहित्य पर कितने डालर व्यर्थ व्यय किये जाते हैं । यदि आप किस साहित्य को जब्त करना चाहते हैं तो ऐसे साहित्य को जब्त कीजिये । हमें यह स्पष्टत: स्वीकार करना चाहिये कि रूस में बच्चों के लिए जो साहित्य निर्माण होता है वह असाधारण रूप से सुन्दर है । अमरीका से आने वाला साहित्य जो हमारे बच्चों को डाकू और लुटेरे बना रहा है । यदि यही हमारी आधुनिक व्यवस्था है तो हम लोकमत के समक्ष अपराधी हैं । रेलवे की दुकानें सैंकड़ों और हजारों पुस्तकों की संख्या में ऐसे साहित्य का वितरण कर रही हैं और यदि यही हाल रहा तो हमारे लिए इस प्रवाह को रोकना असंभव हो जायेगा । हम रूस का अपमान करने वाले साहित्य को क्यों आने देते हैं ? हम 'टाइम' को क्यों आने देते हैं जो भारत के प्रधान मंत्री का अपमान करता है ? यदि आप इस आपत्तिजनक साहित्य को आने ही देना चाहते हैं तो चीन आदि देशों का भी साहित्य आने दीजिये, ताकि राजनीति और साहित्य में संतुलन किया जा सके ।

हमें इस विषय पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए । यदि टाइम जैसी पत्रिका बुकस्टालों पर बिक सकती हैं तो मास्को के न्यू टाइम को भी आने देना चाहिए । हमें ऐसी पत्र पत्रिकाएं मिलती हैं जिनमें हमारे प्रधान मंत्री की और हमारे राजनैतिक आदर्शों की आलोचना की होती है । उन में पुर्तगाल का समर्थन होता है और काश्मीर के सम्बन्ध में हमारे पक्ष का विरोध । क्या यह सब देशद्रोह नहीं है ?

हम यह चाहते हैं कि इस प्रकार का साहित्य रेलवे की दुकानों पर न आने दिया जाय। डा० काटजू जैसे महान् व्यक्ति भी, जिन्होंने स्वतन्त्रता युद्ध में भाग लिया इस प्रश्न पर मौन हैं। महात्मा गांधी ने हमें कई बार टालस्टाय की पुस्तकों के सम्बन्ध में बताया था। क्या उन्हीं पुस्तकों पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है क्या ऐसी पुस्तकों पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है जिन पर हमारे स्वातन्त्र्य आन्दोलन की आधार शिला रखी गई थी और जिन में हमारे नैतिक और आध्यात्मिक आदर्श दिये गये हैं। हम जितना शीघ्र इस लोह-आवरण को हटा देंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं केवल यह पूछना चाहता हूं कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस देश में जो रूस का साहित्य है वह या तो मार्क्स के सिद्धांतों की प्रतिलिपि है और या रूस के समाज का यथार्थ चित्रण और उन का विश्व के मामलों के प्रति दृष्टिकोण है और या टालस्टाय और गोर्की की साहित्यिक रचनाएं हैं, क्या उसकी बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने में भेद-भाव की भावना और उस सिद्धांत के विरुद्ध प्रचार निहित नहीं हैं ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर): यद्यपि देशों के साहित्य में भेद-भाव करना गलती है परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारा साहित्य रूस की दुकानों पर खुला बिकता है। यदि हमारे साहित्य के विरुद्ध भेद-भाव की नीति है तो रूस के साहित्य के विरुद्ध इस नीति में कुछ औचित्य दिखाई देता है।

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर): मार्क्स का जो प्राचीन साहित्य इंगलैंड और अमरीका में प्रकाशित होता है उसका मूल्य रूस में प्रकाशित होने वाले साहित्य से चार गुना है। इंगलैंड के प्रकाशन का मूल्य ११ रुपये ८ आने हो तो रूस के प्रकाशन का मूल्य २ रुपये १५ आने होता है।

क्या मंत्री महोदय रूस की पुस्तकों के भारत में आने पर रोक लगाना चाहते हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (**डा० काटजू**) : मैं यह कह रहा था कि मेरे पास जो कुछ मिनट हैं उनमें मैं बहुत गम्भीरता और स्पष्टता पूर्वक इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा जो कि उठाये गये हैं। ऐसी शिकायत पर—चाहे वह किसी भी दल की ओर से हो—मेरी यह कहने की इच्छा होती है कि जहां सब प्रकार के अध्ययन पर लोह-आवरण हो और जहां कोई आदान-प्रदान न हो वहां किसी भी साहित्य पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है, परन्तु मैं यह बात नहीं कहूंगा।

रेलवे की दुकान क्या है ? रेलवे की दुकान को ठेकेदार चलाते हैं। सरकार स्वामी है। सरकार यह कह सकती है कि अमुक अमुक प्रकार का साहित्य बिकना चाहिए और अमुक अमुक प्रकार का नहीं। यह कहना कोई युक्ति नहीं है कि वहां इस प्रकार की सामग्री बिकती है।

दो वर्ष पूर्व रेलवे बोर्ड ने ये विशेष अनुदेश दिये थे कि हानिकर साहित्य नहीं बेचा जाना चाहिये, चाहे वह साहित्य कहीं से भी आये और चाहे वह भारत में या विदेश में मुद्रित हो मेरा विचार है

[डा० काटजू]

कि यदि कोई माननीय सदस्य रेलवे बोर्ड को वहां बिकने वाले आपत्तिजनक साहित्य के सम्बन्ध में चाहे वह कहीं भी मुद्रित हुआ हो जानकारी दे तो बोर्ड उसका अत्यधिक आभारी होगा ।

मैंने कलकत्ते में वे पुस्तकें देखी थीं जो भारत में मुद्रित हुई थीं और जिन पर आपत्ति की गई थी अस्तु यह अच्छा होगा कि आप रेलवे बोर्ड को लिखें । परन्तु युक्ति यह है । यह कहा जाता है कि यहां गला-सड़ा हुआ साहित्य है, सड़ा हुआ साहित्य इस दृष्टि से कि उस में हत्या, गुंडागर्दी और इस प्रकार की बातें हैं । अतएव यह कहा जाता है कि आप को हमें अपना साहित्य भी बेचने की अनुमति देनी चाहिये । ऐसे विषयों में तुलना नहीं हुआ करती । उत्तर में जो शब्द प्रयोग किया गया था और जान-बूझ कर प्रयोग किया गया था वह 'प्रवृत्ति सूचक साहित्य' था । प्रवृत्ति सूचक साहित्य वह होता है जिस का यह अभिप्राय होता है या जिस का यह कहने का उद्देश्य होता है --प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत: आक्षेप द्वारा—कि आप की शासन व्यवस्था गलत है, दृढ़ नहीं है और आप की ऐसी शासन-व्यवस्था का अनुसरण नहीं करना चाहिये- यद्यपि इसे जनता पर लादा जा सकता है । परन्तु यह हानिकर है । मैं किसी पर आरोप नहीं कर रहा हूं । हर एक अपनी प्रशंसा कर रहा है । हर एक साथ साथ रहना चाहता है । हमारे सारे दलों का यही उद्देश्य है । यह आपके लिये अच्छा हो सकता है । यहां सभी प्रकार के सदस्य हैं । (**अन्तर्बाधायें**) हो सकता है यह अन्य लोगों के लिये अच्छा न हो । आप को पुस्तकें चुनने का समान अधिकार है । अमरीका में मुद्रित पुस्तकों और भारत में मुद्रित पुस्तकों का रूस में स्वागत नहीं किया जाता । मेरे मित्र ने रूस के साथ व्यापार करार का उल्लेख कर के यह कहा है कि अमुक अमुक बात करनी चाहिये । (**अन्तर्बाधायें**)

मेरे मित्र प्राय: भूमि के उस प्रदेश में जाते रहते हैं । मैं आशा करता हूं कि वे प्रत्येक ऐसी पुस्तक को वहां खरीदने का प्रयत्न करेंगे जो पूंजीवाद के पक्ष में और जमींदारी के समर्थन में भारत में मुद्रित हुई हो और ऐसा प्रयत्न करेंगे कि किसी विशेष धर्म की प्रशंसा करने वाली पुस्तक वहां खरीदी जा सकें । वे उन से कहें कि प्रत्येक पुस्तक वहां पहुंचा दीजिये और वह सरकारी दुकानों पर बिकनी चाहिये, और तब हम देखेंगे कि उन्हें क्या उत्तर मिलता है ।

श्री बी० सी० दास (गंजम दक्षिण): क्या वह जानते हैं कि तुलसीदास की रामायण का रूसी भाषा में अनुवाद हो चुका है ?

डा० काटजू : इस प्रकार से अन्तर्बाधा डालने से कोई लाभ नहीं । श्री मुकर्जी मेरी बात समझ गये हैं । इस का कोई उत्तर नहीं दिया गया ।

दूसरी बात यह है । मेरे माननीय मित्र, श्री बसु ने कहा कि देखिये वे सस्ते मूल्य पर पुस्तकें बेच रहे हैं ; ये लोग बड़े उदार हैं, उन्हें हमारी आध्यात्मिक, भौतिक तथा बौद्धिक उन्नति का बहुत ध्यान है जो वे पांच आने या नौ आने में ऐसी पुस्तकें बेच रहे हैं जिनकी केवल छपाई पर ही पांच रुपये व्यय होते हैं ।

जब कोई व्यक्ति ९ आने की दर से मुझे ऐसीं दस लाख पुस्तकें देने का

प्रस्ताव करता है जिन की किसी भी जगह ५ रुपये के लगभग लागत आती हो, तो स्वाभाविकतया मेरे मन में कुछ सन्देह होता है । मैं एक प्रश्न पूछता हूं जिसके उत्तर की मुझे आशा नहीं है । उससे प्राप्त धन कहां जाता है ? मुझे बताइये । इस विषय में मेरे सामने बैठे हुए मित्र मुझ से अधिक जानते हैं कि वह धन कहां जाता है ।

डा० रामा राव (काकिनाडा) : बैंकों से पूछिये ; यह रूस को जाता है ।

सभापति महोदय : इस प्रकार की अन्तर्बाधा ठीक नहीं है ।

डा० काटजू : आपने मेरे दस में से दो मिनट नष्ट कर दिये ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : श्रीमान, मैं एक औचित्य प्रश्न पूछना चाहता हूं । क्या इस प्रकार प्रश्न पूछ कर हमसे उत्तर की आशा न करके निश्चित रूप से यह आक्षेप लगाना ठीक है कि इस बिक्री से प्राप्त धन को हम स्वयं ले लेते हैं ? मेरा निवेदन है कि इस प्रकार का आक्षेप बिल्कुल अनियमित, झूठा और आपत्ति-जनक है ।

सभापति महोदय : यदि प्रश्न पूछा जाये और उसका कोई उत्तर न मिले, तो वह अनुमान लगा कर जो चाहें कह सकते हैं ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या हम से यह बताने की आशा की जा सकती है कि अमुक धन कहां जाता है ?

डा० काटजू : मैं सदा इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि जब विरोधी पक्ष के लोग चिल्लाते हैं, तो बात ठीक होती है और इस से उन्हें चोट पहुंचती है। यदि मेरे माननीय मित्र यह सोच कर चुप-चाप बैठे रहते कि डा० काटजू ने एक युक्ति दी है, जोकि एक वकील हैं, तो बात और होती । यदि उन्हें क्रोध आता है, तो इस का अर्थ यह है कि वह बात काफी ठीक है और चिल्लाने के अतिरिक्त उनके पास और कोई उत्तर नहीं है **(अन्तर्बाधायें)**

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : (बसिरहाट) श्रीमान्, सूचना के हेतु मैं पूछना चाहती हूं । क्या हम यह समझें कि माननीय गृह-कार्य मंत्री बैंकों से यह पता नहीं लगा सके कि यह धन कहां जाता है ? क्या वह यहां खड़े हो कर यह कहते हैं कि उन्होंने इस बात का पता नहीं लगाया है कि यह धन कहां जाता है यद्यपि खुले रूप में सौदे किए जाते हैं और नियमित रूप से लेखा-पुस्तकें रखी जाती हैं ? तो उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहियें ।

डा० काटजू : मैं विस्तार में जाना नहीं चाहता, किन्तु क्या मैं अपनी माननीय मित्र श्रीमती रेणु चक्रवर्ती से यह कह सकता हूं कि वे मेरे कमरे में आयें और मैं उन्हें अपेक्षित जानकारी दे दूंगा । **(अन्तर्बाधायें)**

सभापति महोदय : अब ५-३० बज चुके हैं और सभा स्थगित होती है ।

इस के पश्चात् लोक सभा, बृहस्पतिवार, १६ सितम्बर, १९५४ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।